दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिन अंक-74

दिल्ली विधान सभा

सदन अपरान्ह (2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.	12. श्री धर्मदेव सोलंकी
2. श्री अनिल भारद्वाज	13. श्री हरिशंकर गुप्ता
3. श्री अनिल झा	14. डॉ. हर्ष वर्धन
4. श्री अनिल कुमार	15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
5. श्री अरविन्दर सिंह	16. श्री हसन अहमद
6. श्री आसिफ मो. खान	17. प्रो. जगदीश मुखी
7. श्री बलराम तंवर	18. श्री जयभगवान अग्रवाल
8. श्रीमती बरखा सिंह	19. श्री जय किशन
9. चौ. भरत सिंह	20. श्री जसवंत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह	21. श्री कुलवंत राणा
11. श्री देवेन्द्र यादव	22. श्री मालाराम गंगवाल

23. श्री मंगत राम
24. श्री मनोज कुमार
25. चौ. मतीन अहमद
26. श्री मोहन सिंह बिष्ट
27. श्री मुकेश शर्मा
28. श्री नंद किशोर
29. डॉ. नरेन्द्र नाथ
30. श्री नरेश गौड़
31. श्री नसीब सिंह
32. श्री नीरज बैसोया
33. श्री प्रद्युम्न राजपूत
34. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
35. चौ. प्रेम सिंह
36. श्री राजेश जैन
37. श्री राजेश लिलोठिया
38. श्री राम सिंह नेताजी
39. श्री रमेश बिधूड़ी
40. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
41. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
42. श्री साहब सिंह चौहान
43. श्री सतप्रकाश राणा
44. श्री शोएब इकबाल
45. श्री श्रीकृष्णा
46. श्री श्याम लाल गर्ग
47. श्री सुभाष चौपड़ा
48. श्री सुभाष सचदेवा
49. श्री सुमेश
50. श्री सुनील कुमार
51. श्री सुरेन्द्र कुमार
52. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
53. चौ. सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
55. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
56. श्री वीर सिंह धिंगान
57. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 मंगलवार, 29 मई, 2012/जयेष्ठ 08, 1934 (शक) अंक-74

सदन अपराहन 2.00 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।
(राष्ट्रगीत वंदे मातरम्)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आज मैंने एक प्रीविलेज का नोटिस दिया है, Notice of Contempt of the House and Breach of Privilege. कल यहाँ पर बजट पेश किया गया और आप सब जानते हैं कि बजट एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज होता है। उसको सदन में पेश होने से पहले लीक कर देना या उसको बाहर प्रकट कर देना, बहुत बड़ा प्रीविलेज का मामला है। मैम्बर्स को भी पता नहीं, मिनिस्टर्स को भी पता नहीं। परन्तु यहाँ पर जो आफिसर्स हैं, उनके हाथ में उसकी कापियाँ थीं और सारे टीवी चैनल्स ने उनको दिखाया भी। किसने उसको लीक किया, किसने उनको दिया? मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं और वे उसको लीक कर दें या उनके आफिस से लीक हो जाए या कोई भी लीक कर दे, यह एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला है। यह प्रीविलेज का मामला है। मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इस मामले को प्रीविलेज कमेटी में भेजा जाए कि यह डाक्यूमेंट पहले कैसे लीक हो गया, पहले कैसे उन लोगों के हाथो में चला गया। हाउस में मैम्बर्स की भी यह तौहीन है कि मैम्बर्स को पता नहीं हो और आफिसर्स को उसके बारे में पता हो।

अध्यक्ष महोदयः मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी के कथन पर व्यवस्था दे रहा हूँ। मुझे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-66 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि कल दिनांक 28 मई 2012 को सदन में बजट पेश होने के दौरान अधिकारी दीर्घा में बैंठे अधिकारियों को कई टीवी चैनलों द्वारा बजट दस्तावेज पढ़ते हुए दिखाया गया है। जो कि बजट को गोपनीय रखने की परम्परा के विरुद्ध है तथा सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। हालांकि यह सूचना नियमानुसार विधान सभा सचिवालय को सदन की बैठक प्रारम्भ होने के कम से कम तीन घण्टे पूर्व यानी पूर्वीह्न 11:00 बजे तक नहीं मिली है, फिर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं को देखते हुए विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-68 के अन्तर्गत इस मामले को मुख्यमंत्री जी को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दिया गया है। जैसे ही उनसे टिप्पणी प्राप्त होगी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि आप उनको भेजें जरुर, परन्तु मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके यहाँ से लीक कैसे हुआ। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। यानी कोई चीज उनके यहाँ से लीक हो जाए फाइनें का बजट लीक हो जाए इससे बड़ी और क्या अपत्तिजनक बात हो सकती है। उनकी टिप्पणी ले लें परन्तु हम चाहेंगे कि अगर यह लीकेज हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेकर त्यागपत्र देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः प्रो साहब यह लीक होने तक की प्रक्रिया तक नहीं पहुंचा है। यह सब कुछ सदन में ही हो रहा था। इसलिए हम उसको यह नहीं कह सकते कि लीक ही हुआ है।....व्यवधान

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जो आफिसर्स है, वे यहाँ पर सदन में बैठे रहने के लिए बाध्य तो नहीं हैं। उनके हाथ में है तो वे बाहर भी जा सकते हैं। बाहर भी बता सकते हैं। आफिसर्स बैठे हुए हैं, वह तो पब्लिक मामला है, मिनिस्टर्स को पता नहीं, मैम्बर्स को पता नहीं। हम लोग सुनने के लिए बैठे थे। मैं तो आपसे रिक्वैस्ट करने वाला था कि माइक ठीक करा दें पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा। हम एक-एक चीज सुनना चाहते थे और उससे पहले ही बजट उनके हाथ में है, वे पढ़ रहे हैं और उसको देखा जा रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मुख्यमंत्री जी इसका जैसे ही जवाब देंगी, मैं उस जवाब को आपको भेज दूंगा।

श्री रविन्द्रनाथ बंसल: अध्यक्ष जी, बजट की कापी बजट पेश होने के बाद दी जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले दे दी।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी कब तक जवाब देंगी?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ये पूरी बात प्रो. मल्होत्रा साहब कह चुके हैं। इसको आप बार-बार मत दोहराइए, इसमूं मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ, अब इस मामले को मत उठाइए। अब श्री रमेश बिधूड़ी जी अपना प्रशन रखें।

श्री श्यामलाल गर्ग: अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब तक जवाब देंगी। ये सदन के चलते हुए जवाब दे दें, यह तो आप उनको कहिए।

अध्यक्ष महोदय: गर्ग साहब, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही मुख्यमंत्री साहिबा को भी चलना होगा। वे सदन के सचिवालय को या स्पीकर को अपना जवाब भेजेंगी। मैं आपको बतला दूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, कल हाउस में पैट्रोल की कीमत के बारे में बहुत हंगामा हुआ था हम नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही उसमें रुके, परन्तु यह इतना गंभीर मामला है और सीएनजी का मामला तो खासतौर पर बहुत ही भयंकर है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 21 रु0 से बढ़कर 37 रु. हो गई है। पेट्रोल के दाम में एक रुपया कमी हुई और उसमें 1.80 पैसा बढ़ा दिया। यह दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विक्ष्वासघात है। अगर यहाँ पर 37 रु. हो जाये और डीजल 40 रु. हो तो ये तो डीजल के बराबर ही पहुँच गयी। यहाँ पर सभी चाहे तिपहिया वाले, बसों वाले, कारों वाले और टैम्पो वाले सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे भयंकर महंगाई होगी और यह दिल्ली की जनता पर एक भयंकर कुठाराघात किया गया है। हम अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं। 31 मई को सारा हिन्दुस्तान बंद है और दिल्ली भी बंद है। सारी दिल्ली बंद होगी, सारा हिन्दुस्तान बंद होगा। अभी तक रोल बैंक नहीं किया है और रोल बैक करना चाहिए था। रोल बैंक नहीं किया बल्कि एक झुनझुना पकड़ा दिया...ऊपर से सीएनजी का मामला कर दिया।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, हम इस पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और प्रोटेस्ट में हम वाक आउट करते हैं। उससे पहले इस प्रकार की बात करना और सारी दिल्ली के करोड़ों लोगों के ऊपर महंगाई का भी असर है। पानी-बिजली का हा-हाकार तो है ही परन्तु ये सीएनजी और पैट्रोल का मामला बहुत भंयकर है।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब, आपका यह अपना विशेषधिकार है। आप यदि जाना चाहें तो जा सकते हैं लेकिन इस पर जाना बनता नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः सर, ये डेमोक्रेटिक रहा ही नहीं। we protest and walk out और आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा राइट है।

अध्यक्ष महोदयः आपने जो बात कही है। उससे मैं उससे मैं सहमत हूँ और मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेगी। मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेंगी। आपको उस पर जवाब देंगी। इसलिए आपको वाकआउट करने की जरुरत नहीं है। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे।....परन्तु 31 मई को सारा हिन्दुस्तान बंद होगा, दिल्ली बंद होगी।

....व्यवधान....

मुख्यमंत्रीः मल्होत्रा जी, आपजो अपना पूरा अभियान 31 मई को कर रहे हैं। ये उस स्टेस्टस में भी कर रहे हैं जहाँ..यानी मध्य प्रदेश..

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः आपकी समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है..

मुख्यमंत्रीः आप सुन तो लीजिए मेरा प्रश्न। इसीलिए मैंने आपसे कहा है।

अध्यक्ष महोदयः आप सुन तो लीजिए।..एक मिनट सुन लीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः कांग्रेस पार्टी को छोड़कर..

अध्यक्ष महोदयः सुन लीजिए। फिर बोल लीजिएगा।

मुख्यमंत्रीः अपने स्टेटस में भी आप कर रहे हैं तो हमने जो भी किया या किसी ने किया लेकिन आपके स्टेटस ने क्या किया?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः ममता बेनेर्जी भी कर रही है, डीएमके भी कर रही है। वहाँ पर वे भी कर रहे हैं। सारा हिन्दुस्तान कर रहा है।

(भाजपा के सभी सदस्य अपने आसनों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

डॉ. जगदीश मुखीः हम वाक आउट कर रहे हैं।

(भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः श्री जय किशन, प्रश्न सं. 2, श्री माला राम गंगावाल। डॉ. जगदीश मुखी जी, चौ. सुरेन्द्र कुमार, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अनिल झा, श्री प्रद्युम्न राजपूत, श्री तरविन्दर सिंह मारवाह, श्री एस.पी. रातावाल, (सभी अनुपस्थित) श्री प्रस्लाद सिंह साहनी, प्रश्न सं. 35 प्रस्तुत करें।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 35 प्रस्तुत है:

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली नगर निगम से जो साठ फुट चौड़ी सड़के लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हुई है, उनका रख-रखाव कब तक प्रारंभी होगा;और

(ख) चांदनी चौक विधान सभी क्षेत्र के अंतर्गत मैंगजीन रोड, मजनू का टीला, हेमिल्टन रोड, कश्मीरी गेट, अंडर हिल रोड़, राजपुर रोड, नया बाजार, मेन रोड चांदनी चौक तथा तमाम चांदनी चौक विधान सभी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी

विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 35 का उतर प्रस्तुत हैः

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा सौंपे गये रोड़ का रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया हैः

(ख) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंगजीन रोड, मजनू का टीला, हेमिल्टन रोड, अंडर हिल रोड, राजपुर रोड़, गोखले रोड व उसकी एप्रोच रोड टुवार्डस निकलसन रोड, सराय फूस रोड इत्यादि पर पैच रिपेयर व गड्डों को भरने का कार्य शुरु कर दिया गया है। सुदृढ़ीकरण के अनुमान दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा जांच के आधार पर जल्दी बना दिए जायेंगे। इस अनुमानों की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति के पश्चात टेंडर आमंत्रित कर कार्य कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः साहनी जी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कुछ सड़के ऐसी हैं जिन पर अक्सर पानी भरा रहता है। जिस तरह हेमिल्टन रोड है, रेलवे स्टेशन का पानी वहाँ अक्सर आया रहता है। हम लोग इन पर तार कोल की सड़क बना देते हैं। वह महीने दो महीने के अंदर टूट जाती हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ऐसी सभी जितनी सड़के हैं, जहाँ पानी का भराव ज्यादा है, वहाँ रेडीमिक्स कंकरीट की बना दी जायें।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पानी भर जाता है, अध्यक्ष

महोदय, वैसे तो जहाँ भी रोड़ बनाने की व्यवस्था हम करेंगे, ड्रेन की व्यवस्था भी हम करेंगे। साथ ही साथ उन रोडस पर लाइटस का और साइनेजेज का भी हम लोग इन्तजाम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर पानी ज्यादा भरता हैं तो वैसे भी हमने जो दिल्ली देहात की सड़तें हैं, वहाँ..हालांकि इसमें नहीं है, इस प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी पानी भराव वाली सड़के हैं, वहाँ पर हम लोग रेडीमिक्स कंकरीट करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 60 फीट से ऊपर की सभी रोड्स को लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है। इस 60 फीट वाले के अंदर यमुना पार की कुल कितनी सड़कें हैं और करावल नगर विधान सभा की सड़कों को लिया गया है या नहीं लिया गया है? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह इस रोड से संबंध नहीं रखता लेकिन अभी दूसरे प्रश्न के उतर मे यह..

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष महोदय, यह लोक निर्माण विभाग से संबंधित मामला है। आप इसके (क) भाग को पढ़ लीजिए। दिल्ली नगर निगम से जो साठ फुट चौड़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हुई है: उनका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि दिल्ली के अंदर कुल कितनी सड़के 60 फीट की रोड जो नगर निगम के पास थी, उनमें से कितनी सड़के आपने ली हैं और खास यमुनापार की कितनी सड़के और करावल नगर विधान सभी क्षेत्र में जो 60 फीट से ऊपर की सड़के हैं, उनको लिया गया है या नहीं लिया गया हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा कि 645 किलोमिटर रोड पूरी दिल्ली की एमसीडी से ली गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ था, तो 863 किलोमीटर रोड़ हम लोगों को लेनी थी। लेकिन अब तक आज तक जो हम लोगों ने ली हैं, क्योंकि बजट तैयार किया जाता है तो कुछ समय पहले उसकी कर्रवाई शुरु हो जाती है, लेकिन आज तक हमने जो रोड्स एमसीडी ने ली हैं, वह 765 किलोमीटर हम लाग ले चुके हैं और इस 765 किलोमीटर की पूरी दिल्ली की लिस्ट अध्यक्ष महोदय मेरे पास है। एक-एक एरिंया कि अगर माननीय विध ायकों को इसकी कॉपी चाहिए तो मैं पत्र के द्वारा आप सभी को भेज देता हूँ और अगर आप कहेंगे तो मैं टेबल भी कर देता हूँ जिससे कि सभी माननीय विधायकों को इसकी जानकारी मिल सके।.. नहीं पूरी लिस्ट..वहीं मैं कह रहा हूँ। 765 किलोमीटर में से जो 863 किलोमीटर में से अभी 98 किलोमीटर के लगभग ऐसे रोड्स हैं, जहाँ पर एमसीडी ने कुछ टैण्डर्स वगैरह उन्होंने किए हैं, जिस वह ये वह हैण्ड ओवर नहीं हो पायी हैं। इसे आगे 6 महीने के अंदर उन लोगों ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग को देना है।

अध्यक्ष महोदयः डॉ. जगदीश मुखी।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, सवाल एमसीडी के द्वारा ली गयी सड़कों का नहीं है। दिल्ली की सभी सड़कों का है। जो भी सड़क 60 फीट या इससे ऊपर की है, उसका रखरखाव पीडब्ल्यूडी करेगी। इसके तहत मैं यह जानना चाहता हूँ कि अनविकृत बस्तियों के अंदर जो 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, क्या उनको जो पहले एजेन्सीज मेन्टेन कर रही हैं, वहीं करेंगी या पीडब्ल्यूडी भी कर सकती है?

विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है, आप शुरु में ही अगर पढ़ें तो कहा है कि दिल्ली नगर निगम से। जो दिल्ली नगर निगम से 60 फीट या उससे ऊपर की रोड्स हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अनॉथराइज्ड कालोनीज के जो रोडस हैं, विकास मंत्रालय उनको बनाने की व्यवस्था कर रहा हैं।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय तो जो भी है, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। दिल्ली के अंदर जब आप मल्टिप्लीसिटी ऑफ अथारिटी समाप्त करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं, तो क्या उसमें यह वाजिब नहीं होगा कि 60 फीट से ऊपर की सारी सड़के पीडब्ल्यूडी मेन्टेन करे? वह भी गवर्नमैन्ट का फण्ड है, डिपार्टमैन्ट है, मिनिस्ट्री है, वह भी आपका डिपार्टमैन्ट है। मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था to do away with multiplicity fo authority. Shall the government consider 60 फीट से ऊपर की जो भी सड़कें हैं...यहाँ भी हैं, दिल्ली के अंदर उन सभी को पीडब्ल्यूडी मेन्टेन करे।

विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इनका सुझाव अच्छा है। उस पर आगे विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यह क्वश्चन है। दिल्ली नगर निगम से जो 60 फुट चौड़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग को ट्राँसफर हुई हैं। उनका रख-रखाव कब तक प्रारम्भ होगा। मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: विकास मंत्री जी, आप आधा जवाब पहले दे चुके। अब दोबारा से आपने यह कह दिया कि क्योंकि नगर निगम के बारे में पूछा गया है तो आपसे प्रार्थना यह है कि उनके प्रश्न का पूरा उत्तर भले ही आप अभी न दें, आप देखकर के भिजवा दीजियेगा।

विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, आपका जो आदेश है। मैं वो कर लूंगा लेकिन Unauthorized colonies में खास तौर पर यह डिपार्टमेंट मेरे पास भी रहा है। वहाँ पर

जो व्यवस्था विकास कार्य की है वा यू.डी डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का करता है। अब भी जो व्यवस्था है, P.W.D. ने दिल्ली नगर निगम की जो रोड्स ली हैं मैं उनकी व्यवस्था आपको बतला रहा हूँ और जिस तरह से आपने आदेश दिए हैं। मैं उसकी व्यवस्था करके इनको भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने जो सुझाव दिया है। आप उस पर भी विचार कर लीजियेगा। आप मुख्यमंत्री जी से बात करके उस पर भी विचार कर लीजिए। यदि अच्छा लगे तो उसको ग्रहण कर लीजियेगा। डॉ. जगदीश मुखी जी।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी में भी 60 फुट से नीचे की जो सड़कें हैं वो तो एम.सी.डी मैन्टेन करेगी। मेरा यही कहना है कि अनाधिकृत बस्तियों में भी 60 फुट से नीचे की जो सड़कें हैं वो यू.डी डिपार्टमेंट करे। 60 फुट से ऊपर की जो सड़कें हैं वो P.W.D. के पास आ जायें। कम से कम एक जगह तो हम uniformity लाकर खड़ी करें कि दिल्ली के अंदर 60 फुट से ज्यादा की जो सड़कें हैं, उसकी जिम्मेवारी P.W.D. की है। I think this will be appreciated by C.M. also. वो यह बताती हैं कि Multiplicity समाप्त की जाए। यह एक माइनर सा इश्यू है, जिसे सॉर्ट आऊट किया जा सकता है। I will request you humbly to think over it.

अध्यक्ष महोदयः ठीक है वो मान रहे हैं। वे इस पर विचार करेंगे। जय भगवान अग्रवाल जी।

श्री जय भगवान अग्रवालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विकास मंत्री जी से जानकारी चाहूँगा कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो सात आठ मीटर चौड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर आऊटर रिंग रोड सरस्वती विहार के दोनों तरफ सात मीटर चौड़ी P.W.D. रोड है।

उनकी मैन्टेनेंस P.W.D. करती है। स्वीपिंग एम.सी.डी करती है। उसके किनारे पर जो बरसाती पानी के नाले हैं, उनकी सफाई कौन करेगा अर्थात किसके पास व्यवस्था रहेगी?

अध्यक्ष महोदय: विकास मंत्री जी।

विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, जो रोड्स एम.सी.डी से आई हैं और जो P.W.D. पहले ही रोड्स को देख रहा था। वो चाहे सर्विस रोड हो या वो मेन रोड हों। ये कुछ समय से पहले इन नालियों की सफाई एम.सी.डी करती थी। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया कि ये जो 765 किलोमीटर रोड्स कॉर्पोरेशन से आई हैं और जो P.W.D. के रोड हैं। इनकी ड्रेन का जो कार्य है वो P.W.D. ही करेगा। हमने 765 किलोमीटर और लगभग 450 किलोमीटर P.W.D. के रोड्स की सफाई का कार्य क्योंकि हम लोग इस काम को पहली बार कर रहे हैं। इसके लिए टैन्डर इनवाइट कर लिए गए हैं और कहीं कहीं पर तो यह कार्य शुरु भी हो चुका है। जहाँ भी अभी शुरु नहीं हुआ है, वो तेजी से शुरु कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, जो सड़के मास्टर प्लान में 60 फुट या 60 फुट से अधिक हैं या सौ फुट की हैं, वो एम.सी.डी के पास ही थीं। एनक्रोचमेंट के कारण से या किसी करण से हैं लेकिन वो मास्टर प्लान में आज भी सौ फुट की हैं। उन्हें P.W.D. कब तक करेगी। उदाहरण के लिए, घौंडा विधान सभा क्षेत्र में मार्जिनल बाँध से पाँचवे पुश्ते से मौजपुर तक यहाँ पर सौ फुट की रोड का प्रावधान है। यह आपके पास है या नहीं है? वो मास्टर प्लान में सौ फुट है।

अध्यक्ष महोदय: विकास मंत्री जी।

विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने कहा कि मास्टर प्लान में वो रोड है। अध्यक्ष जी, यह मैं विशेषकर इन्होंने जो रोड की बात की है, मैं उसकी लिखित जानकारी आपको दे ही दूंगा। लेकिन जो रोड्स हमारे पास आये हैं। उसकी एनक्रोचमेंट भी अगर है तो हम लोगों ने जो रिकॉर्ड के ऊपर 60 फीट है, वो रोड हम ने लिए हैं। 60 फुट या उससे ऊपर अगर एनक्रोचमेंट भी है तो भी हम लोगों ने उसको हैन्ड ओवर किया है। सब से पहले व्यवस्था साहब सिंह जी हम उनके बनाने की कर रहे हैं। अगर वहाँ पर क्षेत्र में जरुरत है कि उस एनक्रोचमेंट को हटाकर भी रास्ता ठीक किया जाए। वो माननीय सदस्यों की जानकारी के हिसाब से हम लोग उसको भी पूरा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, भले ही एम.सी.डी ने किया या नहीं किया है लेकिन मास्टर प्लान में वो सौ फुट है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या नीति है?

अध्यक्ष महोदयः विकास मंत्री जी।

विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, यही निति है कि जो 60 फीट के रोड, सर मास्टर प्लान डी.डी.ए भी बनाता है। लेकिन जो कॉर्पोरेशन कर रही थी, जो रोड्स P.W.D. को हैन्ड ओवर हो गए हैं। उसकी व्यवस्था हम लोग ही देखेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, ये M.C.D. के पास थी, डी.डी.ए के पास नहीं। वहाँ पर वो मुश्किल से 40 फुट रह गई है। वास्तव में सौ फुट है। इस बारे में विधान

सभा में कई बार क्वश्चन लगाया जाता रहा है वो आपकी जानकारी में है। आपने कहा कि M.C.D. हमें हैन्ड ओवर करे। अब M.C.D. ने किया है अथवा नहीं किया है, यह हमारी जानकारी में नहीं है और मेरी जानकारी में किया भी नहीं है। वो सौ फुट की रोड है और मास्टर प्लान में है। This should be done.

अध्यक्ष महोदयः विकास मंत्री जी।

विकास मंत्री : ये चौहान जी, जब आपके पास लिस्ट पहुँच जायेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह भी रिक्वैस्ट करुँगा कि in case आपके क्षेत्र में कोई ऐसी रोड है जो 60 फीट के हैं या 60 फीट से ऊपर के रोड्स हैं। अगर वो हमें ट्राँसफर नहीं हुए हैं। कृपया उसकी भी जानकारी हमें दें। हम जो व्यवस्था M.C.D. से करें कि वो रोड P.W.D. को हैन्ड ओवर किए जायें और जो P.W.D. के रोड, मैं आपसे बार बार रिक्वैस्ट कर रहा हूँ कि M.C.D. से P.W.D. को ट्राँसफर हो गए हैं। Encroachment है तो भी हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे वो आप सब के साथ जिस तरह भी मीटिंग के आधार पर आप लोग कार्य करवाना चाहेंगे। हम करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, इतना जरुर है कि इन M.C.D. के रोडों कों तेजी के साथ बनवाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि निगम की मुखी जी वाली जो बात थी, मैं वो दोहराना चाहता हूँ। एक तो M.C.D. ने ये सड़के P.W.D. को नहीं दी हैं। P.W.D. ने ली हैं। कुछ सड़कें जो P.W.D. ने ली हैं। M.C.D. की कुछ ऐसी सड़कें हैं अनाधिकृत कॉलोनियों में Unauthorized regularizad colonies में M.C.D. जिनमें डवलपमेंट के कार्य कर रही है। उन सड़कों को भी क्या वो Unauthorized में हैं। लेकिन M.C.D. वहाँ

पर काम कर रही है। वो Unauthorized regularized colonies हैं। क्या उन कॉलोनियों में P.W.D. काम करेगी, नंबर वन। उसके बाद अनाधिकृत कॉलोनी के और लालडोरा के साथ में 60 फुट से ऊँची सड़कें जैसे लवली जी के इलाके में एक सड़क देवली में बाँध रोड के नाम से जानी जाती है। वो सौ फुट की रोड है। वहाँ पर भी M.C.D. काम कर रही है। उनको भी P.W.D. टेक ओवर करेगी या नहीं करेगी?

अध्यक्ष महोदयः विकास मंत्री जी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि Unauthorized regularized colony, जो regularized हो चुकी हैं। उसके आगे तो आप कम से कम आप Unauthorized हटा ही दीजिए और अध्यक्ष जी, regularized colony के अंदर........।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, आप अर्बन डवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, जवाब आने दीजिए। विकास मंत्री जी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, Unauthorized regularized colonies आप खुद ही कह रहे हैं। जब वो रेगुलराइज्ड हो गई तो उसके आगे से हम सबको हटा देना चाहिए। ये Unauthorized regularized colonies कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये उन कॉलोनियों की बात कर रहे हैं जो 1977 और 1980 में पास हो चुकी हैं। चौहान जी, वे उन कॉलोनियों की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हर क्वश्चन के बारे में बोलना।

.....अंतरबाधाएँ.....

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं रेगूलराइज्ड ही बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री रविन्द्र बंसल जी।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप विकास मंत्री जी को बोलने दीजिए।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कॉलोनियाँ 1977 और 1980 में पास की गई वो तो रेगूलराइज्ड हो चुकी हैं। आप बोलने में Unauthorized regularized colonies बोलते रहें। आपको एक आदत पड़ी है कि हरेक काम को Unauthorized regularized colonies बोलते रहें।

.....अंतरबाधाएँ.....

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं पूरी तैयारी से हूँ। आप कोई भी क्वश्चन का ऑन्सर पूछना चाहेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, आप रेगुलराइजड कहिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः विकास मंत्री जी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने समय भी बता दिया है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि रेगूलराइज्ड कहेंगे। रमेश जी।

श्री रमेश बिधूड़ीः सर उनका नाम Unauthorized regularized colonies इसलिए है कि वो basic amenities provide सरकार कर रही है। यदि लोग मकान बनाते हैं तो आज भी उनके नक्शे पास नहीं होते। आज भी उनको यह कहा जाता है कि ये Unauthorized colony हैं। वे वहाँ पर नक्शे से मकान नहीं बना सकते। इसलिए आज भी अगर आप उसको authorized कर दें तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। आज भी उनके नाम पर, यह हम नहीं कह रहे हैं। उनका नाम automatically सरकार यह बोलती है कि इनके नक्शे पास नहीं होंगे क्योंकि ये Unauthorized regularized colonies हैं। ये कॉलोनीज हन्ड्रैड परसेंट regularized colony नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है जी उन्होंने खुद ही बतला दिया है। श्री बंसल साहब।

श्री रविन्द्र नाथ बंसलः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि साठ फुट से ऊपर की सड़कों पर जो बरसाती नाले हैं, उनके बारे में था। जयभगवान जी ने पूछा था। मंत्री जी ने बताया था कि उनकी साफ सफाई का का पीडब्ल्यूडी करेगी। मानसून बारिश का मौसम आगे वाला है। वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या पीडब्ल्यूडी उसके लिए किसी इमरजेंसी की व्यवस्था करेगी और वो इमरजेंसी में कौन कौन रहेंगे? इसकी कोई सूचना सदस्यों को भी मिल पायेगी जिनसे संपर्क किया जा सके?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

विकास मंत्री: अध्यक्ष जी ये सभी सड़के जो कारपोरेशन से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हुई हैं, ये मार्च और अप्रैल का है और मई तक ये सभी सड़कें हमारे पास आएंगी। सवाल साथ में यह भी है कि साढ़े चार सौ किलोमीटर जो पीडब्ल्यूडी की रोड़, जो माननीय विध ायक श्री जयभगवान जी ने पूछा था, हम लोग सभी सड़को की सफाई के टेंडर हमने लगा दिये हैं। बहुत सी जगह कार्य शुरु भी हो गया है। लेकिन आपका जो क्षेत्र है और जैसा कि माननीय बंसल जी ने कहा कि इन रोड़ को इमरजैंसी के तौर पर लिया क्योंकि साढ़े चार सौ किलोमीटर, पहले एमसीडी इस ड्रेनस की सफाई करती थी और अब 765 किलोमीटर जो कि मैंने कहा कि हमारे पास आ गयीं हैं। इन सबको मिला कर के क्योंकि पहली बार पीडब्ल्यूडी अब करने की व्यवस्था कर रहीं है। इससे पहले एमसीडी करती रही है, लेकिन हम लोगों ने एमरजैंसी के तौर पर ही यह शोर्ट नोटिस लगाकर के इनके टेंडर की व्यवस्था की है और मैं समझता हूँ कि आपके एरिया के रोड़ के 31 मई तक टेंडर ओपन हो जाएंगे। इनको जल्द से जल्द कराने की हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री रविंद्र नाथ बंसल: अध्यक्ष जी, अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग हो जाए, मकानों के अंदर पानी भर जाए, उस एमरजेंसी के अंदर पीडब्ल्यूडी ने क्या कोई व्यवस्था की है? हम किस से जाकर बात करें क्योंकि एमसीडी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के पास है और एमसीडी को रात के बारह बजे भी उठाते थे तो वो लोग आ जाते थे।

विकास मंत्री: आपने सही सवाल उठाया हैं। बंसल जी मैं आपका जवाब देता हूँ। अध्यक्ष जी, इनका सवाल बिल्कुल जायज है। बरसात होते समय वाटर लागिंग होती है तो उसकी क्या व्यवस्था हम लोगों ने की? हमारे यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के जोन हैं, जो जोनल ऑफिस हैं, उन में भी थोड़ी मैनपॉवर है, हम लोगों ने टैंपों के द्वारा इमीजेट जहाँ की इस

तरह की वॉटर लॉगिग होती है तो इस तरह की व्यवस्था की है। अगर सड़कें इनकी साफ होती तो पीडब्ल्यूडी को लेने की शायद व्यवस्था ही नहीं पडती।

अध्यक्ष महोदयः श्री आसिफ खान।

श्री आसिफ मोहम्मद खानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूँ, ओखला जो कि मेरा विधान सभा क्षेत्र है। सात रोडो को एमसीडी ने पीडब्ल्यूडी को हैडओवर किया है। उनमें से उन्होंने एक रोड को इंकार कर दिया है। वो इसलिए कि वो जामिया से नूरनगर की तरफ को जाती है और सात फीट से ज्यादा चौडी है लेकिन बीच का एक पोर्शन है 20 मीटर का जो 50 फीट से कम है। अगर बीच में दस या बीस मीटर अगर साठ फीट से कम है और बाकी पूरी रोड शुरु से लेकर के आखि तक 60 मीटर से ज्यादा हैं तो उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है? उसको लेंगे या नहीं लेंगे?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय आसिफ साहब ने जो प्रश्न किया हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जो अभी तक की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार के मंत्री मंडल ने जो व्यवस्था की है और जो पहले थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एमसीडी के जो 60 फीट के रोड हैं, वो हम लोग ले रहे हैं और कहीं पर अगर कम रोड हैं तो वो एमसीडी ट्रांसफर नहीं कर रही है क्योंकि वा 60 फीट का नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार जो दिल्ली सरकार के यूडी विभाग ने किया वो 60 फीट की व्यवस्था की है और यहाँ तक भी उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि जो अंदर के रोडस हैं उन पर अगर इस तरह की व्यवस्था आये तो नहीं लें।

श्री आसिफ मोहम्मद खान: जो 500 मीटर रोड हैं उसमें सिर्फ 30 मीटर जो बीच का पोर्शन है वो 50 फीट के करीब है और जो 470 मीटर है वो 60 फीट से ज्यादा चौड़ी है।

विकास मंत्री: सर, अभी तक जो व्यवस्था है वो आठ फीट की है और अगर बीच में अगर कोई छोटा रोड है तो वो एमसीडी व्यवस्था करेगी।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अभी नगर निगम जिन सडकों की ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहा था उनको पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार ने ली है। क्या ऐसी सडकों की जिनकी हालत बहुत खराब है, उनको बनाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जिन को हमने एमसीडी से लिया हैं, उनको अभी शुरुआत में तो जो कहीं से टूटी फूटी हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, वहाँ पर पैचवर्क का कार्य तो हमने शुरु कर दिया है। अगर कहीं पैचवर्क का काम शुरु नहीं किया गया है तो वो माननीय सदस्य मुझे बताएं, उसे हम जल्द से जल्द करा देंगे। ये रोड़ टूटी फूटी थी तभी तो ये पीडब्ल्डी के पास आई हैं और पैचवर्क का काम शुरु कर दिया है। पूरे रोडस का हम अध्ययन भी करा रहे हैं कि किस तरह के रोड हम बनाएं। देखा ये जाता है कि अगर रोड नीचे से कमजोर है, उसको अगर हम अभी बना दें तो पता चला कि सेमीडेंस कर दी, उसको पूरी बनाने की व्यवस्था हम लोगों को करनी थी। रुड़की से और दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से दो एजेंसी से टेस्ट करा रहे हैं जिसमें 150 किलोमीटर के टेस्ट किये हुए हम

लोगों के पास आ गये हैं। जल्द से जल्द जो 765 बची हैं, इनकी अैस्टिंग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी और हम इनको बनवाये की व्यवस्था करेंगे। जैसे ही मानसून खत्म होगा और जो टेंडर पर काम आयेगा, वो हम जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। साथ ही यह विक्ष्वास भी देना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी के रोड इतने बढ़िया बने हुए हैं, उसी तरह से इन एमसीडी के रोडो को बना दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः भी नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एमसीडी की रोड़ तो आपने ले ली है लेकिन डीडीए की रोडों को कौन टेकओवर करेगा? दिल्ली में जो सडकें हैं, उनकी हालत एमसीडी से भी बुरी है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंत्री जी ये घोषणा करें कि डीडीए का विकास पूरा हो चूका है। मेरे क्षेत्र में ईडीएम से लेकर के सब्जी मंडी गाजी पुर तक आधी रोड़ पीडब्ल्यूडी के पास है, उसका बहुत अच्छाा रखरखाव किया हैं, इतनी मोटी आरसीसी में वो रोड डवलप हो चुकी है, उसी के बराबर में आधी किलोमीटर की जो रोड हैं वो डीडीए के पास हैं ओर 12 साल मुझे उसको देखते हुए हो गये। उन्हें भी इस हाउस में टेक ओवर करने की घोषणा की जाए। मंत्री जी इस पर भी क्योंकि वो भी दिल्ली का पार्ट हैं, वो भी इस दिल्ली सरकार के अगर कोई सड़कों की हालत खराब मिलती हैं तो डीडीए के लिए कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो प्रोपर्टी डीलर की दुकान बन चुका है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी इस पर भी अपनी रोशनी जरुर डालें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही कहा, नसीब सिंह जी ने, कि डीडीए की रोड्स भी ठीक नहीं हैं और इनके क्षेत्र में खास तौर पर मैं खुद भी गया था वहाँ पर रोड बनाने की जरुरत तो है लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली मंत्रिमण्डल में हम लोग इस पर विचार करके जो व्यवस्था होगी की जा सकती है और अभी ऐसी घोषणा करने लायक कम से कम, फिलहाल मैं घोषणा नहीं कर सकता लेकिन.....(व्यवधान)

श्री नसीब सिंहः आप उन्हें लेने का आक्ष्वासन तो दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी उन्हें भी टेक ओवर करेंगे।

लोक निर्माण मंत्रीः मैं तो नसीब सिंह जी कह ही रहा हूँ कि इस पर विचार किया जाएगा और जो व्यवस्था हो सकेगी जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री हरिशंकर गुप्ता जी।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, आक्ष्वासन तो दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः एक-एक ही पूछिये, अभी बहुत ज्यादा हैं, अभी काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, आक्ष्वासन देने में तो कुछ नहीं जाता। सर, आक्ष्वासन दिलवा दीजिए। सर, बहुत बुरी हालत है।

श्री हरिशंकर गुप्ताः अध्यक्ष जी,

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, कह दीजिए विचार होगा इस पर।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, मैंने तो कहा कि विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदयः कह दिया इन्होंने कि विचार किया जाएगा। हरिशंकर गुप्ता जी।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री हरिशंकर गुप्ताः अरे भाई, अब मुझे भी बोलने दो।

अध्यक्ष महोदयः नसीब, जी, बैठ जाइये। बिधूड़ी साहब, बैठ जाइये। हरिशंकर गुप्ता जी।

श्री हरिशंकर गुप्ताः अध्यक्ष जी, वास्तव में आज सदन में जो सड़कों के बारे में और पीडब्ल्यूडी के बारे में जो बात कही जा रही है। वास्तव में चौहान साहब और उनका विभाग बधाई का पात्र है कि पिछले ही कम से कम समय के अंदर, कम से कम मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में कह सकता हूँ कि जो सालों से सड़कें नगर निगम के निक्कमेपन के कसरण से गड्डों से भरी पड़ी थी, पिछले पंद्रह-बीस दिन में जो आस-पास भी विधायक रहते हैं, वो भी इस बात का तसदीक करेंगे और पंद्रह-बीस दिन....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर गुप्ताः एक मिनट, अरे बैठ जाइये। सुन लो, सुन लो। बेइमानी करके जीत गये। बैठ जाओ। घबराओ मत 20 सीटें कम हुई हैं आपकी भी।

अध्यक्ष महोदयः गुप्ता जी, बोलिये। आप अपना सवाल खत्म करिये। बिधूड़ी जी, बैठिये। झा साहब, बैठ जाइये।

श्री हरिशंकर गुप्ताः अध्यक्ष जी, जैसे नसीब सिंह जी ने कहा, अभी डीडीए की सड़कों के बारे में जो बात कही है। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे

यहाँ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सारी सड़कें लगभग 60 फुट से ज्यादा की है और वो सारी सड़कों की मेंटेनेंस आज तक बीसयों साल से नगर निगम करती थी। वहाँ आप पैदल भी नहीं जा सकते। गाड़ी की बात तो बहुत दूर की है। बंसल जी बैठे हैं इस बात की तसदीक करेंगे। उन सड़कों को, मेरा निवेदन यह है....(व्यवधान)

श्रीरवीन्द्रनाथ बंसलः सर, आज भी डेढ़-डेढ़ फुट पानी भरा हुआ है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ.....(व्यवधान)।

श्री हरिशंकर गुप्ताः एक मिनट, अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बंसल साहब, मेरी प्रार्थना यह है आप सभी से पीडब्ल्यूडी की रोड भी अच्छी बनवाइये और नगर निगम की भी इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। आप सब सदस्यों का ही फायदा है यदि रोड अच्छी बनती हैं तो।

श्री रवीन्द्रनाथ बंसलः सर, हम भी यही चाह रहे हैं......(व्यवधान)

श्री हरिशंकर गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि वजीरपूर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो रोड्स हैं पीडब्ल्यूडी उन रोड्स को भी मेंटेन करें यह सही है कि डीएसआईआईडीसी ने उनको टेक ओवर किया है.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदयः गुप्ता जही, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिये ना।

श्री हरिशंकर गुप्ताः अध्यक्ष जी, सवाल यह है मेरा हमारी जो रोड्स हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की रोड्स भी पीडब्ल्यूडी बनाये, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी ने कह दिया है सवाल भी आप कर रहे हैं और जवाब भी आपने दे दिया है।

श्री हरिशंकर गुप्ताः जवाब मैंने दिया ही नहीं। जवाब तो इनसे लेना है।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, कल ही बजट में मैंडम ने घोषणा की है कि डीएसआईआईडीसी को 50 करोड़ रुपया दिया है। वो ही एमसीडी के निक्कमेपन का हाल है कि डीएसआईआईडीसी ने इंडस्ट्रियल एरिया लिए हैं और वहाँ भी व्यवस्था की जा रही है उन रोडों को ठीक करने की।

अध्यक्ष महोदयः श्री दयानंद चंदीला जी।

श्री साहब सिंह चौहानः सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ.: आदरणीय अध्यक्ष जी......(व्यवधान)

श्री साहब सिंह चौहानः सर, यह प्रश्न का उत्तर आया है, प्रश्न संख्या 123 है। माननीय विधान सभा सदस्य' श्री जय प्रकाश अग्रवाल' द्वारा यह पीडब्ल्यूडी ने कहा है, जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा। 29.05.2012 को उत्तर दे रहे हैं, 'जय प्रकाश अग्रवाल' कौन मैम्बर हैं? होना चाहिए 'जयभगवान अग्रवाल' और लिखा है 'जय प्रकाश अग्रवाल' यह इनका मंत्रालय है।

अध्यक्ष महोदयः जयभगवान अग्रवाल साहब ने नाम बदल लिया होगा।

श्री साहब सिंह चौहानः सर, यह इनका मंत्रालय है, यह जरा देखें आप। सर,। प्रश्न सं. 123 का जवाब आप देखें।

अध्यक्ष महोदयः अग्रवाल साहब ने नाम तो नहीं बदल यिा। चंदीला जी, आप बोलिये।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ.: आदरणीय अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये। चंदीला जी, आप बोलिये।

श्री रमेश बिधूडीः अध्यक्ष जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः बोल्ने दीजिये। यह मैं भी देख रहा हूँ क्या बोलना चाहिए कया नहीं। आप बैठ जाइये। बिधूड़ी साहब, बैठ जाइये। आपके एक बार कहने से मैं निकलवा देता यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको निकलवाया जाये। चंदीला साहब, आप बोलिये।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ.: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, वर्ष 1977 और 1980 में......(व्यवधान)

श्री साहब सिंह चौहानः सर, आप इसमें व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जय प्रकाश अग्रवाल इसमें नाम दिया हुआ है, जय प्रकाश अग्रवाल दिल्ली विधान सभी का मैम्बर नहीं है। आप कोई व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः यह typographical mistake हो सकती है, छोड़ दीजिये इसे।

लोक निर्माण मंत्रीः सर, अनस्टार्ड है, मैं इसको चैक करवा लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इसको देख लेंगे कि किस ऑफिसर ने ऐसा किया है, उसको बोल देंगे। चंदीला जी, बोलिये।

श्री अ. दयानंद चंदीला अ.: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि वर्ष 1977 और 1980 या इससे पूर्व दिल्ली में जो भी अनधिकृत कालोनियाँ स्वीकृत हुई हैं, उनका बाकायदा XL-8D के तहत दिल्ली नगर निगम विकास करती रही है। वहाँ पर सड़कों का एक पूरा रिकार्ड है, जिसमें तकरीबन 450 पेज की वो बुक हैं। उसमें अभी भी ऐसी सड़कें हैं, जो दिल्ली नगर निगम ने 60 फुट, 80 फुट की अभी दिल्ली सरकार को नहीं दी है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पुस्तक के अनुसार जो सड़कें हैं वो भी दिल्ली सरकार लें, जिसमें 60,80 और 100 फुट की रोड है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि कुछ और भी रोड है। मैंने अभी जो सप्लीमेंटरी में पूछा गया अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा कि मैं सभी माननीय सदस्यों को इनके क्षेत्र के अंदर जो-जो भी रोड एमसीडी से हमारे पास ट्रांसफर हुए हैं, वो लिस्ट मैं सब को भेज दूंगा। मैंने तो आप सबसे अनुरोध भी किया है कि आप कृपया यह भी बताये कि आपके क्षेत्र में जो 60 फुट के रोड नहीं ट्रांसफर हुए हैं, वो हमें बताये तो हम एमसीडी से वो भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैंने तो पहले ही इस चीज का आक्ष्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। मनोज जी।

श्री मनोज शौकीनः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि नांगलोई नजफगढ़ रोड जिसके ऊपर कई-कई फुट के गड्डे हैं। पहले तो पिछले तो पिछले लगभग 4 साल से उस रोड को झेलते रहे कि कारपोरेशन बनायेगा,

वो सीआरएफ के पास पैसा लेने गए हैं आया, नहीं आया लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जब उसको टेक ओवर कर लिया है और सीआरएफ से पैसा भी आया है। उसको कितने दिन के अंदर शुरु कर देंगे और मेरे विधान सभी क्षेत्र के अंदर कराला, कंझावला और घेवरा, कंझावला और कंझावला से कुतुबगढ़ रोड यह बहुत ही जर्जर हालत में है क्योंकि मजबूर होकर मैंने अपना डेवलपमेंट फंड उसकी रिपेंयर के लिए पीछे जितना भी था, वो सारा उन रोडों पर लगाया। क्या पीडब्ल्यूडी जल्द उसको रिपेयर या उसको बनायेगी? मैं यह जानना चाहता हूँ।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मुझे पर्सनली मिलकर भी कराला रोड के लिए और इन-साइड रोड के लिए patch-work का अनुरोध किया था। मैंने अपने ऑफिसर्स को खास तौर पर चीफ इंजीनियर को हिदायत भी दी है कि इन पर patch-work का काम immediate start कर दिया जाए। जहाँ तक नांगलोई. नजफगढ़ का आपने पूछा है यह अध्यक्ष जी, इसके टेंडर हम लोगों के पास आ गए हैं और इसकी टेक्नीकल बिड हम लोगों ने खोल ली है, फाइनेंशियल बिड जो इसकी है, वो हम लोग खोल रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि जून के आखिरी तक इस रोड को हम शुरु करा देंगे। हालांकि इसके आरआर कट का पैंसा एमसीडी के पास गया हुआ है लेकिन दिल्ली सरकार यह नहीं देख रही है। दिल्ली सरकार यह देख रही है कि जिस तरह के पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, जिस तरह के सेंट्रल दिल्ली के रोड्स है। इसी तरह के दिल्ली देहात के रोड्स भी होने चाहिए। यह व्यवस्था हम लोग मजबूती के साथ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धर्मदेव सोलेकी जी।

श्री धर्मदेव सोलंकी: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदयः कुलवंत जी, अब तो कह दिया हैं देहात के रोड भी वैसे होंगे, आपको खुशी होनी चाहिए। सोलंकी साहब।

श्री धर्मदेव सोलंकीः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, यह जो रोडों की बात हो रही है, कितने रोड मंत्री जी ने लिये हैं, कितने दिल्ली सरकार न कारपोरेशन से लिए? यह जो यहाँ पर बात हो रही है क्या मंत्री जी इन रोडों का, कितनों का टैंडर हुआ है, कितनों का कब तक टेंडर होगा, उनके साथ नाले कितने है और कितने रोड कारपोरेशन बना चुकी है, यह सारी इस तरह की व्यवस्था क्या दिल्ली सरकार, आज जो बात हो रही है, यहाँ निकम्मेपन की और उसकी, आज कारपोरेशन में जो वोट पड़ी है दिल्ली सरकार के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो वोट पड़ी है दिल्ली सरकार के निकम्मेपन के कारण, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़ी है। आज मेरे विधान सभी क्षेत्र में और मेरे आस-पास के आठ-दस विधान सभा क्षेत्र है यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं। नजफगढ़ के हमारे सदस्य बैठे है। आज हमारे कारपोरेशन की जो सड़के बनी हैं 60 फुट की रोड भी, छोटी रोड भी आज दस साल अध्यक्ष जी, वो टूट नहीं सकती। दस साल तक नहीं टूटेंगी वो, ये बनाने की बात करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नीचे की सड़कों को देखेंगे वो कौन सी मशीन आयेगी। उस मशीन में घोटाला होगा, वो मशीन विदेश सये आयेगी। वो मशीन इटली से आयेगी। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ क्या जो रोड लिए हैं उन रोडो का, कितने रोड कारपोरेशन के द्वारा बनाये गये हैं, वो कितने आज तक ठीक है और जो रो दिल्ली सरकार बनायेगी वो कब तक बनायेगी। कितने टेंडर हुए हैं, कब तक टेंडर होंगे ? बाकायदा उनकी.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी। बस हो गया।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)

श्री धर्मदेव सोलंकी: वहाँ पर जो नाले हैं, आज दिल्ली को पानी नहीं दिया, गाँव का लालडोरा नहीं बढ़ा, कालोनियाँ पास नहीं हुई, बिजली की हालत यह हो गई हल्ला मचा रखा है यहाँ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी, बताइये। आप बैठिये। मंत्री जी।

श्री धर्मदेव सोलंकी: मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज लूट लिया है दिल्ली के गाँवों को......(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री धर्मदेव सोलंकी : आज हमारे गाँव में पानी नहीं है, एक मिनट सुनो..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ आज पालम गाँव की जमीन में दिल्ली देहात के गाँव क जमीना में हमारी छाती पर एयपोर्ट बना हुआ है। हमारी छाती पर दिल्ली कैंट बनी हुई है। Delhi Airport Station बना हुआ है। देश की दुनिया की सबसे बड़ी द्वारका कालोनी जो एशिया की सबसे बड़ी कालोनी बनी हुई है। वहाँ पर पानी है, पालम गाँव में मेरी कालोनियों में पानी नहीं है। 14 साल में यह जो इस तरह की बात कहते है, निकम्मेपन के कारण से आज गाँव में पानी नहीं हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बस ठीक है, सोलंकी जी, एक बात को बार-बार मत दोहराइये।

श्री धर्मदेव सोलंकी: मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो रोड हमने बना दिये, क्या उनका.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। आप बैठिये।

श्री धर्मदेव सोलंकी: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कभी-कभी बोलते हैं लेकिन पूरे डिपार्टमेंट के कार्यो को लेकर बोलते हैं।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, मैं सच्चाई बोलता हूँ। यहाँ केवल झूठा, फरेब की राजनीति हो रही है। कल कहा गया पानी, 24 घंटे पानी है।

लोक निर्माण मंत्री: सुन तो लो।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सौलंकी जी, बैठ जाइये। यह रिकार्ड में नहीं आयेगा। आप बैठ जाइये, हो गई बात। सोलंकी जी, बैठिये।

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, अगर मेरे क्षेत्र में 14 साल में फिल्टर पानी आया हो.....(व्यवयान)

अध्यक्ष महोदय: सोलंकी जी, बैठिये। मंत्री जी, जो भी कुछ कहा है वो दु:खी होकर के कहा है। उसमें बहुत सारी बातों की सच्चाई है तो मेहरबानी करके आप उस और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, क्वेश्चन तो है पीडब्ल्यूडी का। आप मेरे से कहो कि पानी की व्यवस्था भी करवा दें, इनका यह भी करवा दो तो मैं कहाँ से करवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदयः आप केवल रोड्स का बतला दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं रोड्स का बता रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं रोड्स के बारे में फिलहाल बता सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह 765 किलोमीटर माननीय सदस्य को बताया चाहूँगा कि 765 किलोमीटर रोड, 670 रोड हम लोगों ने कारपोरेशन से ली हैं। यह सारे के सारे रोड मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पूरा ज्योग्रफिया बताया....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप रोड्स का ही बताइये।

लोक निर्माण मंत्रीः ये सारे के सारे रोड्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनवाने की व्यवस्था की जायेगी। यह भी कह सकता हूँ कि सालों से यह रोड नहीं बनाये गये थें तब पीडब्ल्यूडी को लेने की, दिल्ली सरकार को लेने की जरुरत पड़ी। आप बोलने में कुछ बोल्ते रहें, आप जितने सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब को पता है कि दिल्ली नगर निगम के रोडों का हाल क्या है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, यह जो कारपोरेशन के बारे में फोबिया इनको है और हर आदमी मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री कारपोरेशन पर अटैक करता है। यहाँ पर यह चुनाव के अंदर पता लग गया कि दिल्ली सरकार के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट डाला है। इनको सब को एक फोबिया हो गया है। कारपोरेशन को

बदनाम करो, अपना पर्दा डाली अपी बेइमानियों पर और निकम्मेपन पर इसको बंद करना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है। कारपोरेशन वाले दिल्ली सरकार के खिलाफ शुरु कर देंगे यानी एक ही जगह पर अलग-अलग फोबिया हो गया, हर आदमी यही बोल रहा है।

अध्यक्ष महोदयः प्रो. साहब, दोनों तरफ का फोबिया मैं भुगत रहा हूँ। आपको दिल्ली सरकार का फोबिया है। उनको नगर निगम का फोबिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः हर मीटिंग में यही शुरु कर देंगे और इनको कारपोरेशन पर बोलने का राइट नहीं है......(व्यवधान)

उद्योग मंत्रीः किसी के बारे में कह दिया, आप 24 घंटे सिर्फ दिल्ली सरकार के आरोपों के बारे में बात करते हैं और कुछ नहीं करते.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गौस्वामी जी, बैठिये। अभी थोड़ी देर पहले बिधूड़ी साहब कह रहे थे फलां, फलां चीजों को निकलवा दीजिए। मैं निकलवाता, इसी समय दूसरी तरफ से भी वैसी बातें आ गई। मैं क्या करुं?

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः अच्छा देखिये, समय समाप्त होने वाला है, हमारे सामने दो महारथी और हैं। एक **'मिथला नरेश'** है, दूसरे **'देहात रत्न'** हैं। झा साहब, बोलिये।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो एमसीडी की.......(व्यवधान)। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पेरिफेरल लाइनें डली है, अभी एमसीडी की जो रोड थी वहाँ पर आरआर कट हमने एमसीडी को दिया था। अब

ऐसी कितनी रोडें हैं जहाँ पर हमने पेरिफेरल लाइनें डाली हैं और उसको पीडब्ल्यूडी ने अपने अंतर्गत ले लिया है और ऐसी किराड़ी की कुल कितनी रोडें हैं आपके पास कोई ऐसा आँकड़ा है कि किराड़ी की कुल कितनी रोर्ड आप ले रह हों और जहाँ आरआर कट..... ..(व्यवधान)।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, किराड़ी विधान सभा में....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: झा साहब, सवाल हो गया। आप बैठिये। जवाब सुन लीजिये।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, किराड़ी विधान सभा में मैक्सिमम इनके जो एरिया है वा अनअथोराइज कालोनियों से रिलेटिड है। अध्यक्ष जी, मैं उन रोड्स की बात कर रहा हूँ जो रोड हमने हैंडओवर की है। इसमें अध्यक्ष जी अगर आरआर कट का पैसा एमसीडी को भी जमा है वो हिसाब-किताब तो बाद में देखा जायेगा। इन रोडों का हम इसलिए देर नहीं कर सकते जो पीडब्ल्यूडी के पास आयी हैं कि आरआर कट का पैसा उनसे वापस लेंगे फिर उसको बनाने की व्यवस्था करेंगे। हमने एकमुश्त पूरी दिल्ली के रोडों को हम लोगों ने इनको बनाने की अच्छी किस्म की मजबूत रोड बने, जो कारपोरेशन से हम लोगों के पास आई है उसके बाकायदा टेस्ट किये जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर मजबूती को देखते हुए इन रोड को बहुत अच्छे रोडों को बनाने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री नीरज बसोया।

श्री नीरज बसोया: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने विध ान सभा क्षेत्र की और दिलाना चाहता हूँ। जहाँ एमसीडी से पीडब्ल्यूडी को रोड ट्रांसफर हुई है। लेकिन अमर कालोनी में जो रोड पड़ती है उस रोड पर प्रोपर ड्रेनीज सिस्टम है ही नहीं वह कलैप्स हुआ पड़ा है। आपके जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, वे चार दिन पहले उसको

देख कर गये हैं। अगर बारिश आ गई और आप जब तक काम ना करा पाए जो आप सम्बन्धित अधिकारी को डायरेक्शन दें कि वह पम्प आदि का इंतजात करके इमीडिएटली तैयार करके उस पर रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बारिश से पहले आप वहाँ पर काम चालू करा पाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, आपने खुद ही इस बात को कहा कि वहाँ पर हमारे अधिकारी गये और निरीक्षण किया। इसका मतलब यह भी है कि पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन रोडस के लिए लगा हुआ है। लेकिन अध्यक्ष जी हमें जो रोड मार्च-अप्रैल में मिले हैं, उनमें कुछ समय तो हम लोगों को चाहिए, लेकिन इतनी व्यवस्था हम लोगों ने जरुर की है कि कहीं वाटर लॉकिंग हो कहीं पम्प की जरुरत है। जो पीडब्ल्यूडी के पास पम्प हैं वो तो हैं, हमने बाकायदा बाजार से परचेज करने के आर्डर दिए हैं। रेंट पर लेने की जरुरत पड़ी तो वह भी लिए जाएंगे और एमरजैंसी के लिए वाटर लॉकिंग को क्लीयर कराया जाये, वह व्यवस्था भी हम लोगों ने की हुई हैं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. श्री रमेश बिधुडी: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बी.पी.एल. कार्डधारी हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि 300 से ज्यादा बी.पी.एल. कार्ड नवीनीकरण के लिए विभाग में लम्बित पडे हैं, जिससे गरीब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है;

(ग) उपरोक्त बी.पी.एल. कार्डो को कब तक जारी कर दिया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार की भविष्य में नए बी.पी.एल. कार्ड जारी करने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उर्जा मंत्री

(क) तुगलकाबाद विधान सभा में कुल 5129 बी.पी.एल. कार्डधारी हैं।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) क अनुसार।

(घ) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

22. श्री जय किशन : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुल्तानपुर माजरा विधान-सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई हैं?

(ख) इन सड़कों में कौन-कौन सी सड़क खराब हालत में है? और

(ग) इन सड़कों पर डेंस कारपेट का कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) दिनांकः 25.05.2012 तक दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई इस विधान-सभा क्षेत्र की सड़कों की सूची संलग्नक-'क' के अनुसार है।

(ख, ग) प्रथमदृष्टया सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इन सभी सड़कों की जांच दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग द्वारा की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट आने के बाद अनुमान 30.062012 तक सक्षम अधिकारी को भेज दिये जायेंगे। जाँच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण कार्य के अनुसार तैयार कर प्रेषित किये जायेंगे। अनुमान की प्रशासनिक व्यय स्वीकृति के पश्चात टेंडर आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा।

S.N.	*Name of Road*	*Start point*	*End Point*
Roads in the Constituency of Sh. Jai Kishan, MLA			
1.	Nangloi Rly. Stn to Sultanpuri Bus Terminal via Jalebi Chowk	Nangloi Rly. Stn.Corossing	Sultanpuri Bus Terminal
2.	Sultanpuri Bus Terminal to Flood Control Drain	Flood Control Drain.	Sultanpuri Bus Terminal
3.	Sultanpuri Main Road	Flood Control Drain	Jalebi Chowk
4.	Shani Bazar Road	Nangloi Rly Crossing	Sultanpuri Bus Terminal-G Block Sultanpuri Road
5.	H Block Road	H1/99 Sr. Sec. School	H3/1 Hari Enclave Ward No. 39 Sultanpuri

6.	Jagdamba Road	Main Sultanpuri Road	D-5/244(Jagdamba Market) Sultanpuri
7.	Bhalla Factory road	Main Sultanpuri Road	F-7/36 near Friends Enclave Ward No.40
8.	G Block Road Sultanpuri	Shani Bazar	G-Block

23. श्री सुभाष सचदेवा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाबी बाग, रिंग रोड पर स्थित श्मशान भूमि पर लोगों के आने-जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(ख) क्या इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? यदि हाँ, तो कब तक टेंडर आमंत्रित कर लिए जाएंगे?

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसके निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है?

(घ) उपरोक्त फुट ओवर ब्रिज को कब तक चालू कर दिया जाएगा? और

(ङ) जन्माष्टमी पार्क, पंजाबी बाग पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज का कार्य बीच में रुकने के क्या कारण हैं तथा यह कब तक पुनः प्रारंभ हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क),(ख)(ग)एवं (घ) दिल्ली मैट्रों रेल कॉरपोरेशन के निर्माण कार्य के कारण यह कार्य अभी नहीं हो सकता है। इसमें आगे की कार्यवाही मैट्रों लाइन बनने के बाद की जायेगी। विवरण संलग्नक- क में दिया गया है।

(ड़) जन्माष्टमी पार्क, पंजाबी बाग पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज को स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण रोक दिया गया था मगर अब यह कार्य प्रगति पर है। विवरण संलग्नक-ख में वर्णित है।

24. श्री सतप्रकाश राणाः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में कल कितनी आंगनवाडियाँ है;

(ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी आंगनवाड़ी है, इनका नाम व पता सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) नई आंगनवाड़ी खोलने का मापदण्ड क्या है तथा सरकार का दिल्ली में कितनी आंगनवाड़ी खोलने का लक्ष्य है;

(घ) प्रति आंगनवाड़ी किस-किस मद में सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है; और

(ड) एक आंगलवाड़ी वर्कर की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं?

श्री सतप्रकाश राणा

(क) दिल्ली में वर्तमान में 10607 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में नजफगढ़ एवं कापसहेड़ा परियोजना के अंतर्गत कुल 60 आंगनवाड़ी हैं, नाम व पता सहित पूर्ण ब्यौरा संलग्न है।

(ग) प्रत्येक जरुरतमंद इलाके में 400-800 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है। दिल्ली में स्वीकृत 11150 आंगनवाड़ी केंद्रों में से बचे हुए 543 आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया जारी है।

(घ) सरकार आंगनवाड़ी में निम्न मदों पर पैसा खर्च कर रही है:

1. आंगनवाड़ी केन्द्र का किराया -750 रुपये प्रतिमाह

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय-4000 रुपये प्रतिमाह

3. आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय-2000 रुपये प्रतिमाह

4. प्री स्कूल किट-1000 रुपये प्रतिवर्ष

5. मेडिसिन किट-600 रुपये प्रतिवर्ष

6. अन्य सामग्री-600 रुपये प्रतिवर्ष

7. पूरक पौषाहार-सभी पंजीकृत लाभान्वितों को निम्न आधार पर

   5 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन 5.5 रुपये प्रति महिला प्रतिदिन 6 रुपये प्रति कुपोषित बच्चा प्रति

(ङ) आगंनवाडी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों का ब्यौरा संलग्न है।

25. श्री मालाराम गंगवाल: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी वर्कर को चार हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है जो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार 'समान कार्य एवं समान वेतन' के सिद्धांत के आधार

पर इन वर्करों को दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी के समकक्ष वेतन देने पर विचार करेगी?

श्री मालाराम गंगावाल:

(क) आंगनवाड़ी वर्कर को 4000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान मानदेय के रुप में किया जाता है, वेतन एवं मजदूरी के रुप में नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

26. डॉ. जगदीश मुखी: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी नियम के अनुसार हर राशन कार्डधारी को अपने ही सर्किल में किसी एफ.पी.एस. से राशन प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्किल 30 में शिवनगर, विरेन्द्र नगर, जी ब्लॉक हरिनगर एवं बी. एफ. ब्लॉक जनकपुरी निवासियों को सर्किल के बाहर की एफ.पी.एस. से राशन लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है; और

(ग) सरकार इस कमी को दूर करके उक्त राशन कार्ड धारकों को उनके अपने ही सर्किल की एफ.पी.एस. से कब तक राशन उपलब्ध कराना आरम्भ कर देगी?

ऊर्जा मंत्री:

(क) विभाग का प्रयास रहता है कि कि सभी कार्डधारियों को नजदीक के उचित दर दुकान से राशन दिलवाया जा सके। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सके यह भी प्रयास किया जाता है कि राशन कार्डधारियों को अपने ही मंडल में स्थित एफ.पी.एस. से राशन मिल सके।

(ख) इस मंडल में एक नई एफ.पी.एस. खोलने का प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

27. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान-सभा क्षेत्र में वजीराबाद रोड पर मंडोली फाटक पर लोक निर्माण विभाग द्वारा एक साइड रोड बनाई जानी थी?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रोड का अब तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं?

(ग) उक्त रोड कब तक बना दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) यह क्षेत्र आरओबी-63 की सर्विस रोड का है जिस पर माइनर मरम्मत का कार्य समय-समय पर किया जाता रहा है। इस रोड की आवश्यकतानुसार सुधार हेतु प्रारम्भिक अनुमान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

(ग) इस रोड को बनाने के लिये रु. 326 लाख की योजना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्वीकृति मिलने के उपरांत अगले 8-माह में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य है

28. श्री कुलवन्त राणाः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के रिठाला विधान सभा क्षेत्र वर्ष 2003-04 में गरीबी के दायरे में आने वाले लोगों को राशन मुहैया करवाने की योजना बनाई थी;

(ख) क्या यह सत्य है कि इसके लिए राशन कार्डो का पुनः सत्यापन एवं मोहर लगाने का कार्य किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इन लोगों को राशन न देने के क्या कारण है;

(घ) जिन कार्डो पर मोहर लगी हुई है या पुनः सत्यापन हुआ है, उन कार्डो पर राशन देने के लिए क्या दिल्ली सरकार कोई योजना बना रही है, यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है, और

(ड.) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

उर्जा मंत्री

(क) जी नहीं, रिठाला विधानसभा के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं बनाई गई थी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा सन् 2007 में बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई राशन कार्डो का सत्यापन किया गया था तथा सन् 2008 में एक लाख से कम आय वर्ग के ए.पी.एल. कार्डधारकों के कार्डो पर मुहर लगाई गई थी।

(ग) जिन कार्डो का सत्यापन सन् 2007 में किया गया था या जिन कार्डो पर सन् 2008 में मुहर लगाई गई थी, उन सभी कार्डो पर राशन दिया जा रहा है।

(घ)एंव(ड़) उपरोक्त (ग) के अनुसार।

29. श्री श्रीकृष्ण त्यागीः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए सरकार राशन की दुकानों की संख्या बढाने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो नई राशन की दुकानें कब तक खोल दी जाएगी?

उर्जा मंत्री

(क) राशन के दुकानों के खोलने का आधार कार्डो की संख्या होती है न की जनसंख्या। बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कार्डों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर राशन की एक उचित दर दुकान खोलने की प्रक्रिया आरम्भं कर दी गई है।

(ख) प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

30. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों द्वारा अब तक कितने बेरोजागारों को रोजगार दिलाये गये,

(ख) क्या यह सत्य है कि रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जातियों को जातीय आधार पर नौकरियों में कोटा तय किया गया है,

(ग) यदि हाँ, तो अब तक किस किस जाति के लोगों को कोटे के आधार पर नौकरियों दी गयी।

लोक कल्याण मंत्री

(क) इस निदेशालय में ऑन लाइन प्रणाली दिनांक 15/06/2009 से प्रारंभ होने के पश्चात दिनांक 14/05/2012 तक कुल 9778 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये गये।

(ख) जी नहीं। दिल्ली सरकार में जाति नहीं बल्कि श्रेणी के आधार पर नौकरियों में कोटा तैयार किया गया है। जो निम्नलिखित है:- अनुसूचित जाति-15 प्रतिशत *अनुसूचित जनजाति- 071/2 प्रतिशत विकलांग -3 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग-27 प्रतिशत *सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति का कोटा दिल्ली में समाप्त कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त के आधार पर यह लागू नहीं होता है।

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
5 SHAM NATH MARG, DELHI 110054

REGISTRATION

Total Live Registration	Male	Female	Gen	SC	ST	OBC
803438*	576894	226544	472927	211331	12389	106791

as on 14.05.2012

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT OF NCT OF DELHI
5 SHAM NATH MARG, DELHI

PLACEMENT FOR THE YEAR 2010

	Month	*Req no.*	*Name of Org.*	*Name of post*	*Placements*						
					GEN	*SC*	*ST*	*OBC*	*PH*	*Exser*	*Total*
1.	Mar. 2010	2010001752	CBI	Steno	2	3					5
2.	Mar. 2010		MECON LTD	Assistant	3						3
3.	Mar. 2010	2010000280	CBI	Steno	1						1
4.	Apr. 2010	2010000261	NIA	Steno	4	1		2			7
5.	May. 2010	20100001031	ESI Dispensary	Water carries	2	2					4
6	Jun. 2010	2010001031	ESI Dispensary	Water carrier	1						1
7	Aug. 2010	2010001705	CBI	Sr. clerk steno	1						1
8	Aug. 2010	2010001133	DTC	Conductor	3840	2042	37	2088			8007
9.	Aug. 2010	2010001295	DTC	Driver	124	28	2	79			233
10.	Aug. 2010	2009000179	National legal service auth.	LDC				1			1
11.	Aug. 2010	2009000212	Sr. A.S. Khalsha Sr. Sec. School	PGT Psy	1						1

12.	Aug. 2010	2009000211	Sr. A.S. Khalsha Sr. Sec. School	PGT commerce	1			1			
13.	Aug. 2010	2009000215	Sr. A.S. Khalsha Sr. Sec. Shool	Assistant	1						1
14.	Aug. 2010	2009001488	LIC of India	Waterman	52	17	8	4			81
15.	Sept. 2010	2010001015	CCRT	LDC					1		1
16.	Sept. 2010	2010001584	Bharat Petfolium Corp.	Project Assist	2	1		1			4
17.	Oct. 2010	2010000006	Bharat Petrolium Corp.	Attendent iv					1		1
18.	Nov. 2010	2010000235	MCD, Edu.	Nursery Aya	107	109	3	62	9		290
19.	Dec. 2010	2010001355	Dilhi Social Welfare Board	Driver				1			1
20.	Dec. 2010	2010001714	Duttercup Conf. Ltd	Data Entry Opr.	1						1
21.	Dec. 2010	2009000260	Sr. Guru teg Bahadur Khalsa School	PGT PB.	1						1
22.	Dec. 2010	2009000261	Sr. Guru teg Bahadur Khalsa School	PGT. Comm.	1						1
23.	Dec. 2010	2009000265	Sr. Guru teg Bahadur Khalsa School	TGT Maths	2						2
24.	Dec. 2010	2009000266	Sr. Guru Teg Bahadur Khalsa School	Asstt. Tr.	2						2
				Total	4148	2203	50	2239	11	0	8651

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

GOVT OF NCT OF DELHI

5 SHAM NATH MARG, DELHI

PLACEMENT FOR THE YEAR 2011

Month	*Req no.*	*Name of Org.*	*Name of post*	*Placements*						
				GEN	*SC*	*ST*	*OBC*	*PH*	*Exser*	*Total*
1.	2011000010	CBI	SCS	4						4
2.	2010001150	Bhai Joga Singh Khalsha Sr. Sec	UDC	1						1
3.	2009000307	National Archives of India	Mechanic		1					1
4.	2010001053	CBI	LDC	3						3
5.	2011000019	Ministry of Labor & Employment	Jr. Hindi Transla	1						1
6.	2011000368	ESI	Water Carrier	2	2					4
7.	2010002096	Becil	Clerk	1						1
8.	2010002099	Becil	Mali		1					1
9.	2010002179	Gcmmfl	F.S.R.	1						1
10.	2010000058	NPM	Peon	1						1
11.	2010001349	Coast guard	Driver				1			1
12.	2010001351	Coast guard	Fitter				1			1
13.	2011000595	Pvt. Hospital	Fin. Analyst	1						1
14.	2010001825	CBI	SCS	3	1					4
15.	2011000501	St. Anthony's Girls Sr. Sec. School	TGT Maths	2						2
16.	2011000502	St. Anthony's Girls Sr. Ser. School	TGL English	2						2
17.	2011000503	St. Anthony's Girls Sr. Sec. School	TGT Hindi	1						1

18.	2011000504	St. Anthony's Girls Sr. Sec. School	TGT Sanskrit	1						1
19.	2011000505	St. Anthony's Girls Sr. Sec. School	TGT N. Science	1						1
20.	2009000251	H.M.D.A.V. Sr. Sec. School Darya Ganj	PGT Maths		1					1
21.	201000911	CPWD	Water carrier		4		1			5
22.	2009000232	Rawalpindi Sanatan Dharma Sr. Sec. S	Chowkidar	1						1
23.	2010000253	S.D.Hari Mandir Girls S.S.S	PGT Home Sc.	1						1
24.	2010000254	S.D.Hari Mandir Girls S.S.S	TGT English				1			1
25.	2011000332	L.I.C	Water Boy	15	21	2	8			46
26.	2011000765	L.I.C	Water Boy	10	20	2	2			34
27.	2009000268	SGTB Khalsa Girls Sr. Sec. School	Water Woman				1			1
28.	2010000203	NDMC	Apprentice	24	7	3	12			
29.	2009000310	BHEL	Pharmacist	2						2
30.	2010001010	BHEL	Nursing Assistant	2						2
31.	2010001507	HT Media Ltd.	DGM	1						1
32.	2010000227	Institue of Hotel Mngt. & Catering	Jr. Steno/Typist	1						1
33.	2010001168	ESIC	Water Carrier	1						1
			Total	83	58	7	27	0	0	175

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

GOVT OF NCT OF DELHI 5 SHAM NATH MARG, DELHI

PLACEMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2012

	Month	*Req no.*	*Name of Org.*	*Name of post*	*Placements*						
					GEN	*SC*	*ST*	*OBC*	*PH*	*Exser*	*Total*
1.	Jan.12	2011000724	LIC of india	Waterman	35	7					42
2.	Jan.12	2010000642	Raisian Bengali School	Labassistant	1						1
3.	Jan.12	2010000643	Raisian Bengali School	PGT Bengali		1					1
4.	Feb.12	2010000395	NDMC	Safai Karamchari							787
5.	March.12	2011001026	SGTB Khalsa Sr. Sec School	Librarian	1						1
6.	March.12	2011001069	SGTB Khalsa Sr. Sec School	TGT Punjabi	1						1
7.	March.12	2011001067	SGTB Khalsa Sr Sec School	TGT Maths	2						2
8.	March.12	2011001066	SGTB Khalsa Sr Sec School	PGT Com	1						1
9.	March.12	2011001065	SGTB Khalsa Sr Sec School	TGT Eng	1						1
10.	March.12	2011001068	SGTB Khalsa Sr Sec School	TGT N. Science	1						1
11.	March.12	2011001208	SGTB Khalsa Sr. Sec School	Assitnat Teacher	2						2
12.	March.12	2009000266	SGTB Khalsa Sr Sec Sch	Assitnat Teacher		1		1			2
13.	March.12	2009000268	SGTB Khalsa Sr Sec School	Water Women				1			1
14.	Apr.12	2012000520	LIC of India	Water Carrier	9	11		5			25
15.	May.12	2012000557	LIC of India	Water Carrier	63	10		11			84
				Total	117	30		18			952

31. श्री अनिल झा: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिछलें कई वर्षो से कुछ राशन की दुकानें (लगभग 14) खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ख) इन नई दुकानों को कब तक खोल दिया जाएगा व जो वर्तमान दुकाने चल रही है, उनमें क्या कुल अनाज को भविष्य में बढाए जाने की कोई योजना है;

(ग) राशन कार्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कागजातों की आवश्यकता है और कितने दिनों में राशन कार्ड एक उपभोक्ता को मिलना चाहिए;

(घ) किराएदार के लिए बी.पी.एल. कार्ड एवं अन्य कार्ड बनाने के क्या नियम है; और

(ङ) क्या विकलांगो, विधवाओ और बुजूर्गो को राशन कार्ड बनाने के लिए कोई छूट देने की योजना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। केवल 6 एफ.पी.एस की दुकान खोलने की सैद्वांतिक रुप से मंजूरी मिल चुकी है एवं मामला आगे की कार्रवाई हेतु विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार। फिलहाल अनाज को भविष्य में बढ़ाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूंची संलग्न है। संलग्नक (क) राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के 45 दिन के अंदर राशन कार्ड उपभोक्ता को मिल जाना चाहिए।

(घ) किरायदार के लिए बी.पी.एल. कार्ड एवं अन्य कार्ड बनाने के लिए संलग्नक (क) में दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है।

(ड.) बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई कार्ड बनाते समय विकलांगों, विधवाओं और बुजुर्गो को प्राथमिकता दी गई थी।

संलग्न 'क'

राशन कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. पहचान पत्र

निम्न में से कोई एक-

(क) आधार कार्ड (ख) ड्राइविंग लाइसेंस (ग) सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (घ) पैन कार्ड (ड.) पासपोर्ट (च) चुनाव पहचान पत्र

2. निवास प्रमाण पत्र

1. मकान मालिक के लिए-

निम्न से में कोई एक दस्तावेज-

(क) पानी का बिल (ख) बिजली का बिल (ग) लैन्ड लाइन टेलिफोन बिल (केवल एम.टी.एन.ए.ल का) (घ) पंजीकृत पावर आप आटर्नी (ड.) सेल एग्रीमेंट (च) पंजीकृत सेल डीड (छ) राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक (ज) पासपोर्ट

2. किरायदार के लिए-

निम्न में कोई एक दस्तावेज-

(क) मकान मालिक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ख) मकान मालिक के नाम से पानी का बिल या बिजली का बिल और रेंट एग्रीमेंट (ग) लैन्ड लाइन टेलिफोन बिल (केवलएम.टी.एन.ए.ल का) (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक (ड.) पासपोर्ट

32. श्री प्रद्युम्न राजपुत : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि राशन कार्योलय, सर्किल 33 के अंतर्गत वर्ष 2008 में विभाग द्वारा सफेद राशन कार्ड/ ए.पी.एल. राशन कार्डो पर राशन आबंटन हेतु मोहर लगाई गई थी

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कुल कितने राशन कार्डो पर मोहर लगाई गई थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन मोहर लगे राशन कार्डो में से काफी संख्या में ऐसे राशन कार्ड थे, जिनकी एन्ट्री उस समय विभाग के कम्पयूटर में दर्ज नहीं की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कितने राशन कार्ड हैं, जिन पर मोहर लगी थी किन्तु उनकी एन्ट्री कम्प्यूटर में नहीं की गई थी;

(ड.) क्या माननीय न्यायालय द्वारा इन मोहर लगे राशन कार्ड की एन्ट्री कम्पयूटर में दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं, यदि हाँ, तो कोर्ट के आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाए;

(च) कोर्ट के आदेश के बाद भी इन मोहर लगे राशन कार्ड की एन्ट्री कम्प्यूटर में दर्ज न करने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन कार्ड की एन्ट्री कब तक कम्प्यूटर में दर्ज की जाएगी तथा कब से इन गरीब कार्ड होल्डर्स को दिल्ली सरकार राशन उपलब्ध कराएगी?

उर्जा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) ऐसे 49,742 कार्डो पर मोहर लगाई गई थी। (क्षेत्रीय परिसीमन से पहले)

(ग) वैसे सभी कार्ड जो निर्धारित समय सीमा के अंदर मंडल कार्यालय में प्राप्त हुए उन सभी मुहर लगे कार्डो को कम्प्यूटर में दर्ज कर लिया गया था। लेकिन जो मुहर लगे कार्ड मंडल कार्यालय 33 में निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त हुए उन्हें कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया गया था।

(घ) ऐस स्टैम्प्ड कार्डो की संख्या 19750 हैं, जिनको कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया गया।

(ड़) जी हाँ। कोर्ट के आदेश की कापी संलग्न है। यद्यपि कोर्ट के इस आदेश के संबंध में विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पीटिशन दाखिल किया था। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14/05/2012 को आदेश जारी करके इन 19750 कार्डो की सत्या पन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जिसके अनुसार सत्यापन प्रक्रिया जारी है।

(च) उपरोक्त ''ड़'' के अनुसार। एवं (छ)

DASTI

No. 9546/DHC/WRIT/D-3/2012
NDOII 17.7.2012 Dated 19-5-12

From

The Registrar General
Delhi High Court
New Bell.

To

Government of NCT of Delhi
Food and Supply Department
Vikas Bhawan, I.P.Estate, New Delhi
(through its Commissioner)

Reg : R.P. No. 305/12 & C.M. No. 6160/12

WRIT PETTTION (C) NO. 7866/2010

Dr. B.R. Ambedkar Akhil Bhartiya SC/ST Vikas
Sangathan (Regd.) .....Petitione/s

Vs.

Govt. of NCT of Delhi

Sir,

I am direeted to forward herewith for information and immediate compliance/nccessary action a copy of order dated 14.5.2012 passed by Hon'ble Division Bench of this Court in the above noted ease alongwith a copy of memo of parties.

Please achnowledge receipt.

Your faithfullyd

BR/17.5.2012 A.O.J. (Writs)
for Registrar General

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

Civil Writ No 7866 OF 2012

IN THE MATTER OF:

DR. B.R. AMBEDKAR AKHIL BHARTIYA SC/ST

VIKAS SANGATHAN (REGD.) ....PETITIONER

VERSUS

GOVT. OF NCT OF DELHI ....RESPONDENTS

MEMO OF RARTIES

DR. B.R. AMBEDKAR AKHIL BHARTIYA SC/ST
VIKAS SANGATHAN (REGD.)

Office at: Harijan Chopal,
H-Block, Opposite Senior Secondary School,
West Sagar Pur, New Delhi-110046
(through Sh. Ram Swaroop, National President) ....PETITIONER

VERSUS

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Food and Supply Department,
Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
(through its commissioner) ....RESPONDENTS

S.P. YADAV & VIKAS YADAV
D/543/82 D/469/08
ADVOCATES FOR THE PETITIONER
CHAMBER NO.4 CIVIL SUPPLY BUILDING
TIS HAZARI COURTS, DELHI, 110054
Mb. 9971920505

NEW DELHI
NOVEMBER 15,2010

IN THE HIGH COURT OF DLHI AT NEW DELHI
W.P. (C) 7866/2010

DR. B.R. AMBEDKAR AKHIL BHARTIYA SC/ST VIKAS SANGATHAN (REGD.) ....Petitioner

Through

versus

GOVT OF NCT OF DELHI ....Respondent

Through

Mr. V.K. Tandon, Advocate.

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE SANJIV KHANNA

HON'BLE MR. JUSTICE R.V.EASWAR

ORDER (14.05.2012)

C.M. NO. 6161/2012

Exemption allowed subject to all just exceptions.
The application is disposed of.

R.P. NO. 305/2012

Issue notice to the petitioner/non-applicant returnable on 17^{th} July, 2012.

The applicant will file a chart indicating the verification conducted by them in respect of 19,750 card holders and their findings on the said verifieation. They shall also indicate whether any action has been taken against the departmental officers, who were responsible for filing of wrong affidavit and giving wrong instructrions to the counsel.

The applicant will examine whether the petitioner association can be associated with the process of verification so as to ensure that genuine card holders are duly served and are able to procure ration and kerosene oil Fair Price Shops and depots. We may note that we are not inclined to accept the submission of the applicant that the verification or application should have been filed in 2008. That will not be aground to reject the registration/ stamping of the said cards.

Dasti.

SANJIV KHANNA, J.

R.V. EASWAR, J.

MAY 14,2012 NA

PAGE NO- 125, 126 D

33. श्री तरविंदर सिंह मारवाह: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 60-फुट चौड़ी सड़कों का निर्माण कार्य व देखरेख लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब से? और

(ख) जंगपुरा विधान-सभा क्षेत्र में ऐसी कुल कितनी सड़कें हैं जिनका निर्माण व देखरेख लोक निर्माण विभाग करेगा? इसकी सूची क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ। 60-फुट व उससे अधिक चौड़ी सड़कें दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को मार्च, 2012 में रखरखाव हेतु हस्तांतरित की गई हैं उन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरु कर दिया गया है।

(ख) जंगपुरा विधान-सभा क्षेत्र में 60-फुट से ऊपर की सड़कें जो लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई हैं उनकी सूची संलग्नक-'क' के अनुसार है जिनका देखरेख लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

34. श्री एस.पी.रातावाल : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र अनुसार बी.पी.एल. के लाल अंत्तोदय अन्न योजना के पीले तथा ए.पी.एल.के कुल कितने कार्ड हैं;

(ख) सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के पीले, बी.पी.एल. के लाल तथा ए.पी. एल. के कार्ड बनाने की क्या योजना है; और

(ग) जिन ए.पी.एल. कार्डा की आय एक लाख रुपये हैं, उन्हें राशन मुहैया करवाने के लिए वर्ष 2008 में उन कार्डो पर मुहर लगायी गयी थी, शेष कार्डो पर मुहर लगाने का कार्य सरकार कब प्रारम्भ करेगी?

उर्जा मंत्री

(क) कार्डो की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचारधीन नहीं है।

(ग) फिलहाल कार्डो पर मुहर लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

35. श्री प्रह्लाद सिंह साहनी: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम से जो साठ फुट चौड़ी सडके लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हुई है, उनका रख-रखाव कब तक प्रारंभ होगा? और

(ख) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मैगजीन रोड, मजनू का टीला, हेमिल्टन रोड, कश्मीरी गेट, अंडर हिल रोड, राजपुर रोड, नया बाजार, मैन रोड चौदनी चौक तथा तमाम चांदनी चौक विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा सौंपे गये रोड का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मैगजीन रोड, मजनू का टीला, हेमिल्टन रोड, अंडर हिल रोड, राजपूर रोड, गोखले रोड व उसकी एप्रोच रोड टुवार्डस निकलसन रोड, सराय फूस रोड इत्यादि पर पैच रिपेयर व गडढों को भरने का कार्य शुरु कर दिया गया है। सुदृढीकरण के अनुमान दिल्ली कॉलेज आफ इंजीनियरिंग द्वारा जांच के आधार पर जल्दी बना दिये जायेंगे। इन अनुमानों की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति के पश्चात टेंडर आमंत्रित कर कार्य कराया जायेगा।

36. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम' से धन राशि प्राप्त कर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के उत्थान हेतु कोई ऋण आदि देती हैं

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षो में दिल्ली सरकार ने 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम' से धनराशि लेकर दिल्ली के कितने सफाई कर्मचारियों को मदद पहुँचाई हैं, उसका पूर्ण विवरण क्या हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार भविष्य में सफाई कर्मचारियों के उत्थान हेतु कोई नीति बना रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार कौन सी नीतियाँ बना रही है तथा वर्षानुसार सफाई मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य क्या हैं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ। दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों को दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण देने की योजना कार्यान्वित हैं।

(ख) चूँकि सफाई कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सफाई कर्मचारी वर्ग के लाभार्थी अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए बनाई गई योजना के तहत लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से गत वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में धनराशि लेकर किसी सफाई कर्मचारी को ऋण नहीं दिया जा सका।

(ग, घ) सरकार द्वारा दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से वर्तमान में निम्नलिखित ऋण योजनाएं कार्यान्वित हैं:-

1. कम्पोजिट ऋण योजना।
2. पाँच लाख रुपये तक की बिग ऋण योजना।
3. परिवहन ऋण योजना।
4. शैक्षिक ऋण योजना।
5. सरकारी संस्थानों के माध्यम से वोकेशनल प्रशिक्षण योजना। **यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा कम्पोजिट ऋण योजना की सीमा**

एक लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये तक कर दी गई हैं। यदि कोई सफाई मजदूर अनुसूचित जाति समुदाय से सम्बन्ध रखता है तो दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का लाभ उसे प्रदान किया जाता है। भविष्य में यदि सरकार द्वारा कोई नई योजना बनाई जाती है तो उसका लाभ भी उसे दिया जायेगा। इस वर्ग हेतु कम्पोजिट ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 50 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

(Tobe published in Part IV of the Delhi Gazette Extraordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRIITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
1, CANNING LANE, K.G. MARG, NEW DELHI-110001

F 41(22)DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/19874-884

Dated: 26 Nov 2010

NOTIFICATION

F 41 (22) DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/: In supercession of the NCT of Delhi Pension Scheme to Widows in the Age Group of 18 to 60 years Rules, 2007, Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules for assistance to widows, divorced, separated/ destitute or abandoned women.

1. Shart Title, Extent & Commencement:

1. These rules shall be called, The National Capital Territory of Delhi Pension Scheme to Women in Distress in the age group of 18 to 60 years Rules, 2010
2. They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
3. They shall come into force from the current financial year.

2. Aims and Objective: To provide social security by way of financial assistance to windows, divorced, separated, abandoned, deserted or destitute women in the age group of 18 to 60 year who have no adequate means of subsistence and are poor, needy and vulnerable.

3. Definitions: Inthese rules, unless the contest otherwise requires:

(a) "Applicant" means a person making an application to the authority prescribed under rule 5(ii) for seeking assistance.

(b) "Application from" means the form prescribed under these rules.

(c) "Family" means children, unmarried, divorced or separated daughters/ sisters, parents who are solely dependent on the applicant.

(d) "Financial Assistance" means recurring financial aid from the month next to the month of application under these rules till the age fo 60 years or the death of the person whichever is earlier.

(e) "Investigator" means an official appointed by the Department fo Social Welfare/Women and Child Development under rule 6.

(f) "Sanctioning Authority" means an officer appoInted under rule 6 to sanction the amount of financial assistance.

(g) "Women in Distress" means any widowed, divorced, separated, abondoned, deserted/destitute women or victims of domestic violence above the age of 18 till 60 years.

4. Eligibility: A woman in distress as defined in clause (g) of rule 3 shall be eligible for financial assistance under this scheme if.

(i) she has been residing in Delhi for more than 5 years preceding the date of application,

(ii) Her family's annual income does not exceed Rs. 60,000/- (Rs. sixty thousand);

(iii) she has a 'singly-operated' account in any Bandk for receiving the payment through electronic clearing system.

(iv) she is not receiving any pension from Central Govt./State Govt./ MCD and/or NDMC or any other source for this purpose.

5. Application for Financial Assistance:

(1) A woman eligible under this scheme shall apply for the grant of assistance in the prescribed appliction form which may be obtained free of cost from the, District, area MLA/ MP, Financial Assistance Section, Department or Women and Child

Development, GNCT of Delhi, I, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi- 110001 or downloadable from the websites of Samajik Suvidha Sangam or Department of Women and Child Development.

(2) The applicant shall submit the duly filled application form in the office of the concerned District Social Welfare/ Women and Child Development Officer, alongwith the following documents:

(a) proof of death of husband/ divorce decree/ separation papers/ divorce proceedings/any other document which establishes abondonment/ separation.

(b) for proof of death, the following documents shall be admissible:

(1) Deathcertificate issued by the Registrar, Births & Deaths;

(2) Receipt issued by authority at cremation ground/ graveyard;

(3) Death certificate issued by the Hospital at the time of Death;

(4) In case the death has occurred outside Delhi or in a village with no receipt of cremation ground, certificate of lacal prodhan of the vilage can also be accepted;

(5) Post mortem report;

(6) Any other document which clearly establishes the death of the husband, showing the time, date and place of death.

(c) for divorced/ separated/ abandoned or deserted women, any legal proceedings including reports in the police

station, Crime against Women Cell, Famity Counselling Centers (FCC), Delhi Commission for Women, National Commission for Women, Mahila Panchayats shall be admissible.

(d) proof of residence, which clearly shows at least five years of residence in Delhi. Any one of the folowing documents of any of the family members (as defined above) only may be submitted for residence proof-

(1) Ration card;

(2) Voter card;

(3) Passport;

(4) Driving license;

(5) Birth certificate issued by MCD/Registrar-Births &Deaths;

(6) Death certificate issued by MCD/Registrar-Births & Deaths;

(7) Insurance policy document;

(8) Immunization card of any family member;

(9) Medical records of treatment in Delhi;

(10) Electricity Bill;

(11) Water Bill;

(12) Telephone bill;

(13) Gas connection receipt;

(14) Bank passbook;

(15) Caste certificate issued in Delhi;

(16) Student I-card;

(17) Service identity card of public/ privale sector company/ established concern;

(18) Property document;

(19) Any other document which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi;

(e) Proof of age-any one of the folowing documents may be submitted for proof of age.

1. Birth certificate issued by MCD/ Registrar of Births & Deaths;
2. School leaving certificate of class last attended;
3. Matriculation/10^{th} certificate;
4. Hospital discharge slip at the time of birth of the child;
5. Driving license,
6. Passport;
7. PAN Card;
8. Ration Card;
9. Voter card;
10. Immunization card;
11. Age assessment medical certificate;
12. Any document issued by the Government/ Govt. recognezed body stating date and place of birth;

(f) all self-decleration by the applicant regarding her family income as written in the from.

(g) All documents shall be self-attested

(h) the applicant shall also attach a recommendation from the Member of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi/the Member of the Parliament of the area concerned or a Gazetted Officer of the Central/Delhi Govt. in support of his/ her application

(i) in case 'No Documentary Evidence' is available with the applicant in respect of proof of residence, te following shall be admissible:

(1) The inclusion of name of the person in the database of the Samajik Suvidha Sangam

(2) The applicant may produce any of the two witnesses from the following list in front of the DSWO/ DWCDO/any official deputed by the DSWO/ DWCDO or any official deputed by the DSWO/ DWCDO for the said purpose.

a. president or General Secretary of RWA of the locality

b. registered Shopkeepers/ Registered Doctors working in the locality (with their registration number)

c. two neighbours of the applicant with their contact details

d. registered women SHGs'/ Mahila mandals' President or General Secretary or authorized signatory

e. ICDS Supervisors/ ASHA workers of the area

f. Gazetted Officer of the Central/ Delhi Govt.

g. In case the applicants are emplyed in households/ shops etc. a letter from the employer about the number of years the applicant has been working with them.

(3) Along with the witness's statement, the relevant document for proof of his photo identity, residence and length of stay shall also have to be appended with the application, clearly showing that the witnesses themselves have been around in the same area for the number of years they claim to have known the applicant.

6. Verification and sanction of assistance : The District Social Welfare/ Women and Child Development Officer or Joint Director (FAS) shall be the competent authority for verification and sanction of the payment under the scheme. The competent Authority may satisfy him/ herself about the contents of the application by creening the documents submitted, by the applicant. In doubtful cases only, the Competent Authority may get the verification conducted through the departmental investigators or other officials or anganwadi workers specially deputed for the purpose.

7. Quantum of Assistance and Mode of payment:

(i) The rate of assistance shall be Rs. one thousand per month per head remitted to the bank account of the beneficiary on a wuarterly basis through ECS of RBI.

(ii) The assistance shall become payable from the month next to the month of application.

8. Continuation of Pension : Every year, each beneficiary shall have to submit a self-attested certificate about her marital status to the concerned District Social Welfare/ Women and Child Development Officer for continuation of pension.

9. Stopping of Assistance:

(i) The sanctioning authority shall have the right to stop payment

of assistance if at any stage it is found that it was sanctioned on furnishing of fake information or the conditions for which the assistance was granted no longer exist.

(ii) If it is found that the assistance was sanctioned on furnishing of false documents, penal action shall be initiated and appropriate liability fixed against people furnishing false documents.

(iii) If a person resorts to professional beggined, i.e. if the person has been apprehended and warned or any other proceedings conducted by the court in this regard aginst him/ her, the assistance shall be forfeited.

(iv) Assistance shall cease to be payable on the death of the beneficiary and if the person dies before receiving assistance for a particular period, the same shall lapse.

(v) The pension shall be stopped if:

(a) Awidow or divorcee remarrles.

(b) The separated/ deserted woman reconciles with ber husband/partner or remarries.

10. Change of address :

(i) It shall be obligatory for the person receiving assistance to intimate any change of address, alongwith proof, to the Sanctioning Authority within one month of such change.

(ii) Persons shifting to a place outside Delhi permanently shall not be eligible for this assistance.

11. Appellate Authority : In case of any grievances, the applicant may appeal to the Director, Department of Women and Child Development for redressal of her grievances in this regard and his decision shall be final.

12. Miscellaneous:

(i) The beneficiary who attains the age of 60 years shall automatically be transferred to the Old Age Pension Scheme.

(ii) If any applicant has already teken assistance under the scheme 'National Family Benefit Scheme' she can still avail of assistance under this scheme if tshe fulfills the other eligibility criteria.

(iii) Similarly, if the beneficiary is taking assistance under this scheme, they can still apply for assistance under National Family Benefit Scheme, provided the death of the primary bread winner has happenned within the last one year.

(iv) The beneficiary of the scheme shall not be debarred fom seeking assistance in the folowing schemes of finaccial assistance Ladli, Jan Shree Beema Yojans, Widows' daughter marrige and/or any other financial assistance schemes in existence the Department of Social Welfare and Women and Child Development simultaneously, provided she fulfills the norms.

(v) Areview and evaluation of the scheme as well as verification of the beneficiaries will be conducted every three years.

(M.K.PARIDA)

Secretary, Social Welfare &
Women and Child Development

(To be published in part IV of the Delhi Gazette Extraordinary)

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
G.L.N.S. COMPLEX, DELHI GATE, NEW DELHI-110002

F3 (1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/880-1891 Date : 4.11.09

NOTIFICATION

In superecession of Delhi unemployment Allowence & Subsistence Allowance Scheme for Persons with Special Needs 2008' published vide notification no. F 3 (1) FAS/UAPWD/DSW/06-07/9164-174 dated 17 April, 2008, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following rules for assistance of the caregivers of children with special needs and unemployed persons with disabilities.

1. Short Title, Extent and Commencement:

(a) These rules may be called 'Financial Assistance to Persons with Special Needs,2009'

(b) These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(c) These rules shall come into force with effect from date of notification

2. Aims and objectives:

1. To facilitate the care of children with special needs, acknowledging the high cost of care giving
2. To facilitate training and employability of persons with disability, so that they may fulfill their role and potential in society and lead a life of dignity.
3. To help ensure survival of the person with special needs and their family.

3. Definition: In this scheme unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the 'Persons With Disabilities (equal Opportunities, Protecition of Rights and Full Participation) Act, 1995' (1 of 1996)

(b) "Applicant" means 'a person with special needs' between o-below 60 years of age, who has applied for the financial assistance under this scheme or his/her parent(s), or the legal guardian or spouse or and adult child of the person;

(c) "Application form" means form prescribed under these rules.

(d) "Competent authority" means the authority eompetent to sanction the finaccial assistance under paragraph 6;

(e) "Family" means parents or if the parent (s) are not alive then legal guardian in case of the minor, unmarried, unemployed disabled person(s). In case of married desabled persons, it means wife /husband and minor or disabled adult children solely depandant on him/her.

(f) "Financial Assistance" means recurring financial aid till the age of below 60 years or the death of the person, as prescribed in these rules.

(g) "Guardian" means as defined in the 'Handbook on Legal Guardianship' referrel to in 'The National Trust'

(h) "Investigator" means an official appointed by the Department of Social Welfare.

(i) "Person with special needs" means a person suffering from not less than forty per cent of any disability as certified by a medical authority;

(j) "Disability" means-

(i) **Blindness :** refers to a conditon where a person suffers from any of the following conditions, namely:

(a) Total absence of sight; or

(b) Visual acuify not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

(c) Limitation of the field of vision subtending angle of 20 degree or worse;

(ii) **Low vision :** means a person with impoirment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate asssistive device;

(iii) **leprosy-cured :** means any person who has been cured of leprosy but is suffering from:

(a) Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(b) Manifest deformity and paresis but having sufficient monility in their hands and feet to enoble them to engage in normal economic activity;

(c) Extreme phsical deformity as well as advanced age which prevents him from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly.

(iv) **Hearing impairment :** means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational rang of frequencies.

(a) **Locomotors disability :** means disability of the

bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.

(b) **Cerebral palsy :** means a group of non-progressive condition of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development.

(c) **Autism :** means a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetiteve and ritualistic behaviour.

(d) **Mental retardation :** means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, which is specially characterized by sub normality of intelligence.

(e) **Mental illness :** means any diagnosable behavioural, mood, thought, perception or cognitive disorder that interferes with or limits a person's ability to live, work, learn and participate fully in his or her community.

4. Eligibility : The applicant shall be entitled for financial assistance on the fulfillment of following conditions :

(v) The applicants shall be between the ages 0-60 years;

(vi) The applicant shall be a resident of the National Capital Territory of Delhi for at least five years preceding the date of submission of application;

(vii) The applicant should have disability not less than forty per cent of any disability as defined under Section 3 (1)

(b) above;

(viii) The applicant shall not have the annual family income more than Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand only) from all sources;

(ix) The applicant shall have a 'singly-operated' accpimt om any Bank for receiving the payment through electronic clearing system. This provision may be relaxed in the case of minors, mentally challenged applicants or those who come under the purvieq of Legal Guardianship as per rules of National Trust.

5. Application for financial assistance:

(a) An application for financial assistance under these rules shall be made on preser bed form, which shall be available from GRC-SK, Deputy Commissiones Office (District Resource Centre), the office of the District Social Wlfare Officer, area MLA/MP, Financial Assistance Section, Department of Social Welfare, GNCT of Delhi, GLNS Complex, Delhi Gate, New Delhi or electronically downloaded from official websites of Samajik Suvidha Sangam or Department of Social Welfare.

(b) The applicant shall submit the duly filled application form to the concerned District Social Welfare Officer/GRC-SK/ DRC Unit, alongwith the following documents;

(i) Proof of residence, which clearly showsat least 5 years of residence in Delhi Any one of the following documents of any of the family members (as defined above) only may be submitted for residence proof-

(1) Ration card

(2) Voter card

(3) Passport

(4) Driving license

(5) Birth certificate issued by MCD/Registrar- Births & Deaths

(6) Death certificate issued by MCD/Registrar- Births & Deaths

(7) Insurance policy document

(8) Immunization card of the family member

(9) Medical records of treatment in Delhi

(10) Electricity Bill

(11) Water Bill

(12) Telephone bill

(13) Gas connection receipt

(14) Bank passbook

(15) Caste certificate

(16) Student I-card

(17) Service identity card of public/ private sector company/ established concem

(18) Freedom fighter identity card

(19) Pension document

(20) Ex-serviceman dependant certificate

(21) Property document

(22) Any other which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi

(ii) A copy of disabolity certificate issued by the Medical Board of the notified Hospitals of Govt. of NCT of Delhi or Govt. of India.

(c) Aself-declaration by the applicant regarding his/her family income & employment status as given in the form.

(d) All documents shall be self-attested in case of applicant submitting their forms directly to District Social Welfare Officer and by the GRC-SK or DRC Coordinators, if the application is being made through GRC-SK/DRC.

(e) In case ' **No Documentary Evidence'** is available with the aplicant in r/o proof of residence, proof of unemployment-

(i) The field staff deputed by GRC-SK Coordinator shall record statements of at least two of any of the following persons from the area about the applicant.

(ii) In case the applicant is applying directly to the District Social Welfare Officer, in a similar situation, the applicant will need t produce any of the two witnesses from the following list in front of the DSWO/ andy officialdeputed by the DSWO for the said purpose.

(a) Public representative such as MP of the area, MLA of the area

(b) President or General Secretary of RWA of the loclity

(c) Two neighbours of the applicant with their contact details

(d) Registered women SHGs'/ Mohila Mandals' President or General Secretary.

(e) ICDS Supervisors/ ASHA workers of the area

(f) Gazetted Officer of the Central/ Delhi Govt.

(iii) Along with the witness's statement, the relevant document for the photo identity proof, residence and lenghth of stay for the witnesses shall also have to be appended with the applicantion, clearly showing that the witnesses themselves have been around in the same area for the number of years they claim to have known the applicant. This would apply for all except Public representative such as MP of the area, MLA fo the area.

6. Verification and sanction of assistance : The concerned District Social Welfare Officer shall be the competent authority for verification and sanction of the payment fo unemployment allowance on the basis of survey report of GRC-SK/ DRC as also by screening the contents of the documents submitted. As a test check, in 5% of all cases submitted by the GRC-SK/DRC or in doubtful cases, the Competent Authority may get the verification conducted through the departmental investigators or other officials or Anganwadi workers specially deputed for the purpose.

7. Quantum of assistance & Mode of payment :

(a) Subject to the fulfillment of the provisions of the schems, an allowance will be remitted quarterly in the bank account fo the beneficiary @ Rs one thousand per month per head through ECS of RBI

(b) The assistance shall become payable from the month from which it is sanctioned.

8. In case of attaining employment/change of disability status of the beneficiary:

(i) If the beneficiary accepts/ joins any employment, it will be mandatory upon the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of attaining such a job, for discontinuation of allowance.

(ii) Similarly, if the disability level of the beneficiary becomes less than forty percent, it will be mandatory for the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of change of status, for discontinuation of allewance.

(iii) If the beneficiary fails to do so, the Competent Authority shall have the right to recover the amount of allowance remitted since the attainment of the aforesald employment/change of disability status.

9. Stopping of the Finaccial Assistance:

1. The Competent Authority shall have the right to stop payment of assistance, if at any stage it is found that it was sanctioned on furnishing of false information or the conditions for which the allowance was granted no longer exists.

2. Also, if the assistance was sanctioned on furnishing of false documents, penal action shall be initiated and appropriate liability levied against people furnishing false documents.

3. If a person resorts to professional begging, i.e. if the person has been apprehended and warned or any other proceedings conducted by the court in this regard against him/ her, the assistance shall be forfeited.

4. Assistance shall cease to be payable on the death of the beneficiary and if the person dies before receiving assistance for a particular period, the same shall lapse.

10. Change of Address:

1. Te applicant shall intimate any change of address alongwith proof of residence to the Competent Authority within one month of such change.

2. Persons shifting to a place outside Delhi permanently shall not be eligible for this assistance.

11. Appellate Authority : In case of any grievance, the applicant may appeal to the Director, Deptt, of Social Welfare for redressal of his/her grievance in this regard. The decision of the Director shall be final.

12. Miscellancous :

(a) The beneficiaries who attain the age of 60 years shall automatically be transferred to the Old Age Pension Scheme;

(b) If the applicant has already taken one-time assistance under the scheme 'Financial Assistance to Socially and Physically Disadvantaged Old & Infirm Persons' they can still avail of assistance under this scheme if they fulfill the other eligibility criteria;

(c) The beneficiaries of the scheme shall not be debarred from seeking assistance in the following schemes of financial assistance. Ladli, NFBS, Jan Shree Beema Yejana, Widows' daughter marriage and or any other financial assistance scheme in existence in the Department of Social Welfare and Women and Child Development simultaneously, provided they fulfill the norms.

(d) The Scheme would be reviewed and evaluated every three years.

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE LT. GOVERNOR OF THE NCT OF DELHI

(Debashree mukherjee)
Secretary, Social Welfare

F3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/ 1880-91 Dated: 4/11/09

Copy forwarded for information to:

(v) Secretary to the Lt. Fovernor of Govt. of NCT of Delhi

(vi) Secretary to the Chif Ministen fo Govt. of NCt of Delhi

(vii) Sectetary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi

(viii) Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi

(ix) Secretary to the Minister of Food & Supply, Govt. of NCT of Delhi.

(x) Secretary to the Minister Finance, Govt. of NCT of Delhi

(xi) Secretary to the Minister Industres, Govt. of NCT of Delhi

(xii) Secretary to the Minister Education, Govt. of NCT of Delhi

(xiii) Secretary to the Minister Health & Social Wlfare, Govt. of NCT of Delhi

(xiv) Secretary to the Minister Urban Development, Govt. of NCT of Delhi

(xv) Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

(Debashre Mukherjes)
Secretary, Social Welfare

WHO CAN APPLY FOR APPOINTMENT OF LEGAL GUARDIAN?

Under the National Trust Regulations, the following persons can apply for appointment of guardians before the Local Committee :

(a) The natural parents of the person with disability may apply jointly for being apponted as the legal guardian. If for any reason, one of the the perents is not there due to divorce, separation, death or imprisonment, the other available parent will apply singly and give the reasons as to why application is made singly. Proof as to one of the parents not being there is also to be provided to the Committes. Some parents (or one of them) may be too sick or infirm to be able to discharge any duties of a legal guardian and in that case also, proof of such condition must be provided to the Committee to enoble it to make up its mind.

(b) If the parents are not alive or both have been imprisoned or are incapable of discharging the duties of a legal guardian or are themselves dependant on others, the application for guardianship can be moved before the Committee by the siblings of the person with disability. Even in this case, the siblings will have to apply jointly and in the event of one sibling applying singly, no objection letters may be procured from the other siblings and submitted to the Committee. It will also be necessary to submit the reasons as to why all the siblings are not submitting their application joinly. Siblings include stepbrothers and stepsisters also.

(c) In the absence of parents or siblings, any relative of the person with disability can apply for appointment as his guardian. Such relatives will have to be related to the person with disability by blood adoption or marriage. Proof of such relationship will have to be provided to the Committee.

(d) In case a person with disability has neither any parent, sibling or relative, andy voluntary organization working in the area of

the disabilities covered by the National Trust Act, 1999 and registered with the National Trust under Section 12 of the said Act may apply for the guardianship of such person with disability. In such cases it is also open to an LLC to ask a voluntary organization to apply for the legal guardianship of such person.

CRITERIA TO BE FULFILLED FOR APPLYING FOR GUARDIANSHIP

All persons who apply for appointment of lgal guardianship must fulfill the following criteria.

- They mest be more than 18 years of age on the date of the application for guardianship.
- They must be citizens of India and not of any oter country even if they may be persons of Indian origin.
- They must be of sound mind and are not undergoing treatment for mental disorders.
- They should not have any record of criminal conviction and generally be persons of good reputation.
- They should not be themselves dependant on others for their living nor be destitute themselves.
- They should not be declared as insolvent by any Court of law.
- The Local Level Committee will look into all the aspects of the applicant to satisfy itself that the applicant is a person fit enought ot be entrusted with the duties of a legal guardian in the circumstances of each case.

37. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि किसी महिला ने यदि विवाह न किया हो और वह पूर्णतः अपने पिता के परिवार पर ही आश्रित हो परन्तु वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में न आती हो तो उसे किसी भी प्रकार की पेंशन/सहायता नहीं मिल सकती है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा बिना कानूनी तलाक दिए छोड़ दिया हो अथवा आपसी रजामंदी अथवा पारिवारिक पंचायत के सामने साधारण पेपर पर लिखा पढी करके छोडकर चला गया हो ऐसे मामलो में भी प्रकार की पेंशन/सहायता नहीं मिल सकती है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा नियम क्या है तथा यदि इन मामलों में भी पेंशन/सहायता का प्रावधान है तो स्पष्ट करें और नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें;और

(घ) कौन-कौन सी विकलांग पेंशन के लिए गार्जियन प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें और स्पष्ट करें कि कौन सा विभाग इसे बनायेगा और कितने दिनों में?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

(क) जी हाँ।

(ख) नियमावली अनुसार।

(ग) नियमावली की प्रति संलग्न है।

(घ) समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा विकलांगो के कल्याण हेतु चलाई जा रही विशेष जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विकलांगो/मनोरोगियों हेतु गार्जियन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। ऑटिजम, सेरेबर्ल पॉलिस, मंद बुद्धि एवं मल्टीपल डिसेब्लिटी ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण हेतु गार्जियन प्रमाण-पत्र उपायुक्त राजस्व विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है आवेदन प्राप्त होने के बाद 45 दिन के अन्दर प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। पुस्तकालय मे उपलब्ध है।

38. श्री ओ पी बब्बर: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

दिल्ली विधान-सभा में दिनांक 29.05.2012 के लिए निर्धारित माननीय विधायक श्री ओ पी बब्बर द्वारा पूछे गए तारांकित दिल्ली विधान-सभा में दिनांक 29.05.2012 के लिए निर्धारित माननीय विधायक श्री आ पी बब्बर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या: 38 के संबंध में।

उपरोक्त के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार का उत्तर निम्न है:

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट सेंटर से मीरा बाग तक बाहरी रिंग रोड को सिग्नल-फ्री करने के लिए डी.यू.ए.सी. से स्वीकृति ले ली गई है?

(ख) उपरोक्त योजना के लिए स्वीकृत रु. 2385 करोड़ में से वर्ष 2012-13 में खर्च करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त योजना के लिए 2385 करोड़ रुपए में से बाहरी रिंग रोड पर महावीर नगर और विकास कुंज के बीच फुट-ओवर-ब्रिज का प्रावधान किया गया है? और

(घ) इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी से वजीराबाद तक बाहरी रिंग रोड को एवं प्रेम बाडी पुल से आजादपुर तक रिंग रोड को सिग्नल-फ्री करने के लये रु. 2485/- करोड (न कि रु. 2385 करोड) के अनुमान बनाये गये हैं। जिन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रीमंडल समिति की 21.05.2012 को हुई बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया है। इस धनराशि में से इस वर्ष 2012-13 मैं रु. 200 करोड खर्च करने का अनुमान है।

(ग) जी हाँ।

(घ) कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद परियोजना को पूरा करने में 30 माह का समय लगेगा।

संलग्नक 'क'

Details of estimate submitted for projects of Signal Free Corridor from Vikaspuri to Wazirabad on Outer Ring Road & From Prembari Pul to Azadpur on Ring Road.

S.No.	*Name of work*	*Amount of Estimate*
1.	Comprehensice development of corridor (Outer Ring Road) between Vikaspuri to meera Bagh.	Rs. 559.60 Crore
2.	Comprehensice development o corridor (Outer Ring Road) between Mangolpuri to Madhuban Chowk.	Rs. 423.05 Crores
3.	Comprehensice development of corridor (Outer Ring Road) between Madhuban Chowk to Mukarba Chowk.	Rs. 421.79
4.	Comprehensice development of corridor (Outer Ring Road) and widening of NH-1 between Mukarba Chowk to Wazirabad Chowk.	Rs. 633.17 Crores
5.	Improvement of Corridor between Mukarba Chowk to Wazirabad Chowk. SH: C/o Parallel Road in Zone P-1 on other side of Nallah from Sanjay Gandhi Transport Nagar to Wazirabad Chowk.	Rs. 200.27 Crores
6.	Comprehensice development of corridor (Ring Road) between Azadpur to Prembari.	Rs. 247.17 Crores
	Total	Rs. 2485.05 Crores

39. श्री जगभगवान अग्रवालः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सर्कल नं. 13. रोहिणी में सन 2008 में ए.पी.एल. राशन कार्डो में विभाग द्वारा उन राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड पर अंडरटेकिंग लेकर, जिनकी आय एक लाख से कम है, मोहर लगाई गई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जिन राशन कार्डो पर मोहर लगाई थी, उन राशन कार्डधारियों को सस्ती दर पर गेहूँ, चावल और मिटटी का तेल मिलता था,

(ग) कितने राशन कार्डों पर मोहर लगाई थी और कितने राशन कार्डों पर गेहूँ, चावल और मिटटी का तेल मिलता है, और

(घ) जिन राशन कार्डो पर मोहर लगने के बाद भी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलता है, उसके क्या कारण है और ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता को राशन किस आधार पर मिलेगा, इसका विवरण सहित स्पष्टीकरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। लेकिन राशन कार्डो पर मुहर **'अंडरटेकिंग'** के आधार पर नहीं बल्कि **'शपथ पत्र'** लेकर लगाई गई थी।

(ख) जी हाँ। ए.पी.एल (स्टैम्प्ड) राशनकार्डों पर केवल गेहूँ व चावल मुहैया कराया जाता था। ए.पी.एल(स्टैम्प्ड) राशन कार्डो पर वर्ष 2001 से चीनी बंद कर दी गई थी तथा मिट्टी का तेल जून 2011 से बंद कर दिया गया है।

(ग) वर्ष 2009 में परिसीमन से पहले मंडल संख्या 20 (विधान सभा क्षेत्र बादली) में ए.पी.एल. कार्डो पर मुहर लगाने के दौरान लगाभग 31578 ए.पी.एल. कार्ड

के आवेदन जमा हुए थे लेकिन परिसीमन के बाद मंडल संख्या 20 का क्षेत्र बादली, मंगोलपुरी तथा बुद्ध विहार क्षेत्रों में बट गया था तथा मंडल संख्या 13 (विधान सभी क्षेत्र रोहिणी) जो कि परिसीमन के बाद, नया मंडल बना उसमें 10540 ए.पी.एल के मूहर लगे कार्ड हिस्से में आए व उन सभी पर गेहूँ व चावल मिल रहा है।

(घ) जिन कार्डो पर मुहर लगी है उन सभी पर राशन मिल रहा है। फिर भी यदि कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसपर नियमानुसार तुंरत कार्यवाही की जाती है ताकि किसी वैद्य राशनकार्डधारी को किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए।

40. श्री देवेन्द्र यादवः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया हो और बच्चों के भरण-पोषण का कोई भी साधन नहीं हैं उनके लिए सरकार की और से क्या योजना है;

(ख) क्या ऐसे बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार द्वारा इनके रहने व खाने आदि की व्यवस्था की गई है, यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की पेंशन या कामकाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है यदि हाँ, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए?

श्री देवेन्द्र यादव

(क) 1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बाल गृह चलाये जा रहे हैं, जिनकी सूचि संलग्न है। इन संस्थाओं में निराश्रित, अनाथ तथा अन्य

जरुरतमंद बच्चों को आश्रय, आहार, चिकित्सा शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधायें दी जीती है।

2. इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 41 बालगृह तथा 15 ओपन शेल्टर होम चलाये जा रहे है।

3. इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु सरकार ने धारा 29 दिल्ली किशोर न्याय (बालाको की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 के 6 बाल कल्याण समितियों का गठन किया है, जिनकी सूची संलग्न है। पुस्तकालय मैं उपलब्ध है।

(ख) उपर्युक्त संस्थाओं में बच्चो का आश्रय, आहार, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम अनुसार दिल्ली सरकार ये सुविधायें प्रदान करती हैं।

(ग) जी नहीं, लेकिन कम्प्यूटर, सिलाई कढ़ाई प्लंबिंग, जिरिएटिरक-केयर, नर्सिग ट्रेनिंग, ब्यूटिकल्चर इत्यादि के कोर्स कराये जाते हैं। जिससे वे संस्था से जाने के उपरान्त अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

96. श्री साहब सिंह चौहानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सत्य नहीं है कि यमुना विहार सी-4 से लेकर भजनपुरा पैट्रोल पंप तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्विस रोड के निर्माण संबंधी अनुमान बनाया गया है?

(ख) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है? और

(ग) कब तक इस सर्विस रोड का निर्माण प्रारंभ हो जाने की संभावना है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ। अनुमान बनाया जा रहा है। यह क्षेत्र दक्षिणी तरफ की सर्विस रोड काहै।

(ख) इस कार्य का प्रारंभिक अनुमान 20 जून, 2012 तक स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को भेज दिया जाएगा।

(ग) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति मिलने के उपरांत अगले 10-माह में यह कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

97. श्री साहब सिंह चौहानः उपरोक्त के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार का उत्तर निम्नवत हैः

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गामड़ी रोड 5-वां पुश्ता से यमुना साइड में पन्टून पुल को जाने वाली रोड़ से मिलाने के लिए एक नई रोड के निर्माण के लिए डी.डी.ए. से अनापत्ति मांगी गई थी?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए. ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर इस संबंध में उक्त जानकारियाँ व स्पश्टीकरण मांगे थे?

(ग) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग ने इसे गंभीरता से न लेकर अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है? और

(घ) इस रोड के निर्माण संबंधी शुरु से अब तक की सारी प्रगति का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) डी.डी.ए. की तरफ से अनापत्ति पत्र दिए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीडीए ने पत्र का उत्तर भी नहीं दिया है।

(घ) लोक निर्माण विभाग ने अनापत्ति हेतु डी.डी.ए. को पत्र संख्या: 20 (9)/सीआरएमएम-213/3090 दिनांक 12.1.2009 को जो निदेशक (एन. एल.), कमरानं, 303, ए-ब्लॉक, विकास सदन को संबोधित था, लिखा था 1 इस पत्र के उपरांत संबधित सहायक अभियंता/ कनिश्ठ अभिंयता ने डी.डी. ए. से संपर्क भी किया मगर अभी तक डी.डी.ए. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

98. श्री साहब सिंह चौहान: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि घोंडा विधान-सभा क्षेत्र की सड़कें व पंपिंग स्टेशन दिल्ली नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए हैं? इनका विस्तृत विवरण क्या है?

(ख) क्या यह सत्य है कि खजूरी चौक से शास्त्री पार्क को जाने वाली एम.बी.रोड के नीचे सर्विस रोड़ पर बहुत सारे दुकानदारों ने अस्थाई रुप से कब्जे किए हुए हैं?

(ग) क्या यह सत्य है कि इसी सर्विस रोड पर कई थ्री-व्हीलर्स, टैंपो मरम्मत का कार्य तथा हीरो होंडा एजेंसी की सैकड़ों मोटरसाइकिल व फट्टे वालों ने सड़क पर अक्रमण किया हुआ है? और

(घ) यदि हाँ, तो इस अतिक्रमण को हटाकर और फिर आगे यह सड़क यातायात के लिए सुगम रहे तो क्या स्थायी रुप से संबंधित जेई व एई की जिम्मेदारी नहीं लगानी चाहिए?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ। घोंडा विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क (यमुना विहार रेड लाइट से यमुना विहार डिपो तक) दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। इस संड़क की लंबाई 500-मीटर एवं आर.ओ.डब्ल्यू 80-फीट है तथा पंपिग स्टे की सूची संलग्नक-1 अनुसार है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) पुलिस एवं एस.टी.एफ. की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि इस सड़क पर सुगम यातायात सुनिश्चित करें।

99. श्री साहब सिंह चौहानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि मंगल पाण्डेय मार्ग संख्या: 59 वजीराबाद रोड पर खजूरी चौक पर फ्लाई ओवर बनने के बाद भजनपुरा व यमुना विहार रेड लाइट चौक पर बहुत अधिक जाम रहेगा?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में भजनपुरा व यमुना विहार रेड लाइट चौक के ऊपर एक फ्लाई ओवर निर्माण के लिए फिजीविल्टी संबंधी जांच का आश्वासन कई बार विधान-सभा में विभाग ने दिया है? और

(ग) इस फ्लाई-ओवर के निर्माण संबंधी अब तक की क्या-क्या योजना व प्रगति रिपोर्ट है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) मंगल पाण्डेय मार्ग संख्या : 59 वजीराबाद रोड पर खजूरी चौक पर फ्लाई ओवर बनने के बाद भजनपुरा व यमुना विहार रेड लाइट चौक पर बहुत अधि क जाम रहेगा, इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। वास्तविक स्थिति फिजिविल्टी रिपोर्ट के आने के पश्चिात ही पता चलेगी

(ख) इस संबंध में सैद्धांतिक संबंधी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है।

(ग) फिजिविल्टी कंसल्टेंट के लिए निविदा की तैयारी की जा रही है जो शीघ्र ही आमंत्रित की जाएगी।

100. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान-सभा क्षेत्र में स्थित सेक्टर-27 रोहिणी को नरेला से जोड़ने वाला पश्चिमी यमुना नगर का पुल पिछले कई वर्षो से टूटा हुआ है?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस पुल के पुनर्निर्माण हेतु दिल्ली सरकार द्वारा पैसा जारी किया जा चुका है? और

(ग) यदि हाँ, तो इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस पुल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हो पाया है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) यमुना नहर का पुल लोक निर्माण विभाग के अधिकार/कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(ख) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्स में लागू नहीं।

(ग) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

101. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान-सभा क्षेत्र में स्वर्ण जयंती विहार टीकरी खुर्द एवं बकौली गांव के सामने जी.टी.करनाल रोड पर रोड पार करते हुए आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ कुछ मौतें भी हो चुकी है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यहाँ रोड पार करने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने की कोई योजना है?

(ग) यदि हाँ, तो यहाँ फुट ओवर ब्रिज कब तक बनवा दिया जाएगा? और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) यातायात पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार हाँ।

(ख) यह रोड अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। लोक निर्माण विभाग के पास यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) क.सं. -'ख' एवं 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(घ) क.सं.-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

102. श्री विपिन शर्मा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर में स्थिल लोनी रोड को लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ा करने की योजना विभाग में लंबित पड़ी है?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि लोनी रोड को दोनों और से चौड़ा किया जाना है?

(ग) यदि हाँ, तो कितना इस रोड को चौड़ा किया जाएगा?

(घ) इस कार्य को विभाग द्वारा कब शुरु किया जाएगा?

(ड.) क्या इस रोड को चौड़ा करने में जो दुकानदार तथा क्षेत्रवासी प्रभावित होंगे, उन्हें इस स्थान के बदले में अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें मुआवजा सरकार देगी? और

(च) यदि मुआवजा दिया जाएगा तो किस आधार पर तथा उसकी प्रक्रिया क्या होगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) लोनी रोड पहले एम.सी.डी. के पास थी जो कुछ समय पूर्व ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। अभी इस रोड को चौड़ा करने की योजना लंबित नहीं है।

(ख) इस रोड का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। जिन कार्यो को किए जाने की अवश्यकता है, तदनुसार निर्णय लिया जाएगा तथा संभावित आवश्यक विकास कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् किए जाएगे।

(ग) क.सं.-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(घ) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य किया जाएगा।

(ड.) यह एक नीतिगत मामला है जिस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(च) क.सं.-'ड़' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

103. श्री विपिन शर्मा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आजकल 100-फुट रोड दुर्गापुरी में विभाग द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है?

(ख) यदि हाँ, तो इस नाले का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाना है?

(ग) इस निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है? और

(घ) यह समस्त निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) सड़क संख्या-68 की दोनों और ड्रेन की रीमोंडलिंग का कार्य, सड़क संख्या-66 से लेकर सड़क संख्या -69 तक किया जा रहा है।

(ग) कार्य को पूरा करने की समय-सीमा माह जून,2012 है।

(घ) यह कार्य माह जून, 2012 तक पूरा होने की संभावना है।

104. श्री विपिन शर्मा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मंडौली रोड, शाहदरा- अशोक नगर फाटक से शाहदरा फ्लाई ओवर तक पुन: निर्माण किए जाने की हालत में है?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर वर्षा ऋतु में पानी का भर जाना एक आम बात है?

(ग) यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को पुन: निर्माण करने की कोई स्कीम सड़क के लेवल को ठसीक करके पुन: बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि नहीं तो इससे क्या कारण हैं? और

(घ) क्या यह सत्य है कि इस रोड को डेंस करके बनाना है या मास्कट करके बनाना है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) मंडोली रोड़ शाहदरा-अशोक नगर फाटक से शाहदरा रोड पहले एम.सी.डी. के पास थी, जो कुछ समय पहले ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। इस रोड का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है जिसके पश्चात् जिन कार्यो को किए जाने की आवश्यकता है, तदनुसार निर्णय लिया जाएगा तथा संभावित आवश्यक विकास कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत किए जाएंगे।

(ख) यह सड़क कुछ समय पूर्व ही दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरिक हुई है और वर्षा ऋतु में पानी भर जाने जैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है।

(ग) क. सं.-'क' के उत्तर के अनुसार।

(घ) क. सं.-'क' के उत्तर के अनुसार।

105. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नजफगढ़ विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत एम.सी.डी. से कितने रोड स्थानांतरित हुए हैं व उनके रखरखाव की क्या योजना है?

(ख) इन सड़कों की मरम्मत का कार्य कब शुरु हो जाएगा? और

(ग) दिल्ली देहात की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) नजफगढ़ विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत एम.सी.डी. से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित 14 सड़कों की सूची संलग्नक-क के अनुसार हैं इन सड़कों के रखरखाव का कार्य शुरु कर दिया गया है।

(ख) इन सड़कों के रखरखाव का कार्य शुरु कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली देहात की सड़कों के निर्माण के लिए प्राक्कलन प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति हेतु दिल्ली सरकार में विचाराधीन है।

106. श्री मनोज कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुंडका विधान-सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

(ख) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पुन:निर्माण या मरम्मत करने की योजना है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) मुंडका विधान-सभा खेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निम्न सड़कें है:

1. नजफगढ़ से नांगलाई (भाग)
2. एन.एच.-10 (भाग)
3. नजफगढ़ से रोहतक रोड वाया डिचाऊं एवं हिरानकुंडना गाँव (भाग)
4. नजफगढ़ से बहादुर गढ़ (भाग)

(ख) जी हाँ। नांगलोई से नजफगढ़ एवं नजफगढ़ से बहादुरगढ़ सड़कों के पुन:निर्माण की योजना है।

(ग) इसे जून, 2012 के अंतिम सप्ताह तक शुरु कर दिया जाएगा।

107. श्री मनोज कुमार: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नांगलोई-नजफगढ़ रोड की हालत बहुत जर्जर है? नांगलोई पानी की टंकी के सामने गहरे-गहरे गढ्ढे हो चुके हैं? कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है?

(ख) उक्त रोड के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं? और

(ग) विभाग द्वारा कब तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरु कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ। नांगलोई से नजफगढ़ सडक की हालत बहुत जर्जर है।

(ख) इस रोड के पुनर्निर्माण के लिये निविदा सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

(ग) रोड के पुननिर्माण का कार्य जून, 2012 के अन्तिम सप्ताह तक शुरु कर दिया जायेगा।

108. श्री सुभाष सचदेवा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोती नगर विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित की गई हैं?

(ख) क्या लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों को नई बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है?

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सड़कों को इसके अंतर्गत लिया गया है व इन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

(घ) यदि नहीं, तो उक्त हेतु कब तक योजना तैयार कर ली जाएगी?

(ड.) क्या विधान-सभा क्षेत्रानुसार लोक निर्माण विभाग की फंड एलॉट करने की कोई योजना है?

(च) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस तरह की कोई योजना बनाने की योजना है? और

(छ) यदि हाँ, तो मोती नगर विधान सभा क्षेत्र का पूर्ण ब्यौरा दिया जाए।

लोक निर्माण मंत्री

(क) मोती नगर विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को निम्नलिखित सड़कें हस्तांतरित की गई हैं:

1. मेजर राजीव भसीन मार्ग
2. मेजर पंकज बत्रा मार्ग,
3. 80-फुटा मानसरोवर गार्डन रोड
4. टैगोर मार्केट बी-14, बस रुट कीर्ति नगर रोड,
5. सतगुरु राम सिंह मार्ग (एस.डी.पब्लिक स्कूल से पटेल रोड तक)
6. सतगुरु राम सिंह र्माग (पटेल रोड से जखीरा फ्लाई ओवर गोल चक्कर तक)
7. रामा रोड से रिंग रोड,
8. रोहतक रोड पंजाबी बाग फ्लाई ओवर से जखीरा
9. नजफगढ़ रोड राजा गार्डन से जखीरा तक

(ख) इन सड़कों के रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। इन सड़कों में से जो सड़कें खराब हालत में हैं उनको नया बनाने की योजना है।

(ग) सतगुरु राम सिंह मार्ग (एस.डी.पब्लिक स्कूल से पटेल रोड तक) तथा सतगुरु राम सिंह मार्ग (पटेल रोड से जखीरा फ्लाई ओवर गोल चक्कर तक) तथा रामा रोड से रिंग रोड के नवीनीकरण की योजना है। इन प्रस्तावित सड़कों कें नवीनीकरण की स्वीकृति आने के लगभग 2-माह के भीतर कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

(घ) बाकी सभी सड़कों की भी जांच करके जरुरत होने पर योजना दो माह में बना ली जाएगी।

(ङ.) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(छ) क्र.सं.-'च' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

109. श्री सुभाष सचदेवाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की रोड नं. -34 व रिंग रोड पंजाबी बाग पर एक सिंगल लेन फ्लाई ओवर को डबल लेन करने की कोई योजना है?

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी व इस पर कितनी लागत आएगी?

(ग) यह कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

(घ) यदि नहीं, तो यातायात सुचारु रुप से चलाने के लिए क्या कोई योजना तैयार की जाएगी व कब तक?

लोक निर्माण मंत्री

(क) लोक निर्माण विभाग सेसमक्ष अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) जन्माष्टमी पार्क से मोती नगर टी-पाईट तक सड़क के चौड़ीकरण का प्रावधान है प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया

है। यह कार्य प्रशासनिक अनुमति एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आठ माह के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है।

110. श्री मालाराम गंगवालः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पंजाबी बाग रिंग रोड, टी-प्वाईट पर डबल पुल बनाने की कोई योजना है?

(ख) इसी प्रकार पंजाबी बाग श्मशान घाट के सामने एंकतरफा पुल बना है क्या इसे भी डबल बनाने की कोई योजना है।

(ग) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्या नहीं?

लोक निर्माण मंत्री मंत्री

(क) लोक निर्माण विभाग के समक्ष अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) लोक निर्माण विभाग के समक्ष अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

111. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वजीराबाद रोड पर फुट ओवर ब्रिज लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाना था।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त ब्रिज अब तक क्यों नहीं बनाया गया? और

(ग) यह ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) इस स्थान पर फुट और ब्रिज प्रस्तावित था। परंतु अब इस रोड पर बी.आर. टी. कॉरिडोर का नया प्रस्ताव आ गया है। बी.आर.टी. के साथ ही फुट ओवर ब्रिज की प्लानिंग भी की जाएगी।

(ख) क्रम संख्या-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) क्रम संख्या-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

112. श्री कुलवंत राणा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सह सत्य है कि लोग निर्माण विभाग की सड़कों के साथ स्थित बड़े नालों की सफाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती थी, यदि हाँ, तो क्या अब दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थानांतरित सड़कों एवं नालों की सफाई लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी?

(ख) क्या इन नालों की मानसून से पहले सफाई करने के लिए लोग निर्माण विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जाए, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(ग) इन नालों की सफाई का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा? और

(घ) रिठाला विधान-सभा क्षेत्र से संबंधित ऐसे कितने नाले हैं, पूर्ण विवरण सूची सहित दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) इन सड़कों के साथ ही नालियाँ जो सड़कों का पानी ले जाने के लिए बनाई गई हैं, उनकी सफाई लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। बड़े नालों की सफाई दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा की जाती है।

(ख) बरसाती नालियों की सफाई का कार्य शुरु कर दिया गया है जिसे मानसून से पहले पूरा करने की योजना है।

(ग) सड़कों के साथ की नालियों की सफाई का कार्य प्रगति पर है।

(घ) संलग्नक - 'क' के अनुसार।

113. श्री कुलवंत राणा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली की प्रमुख सड़कें लोग निर्माण विभाग को दी गई है? यदि हां, तो कुल कितनी व कौन-कौन सी सड़कें दी गई हैं।

(ख) क्या यह सत्य है कि इन सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है? यदि हाँ, तो इनको बनाने की दिल्ली सरकार की क्या योजना है और कब तक इनका निर्माण करवा दिया जाएगा? और

(ग) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को दी गई है, पूर्ण विवरण सूची सहित मुहैया करवाई जाए?

लोक निर्माण मंत्री

(क) दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को 60-फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हस्तातरित हुई है जिसकी संख्या : 614 है। संलग्नक-'क' एवं 'ख' के अनुसार।

(ख) दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित सभी सड़कों की हालत खराब है। ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य प्रगति पर है। जो सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं उनकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की से आवश्यक जांच/सर्वे कराने के उपरांत सड़कों के नवीनीकरण के प्राक्कलन आवश्यक स्वीकृति हेतु सरकार को भेजे जा चुके हैं एवं कुछ प्राक्कलन भेजे जा रहे हैं। आशा है सभी कार्य अक्टूबर 2012 में शुरु कर दिए जाएंगे जो जून 2013 तक पूरे करने का लक्ष्य है।

(ग) विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

114. श्री कृष्ण त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुराड़ी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन आती हैं तथा इन सड़कों को बनाने का निर्माण कार्य कब से शुरु किया जाएगा? और

(ख) बुराड़ी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन कौन-कौन से कार्य आते हैं जिनको लोक निर्माण विभाग कि फंड से करवाया जा सकता है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) 1. बुराड़ी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन केवल बुराड़ी बख्यतावरपुर रोड जोकि बाहरी रिंग रोड़ संख्या: 50 से मुखमेलपुर बंद तक जाती है, ही जाती है।

2. इस रोड़ पर एम.सी.डी. के द्वारा हाल ही में कार्य कराया गया है एवं कुछ कार्य प्रगति पर है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

115. श्री कृष्ण त्यागी: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़क शालीमार पैलेस, बुराड़ी से विजय चौक की हालत बहुत ही दयनीय है? और

(ख) यदि हाँ, तो यह सड़क कब तक बन जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) माननीय विधान-सभा सदस्य द्वारा प्रश्न में वर्णित सड़कें अभी लोक निर्माण विभाग को दिल्ली नगर निगम से हस्तांतरित नहीं हुई हैं।

(ख) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

116. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी पुस्ते एवं सर्विस रोड़ के रख रखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्विस रोड़ से करावल नगर विधान-सभा क्षेत्र के लोगों का आवागमन होता रहता है?

(ग) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा यहाँ किस आधार पर तथा किसी स्वीकृति से पाइप लाइन डाली जा रही है?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पुस्ते के दूसरी तरफ डी.डी.ए. की खाली जमीन होने के बावजूद यहाँ पाइप नहीं डाली गई, इससे क्या कारण हैं? और

(ङ) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस रोड़ के कटिंग के लिए कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है तथा इस सर्विस रोड़ की कब तक मरम्मत कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) उत्तर प्रदेश जल निगम एक अनुमोदित प्रोजेक्ट जो शहरी विकास मंत्रालय के CPHEEO विभाग द्वारा पारित है, पर कार्य कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 914/196 के आदेश स्वरुप यह कार्य करवाया जा रहा है। भारत सरकार के इस मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट के लिए पाइप लाइन डालने की अनुमति लोक निर्माण विभाग ने प्रदान की है।

(घ) जी नहीं। कुछ हिस्से में पुश्ता की यमुना साइड की खाली जमीन पर लाइन डाली गई है। परन्तु जहाँ पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाला बहता है, वहाँ पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण करावल नगर (आबादी की तरफ) की साइड में लाइन डाली गई है।

(ङ) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस रोड़ की कटिंग के लिए रु. 50 लाख की धराशि जमा करा दी गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम का कार्य पूरा होने के बाद तीन माह में सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी।

117. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी चौक से बृजपुरी तक एक सर्विस रोड बनी हुई है?

(ख) यदि हो, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्विस रोड़ का प्रयोग यहाँ के नागरिकों द्वारा ट्रेफिक जाम के समय किया जाता है?

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्विस रोड़ पर स्थानीय दुकानदारों/ रेहड़ी खोमचे वालों द्वारा अनाधिकृत कब्जे किए गए हैं? और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा विभाग द्वारा इसे कब तक खाली करवा दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सर्विस रोड़ पर से रेहड़ी/ खोमचे वालों को हटा दिया जाता है परंतु ये पुनः आ जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस विभाग को भी लिखा जा चुका है।

(घ) समय-समय पर अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक इन्हें हटाने की कार्यवाही की जाती है। परंतु ये बार-बार आ जाते हैं। एम.सी.डी. और दिल्ली पुलिस द्वारा इन्हें हटाने की कार्यवाही अपेक्षित हैं।

118. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोडों पर कहाँ-कहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तथा हाईमास्टर लाइटें लगाई गई हैं? उनका विवरण दें,

(ख) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लागई गई हाइमास्ट लाइटें तथा स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव न होने के कारण अधिकतर लाइटें बंद रहती हैं?

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि स्ट्रीट लाइटें ठीक न होने के कारण नानकसर गुरुद्वारा से जी.टी. रोड़ वे खजूरी चौक से यू.पी. बॉर्डर व खजूरी से भजनपुरा पर आए दिन रोड एक्सींडेट होते रहेते है ?और

(घ) इन लाइटों को ठीक न कराए जाने के क्या कारण हैं तथा सभी लाइटें कब तक ठीक हो जाएंगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में खजूरी चौक से सभापूर (यू.पी. बॉर्डर) पर नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इन स्थानों पर पुरानी हाईमास्टर लाईट भी लगी हुई है।

(ख) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटें भली-भांति कार्य कर रही है मगर कभी-कभी बीवाईपीएल की सप्लाई या दो फेज ना आने के कारण पूरी स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाती हैं आईमास्ट लाइट का रखरखाव भी बीबाईपीपल द्वारा ही किया जाता है।

(ग) क्रम संख्या-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(घ) क्रम संख्या-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

119. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग रोड़ नं. 68,69 व 63 पर तीन-चार स्कूलों के बच्चों के आने-जाने व उपायुंक्त राजस्व कार्यालय होने के कारण उपरोक्त मार्गो पर फुट ओवर ब्रिज की नितांत आवश्यकता है?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने में क्यों देरी कर रही है? और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों मुख्य मार्गो पर कब तक फुट ओवर ब्रिज बनवा देगी और यदि नहीं तो क्यों नहीं।

लोक निर्माण मंत्री

(क) 1. रोड़ नं. 68 सुंदर नगरी पर फुट और ब्रिज के संबंध में UTTIPEC का निर्णय आ चुका है कि 30 मीटर या उससे कम की संड़कों पर फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता नही हैं।

2. रोड़ नं. 69 गगन विहार पर सब-वे कमेटी द्वारा 6-माह के लिए ''सिग्नलाइज जेब्रा कासिंग'' बनाने का सुझाव दिया गया है और यदि यह योजना कारगर नहीं हो तो फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव पुनः सब-वे सब कमेटी द्वारा किया जायेगा।

3. रोड़ नं. 63 पर हर्ष विहार व डी.टी.सी. बस डिपों पर फुट ओवर ब्रिज प्रस्तावित था परंतु अब इस रोड़ पर बी.आर.टी. के साथ ही फुट ओवर ब्रिज की प्लानिंग भी की जाएगी।

(ख) क्रम संख्या-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता संबंधी निर्णय सब-वे कमेटी एवं यूटीपेक द्वारा लिए जाते है सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ये कार्य कराए जाएंगे।

120. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि अशोक नगर रेलवे कासिंग पर फ्लाई ओवर बनने से पूर्व मंडोली सबोली व नंदनगरी के बीच सीधा मार्ग संपर्क था?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त फ्लाई ओवर के बनने से मंडोली, सबोली, नंदनगरी के बीच सीधा मार्ग संपर्क समाप्त हो गया है?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त दोनों गांवों व पुनर्वास कालोनी के लोगों को एक दूसरे स्थान पर भारी संख्या में स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, मार्केट, आई. टी.आई., बस डिपो आदि में आवाजाही रहती थी?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त फ्लाई ओवर के बनने सक उपरोक्त जगहों पर रहने वाले लोगों को अधिक चक्कर लगाकर अधिक समय बर्बाद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है?

(ड़) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फ्लाई ओवर के नीचे आर.यू.बी. बनाकर पुनः उपरोक्त गांव व पुनर्वास कालोनी के बीच सीधा रास्ता बनाकर सुविधा देगीं? और

(च) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ, लेवल कासिंग के द्वारा।

(ख) जी नहीं, केवल वाहनों के लिए।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ, केवल वाहनों को।

(ड) तकनीकी रुप से आर.यू.बी. बनाना संभव नहीं है।

(च) क.सं.-'ड़' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

121. श्री देवेंद्र यादवः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में 60-फुट से अधिक चौड़ी सड़कों को स्थानांतरित करके लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है?

(ख) यदि हाँ, तो बादली विधान-सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों को स्थानांतरित किया गया है, उनकी सूची सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध करावाएं?

(ग) इन सड़कों की खस्ता हालत को कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख)
1. एनएच-1 से बादली रेलवे स्टेशन
2. एनएच-1 से बादली आरयूबी
3. जहागीरपुरी रोड़
4. लिबासपुर-सिरसपुर रोड़
5. जीटी करनाल रोड़, लिबासपुर
6. लिबासपुर रोड़ से गुरुद्वारा
7. जीटी करनाल रोड़ से सिरसपुर गांव

(ग) सभी सड़कों की जाँच की जा रही है जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर सड़कों का कार्य अनुमान स्वीकृति-हेतु सक्षम अधिकारी को भेजा जाएगा तथा स्वीकृति आने पर कार्य किया जाएगा। इन सभी सड़कों पर गड़ढों एवं पेंच रिपेयरिंग का कार्य 15.06.2012 तक कर दिए जाएंगे।

122. श्री ओ.पी बब्बर: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार, मनोहर नगर, नई दिल्ली-18 के समानांत स्ट्रार्म वाटर ड्रेन को ढकने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है?

(ख) इस ड्रेन को ढकने में कितना समय लगेगा? और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विकास कुंज से मनोहर नगर में मौजूद सड़क की मरम्मत एवं स्टार्म वाटर ड्रेन को ढकने के लिए टेंडर्स आमंत्रित किए जाएंगे तथा इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार के नजदीक बाहरी रिंग रोड़ के समानांतर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को पहले ही ढक दिया गया है।

(ख) क.सं.-क, के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) मनोहर नगर की कुछ सड़कें दिल्ली नगर निगम से अभी लोक निर्माण विभाग को हाल ही में स्थानांतरित हुई हैं जिनके मरम्मत कार्य एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेन को ढकने के कार्य हेतू प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

123. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर झाडू लगाने अर्थात् सड़कों की सफाई का कार्य दिल्ली नगर निगम के पास है या लोक निर्माण विभाग के पास?

लोक निर्माण मंत्री

(क) लोक निर्माण विभाग के अधिकार/ कार्यक्षेत्र वाली सड़कों पर सफाई का कार्य दिल्ली नगर निगम के पास है।

124. चौ. भरत सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों के पीले कार्ड कब से शुरु किये जा रहें हैं व मिटटी के तेल के लिए पैसा दिया जाना तय हुआ था, क्या वह शुरु कर दिया गया है व कितना पैसा प्रति लीटर दिया जा रहा है; और

(ख) कृप्या यह बताया जाए कि नजफगढ क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई गई है?

ऊर्जा मंत्री

(क) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों के पीले कार्ड बनाने की अभी कोई योजना नहीं है एवं अभी मिट्टी के तेल के बदले पैसा नहीं दिया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

125. श्री मनोज कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्किल-8 में कुल कितने बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स हैं;

(ख) इन बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स में से कुल कितने कार्ड होल्डर्स को कैरोसिन ऑयल का कोटा जारी किया जा रहा है;

(ग) शेष बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स के लिए कैरोसिन ऑयल का कोटा क्यों जारी नहीं किया जा रहा हैं, एवं इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(घ) जिन बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स को कैरोसिन ऑयल का कोटा जारी नहीं किया गया है उनको कब तक जारी किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में कुल 5476 बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स हैं।

(ख) इन कार्ड होल्डर्स में से मई 2012 के लिए 3531 बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिए मिट्टी का तेल जारी किया गया है।

(ग) शेष बी.पी.एल. कार्डधारक, विभाग के रिकार्ड के अनुसार, गैस का उपयोग करते हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

126. श्री विपिन शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहताश नगर क्षेत्र सं. 64 में विभाग द्वारा कुछ कितने बी.पी.एल. तथा ए.पी. एल. व अंत्योदय/ ए.ए.वाई. कार्ड बनाकर लोगो को दिए गए हैं;

(ख) इन कार्डो में आज कुल कितने बी.पी.एल., ए.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. कार्ड आज चालू हालत में हैं,

(ग) क्या यह सत्य है कि ए.पी.एल.-सफेद कार्ड जो विभाग द्वारा बनाकर दिए गए हैं उनमें अनेकों कार्ड आज भी मोहर के बिना चालू नहीं है, इसके क्या कारण है,

(घ) ऐसे कुल कितने कार्ड आज लाल मोहर के बिना लोगों के पास मौजूद हैं, उन्हें राशन विक्रेता राशन नहीं दे रहें हैं, इस संबंध में विभाग की क्या योजना हैं,

(ड़) बी.पी.एल.के पीले कार्ड जो चालू नहीं है, उन्हे कब तक चालू कर दिया जाएगा,

(च) शेष ऐसे कार्डधारियों को पीले कार्ड कब तक बना दिए जाएगें और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री

(क) रोहताश नगर क्षेत्र संख्या 64 में बी.पी.एल. के 6700, ए.पी.एल. (स्टैम्प्ड) के 30694 तथा ए.ए.वाई के 1264 कार्ड दिए गए है।

(ख) इनमें से वर्तमान में बी.पी.एल. के 6700, ए.पी.एल. (स्टैम्प्ड) के 30694 तथा ए.ए.वाई के 1264 कार्ड चालू हैं।

(ग) जी हाँ यह सत्य है। वर्तमान में सरकार की ए.पी.एल. (अनस्टैम्प्ड) राशनकार्डो को राशन देने की कोई योजना नहीं है।

(घ) जनवरी 2012 में 24962 ए.पी.एल. अनस्टैम्प्ड कार्ड मंडल संख्या 64 में थें। शेष उपरोक्त (ग) के अनुसार।

(ड़) वर्तमान में जो भी शिकायत/ आवेदन आता है, उसको जांच के पश्चात् विभागीय नीति के अनुसार निष्पादित कर दिया जाता है।

(च, छ) बी.पी.एल. कार्ड की दिल्ली में सीमा 4.09 लाख, केन्द्र सरकार ने तय कर रखी है। जब भी एवं केन्द्र सरकार इस संख्या में बढ़ोत्तरी करेगी तथा बी.पी. एल. कार्ड बनाने की मंजूरी देगी, तब बनाए जाएंगे।

127. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर -27, सेक्टर-6 पॉकेट-4 नरेला, पल्ला, झंगोला, लामपुर, स्वंतत्र नगर नरेला, प्रेम कालोनी नरेला, सेक्टर बी-4 पॉकेट 11-13 नरेला में आबादी बढ़ने के कारण राशन की नई दुकाने खोली जानी थी;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ये दुकान क्यों नहीं खोली गई है, और

(ग) ये दुकाने कब तक खोल दी जाएगी?

उर्जा मंत्री

(क) जी नहीं । ऐसी कोई योजना नहीं है। नई राशन की दुकान खोलने का आध ार कार्डो की संख्या है न कि आबादी।

(ख, ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

128. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र की पुर्नवास कालोनी मेट्रो विहार में राशन कार्डों की समस्या को देखते हुए खाद्य एवं सम्भरण विभाग के कार्यालय की शाखा खोले जाने की योजना थी, और

(ख) यदि हाँ, तो यह शाखा कब तक खोल दी जाएगी?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। लेकिन मंडल संख्या 01 का नया दफ्तर बनाने के लिए ग्राम सभा बवाना के खसरा नं.-20/22 (4800 स्क्वेयर यार्ड)ए जमीन का आवंटन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कार्ड संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु एक जी.आर.सी (जेंडर रिसोर्स सेंटर), पता 2695-97, ए-बी, ब्लाक, मैट्रो विहार, होल्म्बी कला पर खोला गया है। जी.आर.सी. केन्द्र द्वारा राशन कार्डो से संबंधित कार्यो के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तत्पश्चात् उन आवेदन पत्रों को संबंधित मंडल कार्यालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया जाता है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

129. श्री साहिब सिंह चौहानः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में किस-किस श्रेणी की कुल कितनी राशन व मिटटी के तेल के डिपो व दुकानें हैं,

(ख) प्रत्येक राशन कार्ड पर कौन-कौन सी एवं कितनी-कितनी सामग्री तथा मिटटी का तेल मिलता है; और

(ग) क्या सरकार कार्डधारियों को वस्तुओं की जगह नकद धनराशि देने पर विचार कर रही है यदि हाँ तो उसका विस्तृत प्रारुप क्या होगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) दिल्ली में श्रेणी अनुसार राशन व के.ओ.डी. की संख्या निम्न प्रकार है-

सामान्य श्रेणी		*विधवा*		*विकलांग*		*भूतपूव सैनिक*		*एस.सी., एस.टी,ओ.बी.सी.*		*कुल*	
एफ.पी. एस.	*के.ओ. डी.*	*एफ.पी. एस.*	*के.ओ. डी.*	*एफ.पी. एस.*	*के.ओ. डी.*	*एफ.पी. एस.*	*के.ओ. डी.*	*एफ.पी. एस.*	*के.ओ. डी.*	*एफ.पी. एस.*	*के.ओ. डी.*
2118	1860	76	72	4	4	17	18	245	236	2460	2190

(ख) प्रत्येक राशन कार्डो पर अप्रैंल माह में दिए जाने वाले राशन व मिट्टी के तेल का विवरण इस प्रकार है-

	गेहूँ(किग्रा. में)	*चावल (किग्रा.में)*	*चीनी (किग्रा.में)*	*कैरोसिल आयल (लीटर में)*
ए.ए.वाई	25	10	06	12.5
बी.पी.एल.	24	10	06	12.5
ए.पी.एल.(जे.आर.सी)	25	10	-	12.5
ए.पी.एल.(स्टैम्प्ड)	18	04	-	-
टी.आर.सी.	18	04	-	10.5
ए.पी.एल(आर.सी.आर.सी.)	25	10	-	-

(ग) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचारधीन नहीं है।

130. श्री जय किशन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा नये जारी किए जा रहे एपीएल राशन कार्ड पर राशन कार्ड पर राशन नहीं दिया जा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो क्यों और नहीं तो वर्ष 2011-2012 में एपीएल कार्ड धारकों, जिन्हें राशन नहीं मिल रहा उनकी संख्या कितनी है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि नए जारी एपीएल कार्ड पर मोहर नहीं लगाई जा रही हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि नए जारी एपीएल कार्ड पर यह लिखा होता है कि यह कार्ड राशन लेने के अतिरिक्त किसी कार्य के प्रयोग के लिए नहीं है, जबकि राशन मिलता ही नहीं, और

(ङ) यदि हाँ, तो राशन कार्ड जारी करने का क्या औचित्य हैं?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ, वर्तमान में ए.पी.एल. अनस्टैम्प्ड कार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा है।

(ख) वर्तमान में ए.पी.एल. अनस्टैम्प्ड कार्डो पर राशन देने की नीति नहीं है। वर्तमान में दिल्ली में कुल अनस्टैम्प्ड ए.पी.एल. कार्डो की संख्या 15,85,0580 है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ड़) वर्तमान में ए.पी.एल. राशनकार्ड, प्रार्थी के अपने आवेदन पर सरकार की वर्तमान नीति, निर्देशानुसार बनाएं जा रहे है।

131. श्री सतप्रकाश राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों दिल्ली में बीपीएल व अंत्योदय कार्डो की वैधता की जांच की गई थी, यदि हाँ तो बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्ड अवैध पाए गए थे,

(ख) वर्तमान में इस क्षेत्र में दुकान अनुसार कुल कितने कार्ड है जिनको राशन दिया जा रहा है, बीपीएल, एपीएल व अंत्योदय सभी कार्डो का नाम व पता सहित पूरी जानकारी क्या है; और

(ग) प्रति दुकानदार कार्डो की स्थिति क्या है और क्या एक ही गांव या कॉलोनी में प्रति दुकानदार कार्डो का विवरण बराबर हो सकता है या नहीं?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में पिछले दिनों में कोई अवैध राशनकार्ड नहीं पाए गए है।

(ख) दुकान अनुसार कुल कार्डो की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। बी.पी.एल.ए. पी.एल.. व अंत्योदय सभी कार्डो का नाम पता सहित पूरी जानकारी संलग्न सी.डी. में उपलब्ध है। हांलाकि यह सूचना विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। (www.fs.delhigovt.nic.in)

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार। यथा संभव कोशिश की जाती है कि सभी दुकानों पर कार्डो की संख्या बराबर रहे।

संलग्नक 'ख'

SANCTION ISSUED (POSITION AS ON 12.12.2011)

SL.No	*Name of MLA*	*Name of the Basti*	*Details of Works (s)*	*Sanctioned Amount (Rs. in Lakh)*	*Date of Sanction*
1.	Manoj Kumar Shokeen	Kanjhawala in Mundka	Construction of Additional Hall in existing Udhyan pana Harijan Chaupal in Kanjhawala in Kanjhawala Block AC-08 Mundka	26.32	8.1.10
2.	Manoj Kumar Shokeen	Julaha Chaupal at Village Qamrudding Nagar, Mundka Assembly, Constituency	Construction of one additional floor over existing single storey julaha chaupal at Village qamruddin Nagar in Mundka AC.	22.46	11.8.11

संलग्नक 'क'

SANCTION ISSUED (POSITION AS ON 12.12.2011)

SL.No	*Name of MLA*	*Name of the Basti*	*Details of Works (s)*	*Sanctioned Amount (Rs. in Lakh)*	*Date of Sanction*
1.	Manoj Kumar Shokeen	Jhimar Basti in Diggupura in N.G. Blk. AC-35	Development of Internal Streets ST (Jhimar) Basti in Diggupura in N.G. Block Najafgarh AC-35	55.59	18.8.2011

132. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोकुल पुर बिधान सभा क्षेत्र में ए.पी.एल. कार्ड बनाए जा रहे हैं

(ख) उन कार्डो पर अब तक राशन क्यों नही दिया गया, और

(ग) कार्डो पर राशन देना कब तक शुरु किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। ए.पी.एल. उनस्टैम्प्ड कार्ड बनाए जा रहे हैं।

(ख) वर्तमान में सरकार की नीति के अनुसार ए.पी.एल. (अनस्टैम्प्ड) कार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा हैं।

(ग) फिलहाल इससे संबंधित कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

133. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार सितम्बर, 2008 से लगातार नए राशन कार्ड बनाकर दे रही है जबकि इन नए राशन कार्ड वालों को राशन नहीं दिया जा रहा है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार नए राशनकार्ड वालों को राशन देने पर विचार कर रही है और

(ग) यदि हाँ, तो नए राशन कार्ड वालों को कब तक राशन वितरित करा दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। यह सत्य है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं।

134. श्री श्री कृष्ण त्यागी : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के राशन की नई दुकानों के आवंटन करने के नियम क्या है,

(ख) वर्ष 2008 से 2012 तक कितनी नई राशन की दुकाने आवंटित की गई है, और

(ग) इनमें से कितनी दुकाने बुराड़ी विधान सभा के अन्तर्गत आवंटित की गई है?

उर्जा मंत्री

(क) दुकानों के आवंटन संबंधी नियम संलग्न हैं। (संलग्नक ''क'')

(ख) वर्ष 2008 से 2012 के मध्य कुल 6 (एफ.पी.एस.-04 और के.ओ.ड़ी-02) नई दुकानें खोली गई है।

(ग) 2008 से 2012 की अवधि में बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में केवल एक उचित दर दुकान (संख्या 9107) आवंटित की गई।

दुकानों के आवंटन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF FOOD AND SUPPLIES GOCERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI' (POLICY BRANCH)

Sub. : Circulation of latest Instructions for filling the application form and eligibility criteria for PDS Outlets.

I am directed to forward the Instructions for filling the application form and eligibility criteria for PDS Outlets, which have been amended with the approved of the C.F.S for making use in future. A copy of the said instruction is enclosed here with for information and further necessary action at your end.

Encl: As above.

To

All Zonal Asstt. Commissioners

(HARISH TYAGI)
ASSTT. COMMISSIONER (P&S)

U.O No 12(5)/CFS (D) /99/Vol.III/377 Date : 13.7.____

INSTRUCTION FOR FILLING THE APPLICATION FORM AND ELIGIBILIT CRITERIA FOR PDS OUTLETS:

1. **Preliminary Requirements**

   (a) The applicant should have valied possession over the premises in the area for which vacancy has been notified. The shop should be of permanent nature and should no have more than the door shutter.

   (b) The premises (Proposed) should be located at a central point which is accessible traffic and the size of the

premises should be:

(i) 5(L)x3(B) x3(H) Meters : For Fair Price shop

(ii) 4(L)x3(B) x3(H) Meters : For K. Oil depot

(c) The premises should be on a minimum 15 Ft. road.

(d) The Land title of the premises whether owned or rented should be clear.

(e) The applicant should not be below 18 Years and above 60 year of age on the date of the submitting application. In case fo an Ex-serviceman the upper age limit shall be 6 year. The applicant should also attach a copy of authentic document issued by the Govt./ Govt.agency.

(f) The applicant should have a minimum bark balance of Rs. 50000/- which must be retained till finalization of allotment

(g) The applicant should be financially sound.

(h) The applicant should be educted (having minumum education qualification 10^{th} pas enough to maintain books of accourits.)

(i) The applicant should not be proprietor or partner of a concelled FPS/K, Oil Depot should be connected in any way with any FPS/K.Oil Depot cancelled prior to the da application. The applicant should also not be propríctor/ partner of FPS/K. Oil Depot being run at present.

(j) The family members (as defined by Deptt. of Food & Supplies from time to time) should not have any license under Essential Commodities Act. 1955.

(k) The applicant should not have been convicted under the Essential Commodities As 1955.

(l) In sase of FPS, no Atta Chakki should be in the adjoining premises and the applicant should not have any license of food grains, Wheat, Edible Oils or Sugar issued by department.

(m) In case of KOD there should not be any Halwai shop, Dhaba or any such fire hazard esuablishment in the immediate proximity. The KOD should have adequate number of fire extinguishers functional.

(n) The applicant should be a resident within the circle area for the last one year where the vacancy is notified.

2. **It is also notified for the information that other things being equals. preference will be given to the applicant belonging to:**

(a) Physically handicapped (Not totally incapable in running the PDS outlet).

(b) Ex-serviceman.

(c) Co-operative Sociery Nominated agency of the Govt. like Kendriya Bhandar. DSCSC. DCCWS etc.

(d) Unemployed graduate.

(e) Women's self help group.

(f) Co-operatives Societies.

(g) Village Panchayat.

(h) Urban Local bodies and other Self Help Groups.

3. **The application form obtained from the circle office should be duty filled in and accompanied by the folowing supporting documents:**

(a) An affidavit as per performa that the applicant has read the terms & condition for the said license and promises to abide by them.

(b) Self attested copy of documents in support of preferential category or reserved category

(c) Proof of Identification.

(e) Proof of residence (Viz. Passport. Driving license, EPIC,UID card etc.)

(f) Proof in support of educational qualification.

(g) Proof of legal possession business premises (Viz. Sale deep, Rent agreement etc.)

(h) Proof of financial status (Viz. Copy of Bank statement of account).

photo copy of all the above documents must be severed by any gazetted officer/ Nota public Oath Commissioner area MLA.

4. Those applicants who do not fulfill the conditions above, need not apply.

5. Application will be submitted in the prescribed form obtainable against payment of Rs. (Rupees Five Only), in the form of TR-5 issued by the cashier of this Department.

6. Application not accompanied with any of the above-mentioned documents will be summar rejected.

135. श्री प्रद्युम्न राजपूतः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीडीएस के अन्तर्गत आने वाली एफ.पी.एस को प्रति किलो कितना कमीशन विभाग की और से दिया जा रहा है,

(ख) एफ.पी.एस. को दिए जाने वाले कमीशन में कब तक बढ़ोत्तरी की गई थी,

(ग) जिस समय एफपीएस का कमीशन बढ़ाया गया था उस समय डी.एस.सी.एस.सी. द्वारा खाद्य सप्लाई पर कितने रुपए प्रति क्विंटल शुल्क लिया जाता था।

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पिछले 20 वर्षो से एफपीएस का कमीशन नहीं बढ़ाया गया और

(ड़) दिल्ली में ऐसी कितनी एफ.पी.एस. हैं जिनका औसत मासिक कमीशन दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।

ऊर्जा मंत्री

(क) वर्तमान में एफ.पी.एस. होल्डर्स को गेहूँ और चावल के लिए रु. 35/- प्रति क्विंटल व चीनी के लिए रु. 10.08 प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है।

(ख) एफ.पी.एस. को वर्तमान में दिए जाने वाले कमीशन को 1997 में तय किया गया था।

(ग) वर्ष 1997 में डी.एस.सी.एस. को दिया जाने वाला माल भाड़ा रु 15/-प्रति क्विंटल था।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

(ड़) दिल्ली में कुल 943 एफ.पी.एस. है, जिनका कमीशन दिल्ली सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए किए गए न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।

136. श्री प्रद्युम्न राजपूतः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य एवं आपूति विभाग के सर्कल 33 के अन्तर्गत कुछ बी.पी.एल कार्ड होल्डर्स को विभाग द्वारा बिना किसी कारण से पिछले वर्ष से राशन देना बंद कर दिया गया है।

(ख) यदि हाँ तो ऐसे कितने बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स हैं उनके नाम एवं पते सहित सूची उपलब्ध कराई जाए,

(ग) इन बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स का राशन किस अधिकारी के आदेश से बंद किया गया है उस अधिकारी का नाम पद बताया जाए एवं उस आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

ऊर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।

(ख, ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

137. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने झुग्गी वासियों के राशनकार्ड बनाने बंद कर दिए है, यदि हाँ, तो क्यों

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जो लोग झुग्गी में 50-60 सालों से रह रहे है उनके कार्ड कुछ समय पहले नवीनीकरण के लिए जमा लिए गए थे बाद में कुछ त्रुटिया बताकर रद्द कर दिए गए, और

(ग) क्या सरकार इन लोगों के कार्डो को दोबारा बनाने की कोई योजना बना रही है, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। झुग्गी राशन कार्ड वर्ष 2007 में कैबिनेट निर्णय के तहत बनाये गये थे, यह योजना सीमित समय के लिए चलाई गई थी। वर्तमान में ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

138. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में बी.पी.एल., ए.पी.एल ए.ए.वाई. कार्डो में मिलने वाले राशन व मिट्टी मे तेल में विभाग द्वारा कटौती की गई है,

(ख) यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो कार्डधारियों की निरंतर शिकायतें क्यों आ रही है कि उन्हें राशन व तेल कम दिया जा रहा है, स्पष्ट करें और

(ग) सरकार ने कार्डधारियों को इस समस्या से निपटने के लिए क्या निति बनाई है?

ऊर्जा मंत्री

(क, ख) **राशन के संदर्भ में**-ए.ए.वाई, ए.पी.एल. (जे.आर.सी.), ए.पी.एल. (आर.सी. आर.सी.) तथा ए.पी.एल. (स्टैम्पड) कार्डधारियों को नियमित जारी किए जाने वाले राशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। वर्तमान में बी.पी.एल. कार्डधारियों कों 34 किलो राशन (24 किलो गेहूँ व 10 किलो चावल) दिया जा रहा है जो कि भारत सरकार द्वारा जारी मापदंड के लगभग बराबर है। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्डधारियों को अतिरक्त राशन दिया जा रहा था जिसके एवज में दिल्ली सरकार द्वारा 35 किलो गेहूँ व 14 किलो चावल जारी किया जा रहा था (जिसमें 11 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल अतिरिक्त दिया जा रहा था) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, अतिरिक्त राशन नहीं दिया जा रहा है।

तेल के संदर्भ में- ए.पी.एल. (स्टैम्पड) / ए.पी.एल. (जे.आर.सी)/ बी.पी. एल./ ए.ए.वाई कार्डधारियों को मिटटी के तेल का कोटा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई मात्रा पर निर्भर करता है। मई 2011 तक पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह लगभग 11574 किलो. ली. की दर से कोटा जारी किया जाता था। लेकिन जून 2011 से पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोटे की मात्रा कम दी गई है जिसके कारण प्रत्येक कार्डधारी का कोटा घट गया है। अप्रैल 2012 में मिट्टी के तेल का आवंटन निम्न प्रकार है

-बी.पी.एल. कार्डधारियों को	12.5 लीटर
-ए.ए.वाई कार्डधारियों को	12.5 लीटर
-ए.पी.एल. (जे.आर.सी.) कार्डधारियों को	12.5 लीटर

(ग) इस सबंध में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, को पत्र लिखे जा चुकें हैं।

139. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में कई कार्डधारियों को 2-3 सालों से राशन नहीं मिल रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा क्यों, और

(ग) ए.सी. 41 जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने कार्डधारियों की कुल कितनी संख्या है, इसकी सूची क्या है व कब तक विभाग द्वारा इन कार्डधारियों को यह सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है जिसमें किसी भी वैद्य कार्डधारी को पिछले 2-3 सालों से राशन नहीं मिला हो।

(ख, ग) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

140. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लोगों को नये राशन कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी

(ख) यदि हाँ, तो, कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री

(क) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड (ए.पी.एल. जे.आर.सी.) कैबिनेट निर्णय के द्वारा 2007 में बनाए गए थे। यह योजना एव सीमित समय के लिए चलाई गई थी। फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

141. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले कई सालों से काफी संख्या में लोगों के सफेद राशनकार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उन पर राशन लेने हेतु मोहर नहीं लगाई गई,

(ख) यदि हाँ, तो, सरकारी योजना के मुताबित ऐसे नए बनाए गए सफेद राशनकार्ड धारकों जिनकी आय एक लाख से कम है, उनको राशन देने हेतु राशन दफ्तर द्वारा कब तक मुहर लगाई जाएगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख, ग) सफेद राशन कार्डो पर मुहर लगाने का कार्य वर्ष 2008 में कैबिनेट निर्णय के अनुसार किया गया था। यह योजना 12 जनवरी 2008 से 15 अप्रैल 2008 तक चलाई गई थी। फिलहाल सफेद राशन कार्डो पर मुहर लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

142. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ वर्ष पूर्व गर्मियों में दूध से मिठाई तथा पनीर, खोया बनाना बंद कर दिया जाता था, ताकि दूध के दाम कम रहें

(ख) यदि हाँ, तो, सरकार इस पर कोई विचार कर रही है और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। पिछले 10-15 वर्षो से गर्मियों में दूध से मिठाई तथा पनीर खोया बनाना बंद करने का कोई आदेश दिल्ली सरकार द्वारा पारित नहीं किया गया हैं।

(ख) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

143. श्री प्रहलाद सिंह साहनी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार के गोदामों में काफी मात्रा में गेहूँ पड़ा है और खराब हो रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो, सरकार इसके लिए क्या उपाए कर रही है,

(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि गेहूँ केवल झुग्गी वालों को ही नहीं बल्कि सभी सफेद राशनकार्डधारकों को भी मिल सके,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि काफी लोगों के दो साल पहले नए राशनकार्ड बन गए थे लेकिन उनपर मोहर न लग पाने के कारण उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है,

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिससे कि उन लोगों को राशन मिल सके और,

(च) यदि हाँ तो कब तक?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम, से प्राप्त सूचना के आनुसार, दिल्ली क्षेत्र के गौदामों में काफी मात्रा में गेहूँ पड़ा है लेकिन कोई भी खाद्यान्न खराब नहीं हो रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ, ङ, च) वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा ए.पी.एल. (अनस्टैम्पड) कार्डो पर राशन देने की कोई योजना नहीं है।

144. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में रहने वालें नागरिकों को राशन मुहैया कराती है

(ख) यदि हाँ, तो, सरकार दिल्ली में रहने वाले कुल कितने नागरिकों को राशन मुहैया कराती है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अलग-अलग श्रेणी के कार्डधारियों को अलग-अलग लिमिट में राशन उपलब्ध करा रही है,

(घ) यदि हाँ तो कुल कितना-कितना राशन किस-किस कैटेगरी के कार्डधारियों को मुहैया कराया जा रहा है,

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में दिए जाने वाल राशनकार्ड धारियों को पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हाँ तो क्या सरकार राशन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यो नहीं?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। राशन पाने के पात्र (entitled) सभी राशन कार्डधारियों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान में ऐस कार्डधारियों की

(ख) संख्या निम्नलिखित है-

ए.पी.एल.(स्टैम्प्ड) -1151119

ए.पी.एल. (जे.आर.सी./आर.सी.आर.सी)	-261676
बी.पी.एल.	-261505
ए.ए.वाई	-102923

(ग) जी हाँ।

(घ) अलग-अलग श्रेणी के राशन कार्डों पर निम्न दर से मई 2012 में राशन जारी किया गया-

	गेहूँ (किग्रा)	*चावल (किग्रा)*	*चीनी (किग्रा)*
ए.पी.एल.(स्टैम्पड)	18	04	-
ए.पी.एल. (जे.आर.सी)	25	10	-
बी.पी.एल.	24	10	06
ए.ए.वाई	25	10	06
ए.पी.एल. (आर.सी.आर.सी)	25	10	-
होमलेस	05	05	-
टी.आर.सी.	18	04	

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

145. श्री ओ.पी बब्बर: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा गरीब लोगों को नया बी.पी.एल. कार्ड जारी करने की कोई योजना है,

(ख) बी.पी.एल. कार्ड जारी करने का प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होगा, और

(ग) क्या बी.पी.एल. कार्डधारियों को नगद अनुदान देने का भी कोई प्रस्ताव है?

ऊर्जा मंत्री

(क) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचारधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त क के अनुसार लागू नहीं है।

(ग) जी नहीं। अभी ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

146. श्री देवेन्द्र यादव: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद दिल्ली खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सभी नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के विषय में क्या कार्रवाई की जा रही है और

(ख) दिल्ली में बी.पी.एल. व ए.ए.वाई राशनकार्ड बनाने का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा व जो राशन कार्ड किसी कारणवश बंद हो गए हैं उन्हें पुन: किस प्रकार चालू किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) खाद्य सुरक्षा बिल अभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रुप में पारित नहीं हुआ है।

(ख) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राशनकार्ड बंद होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित मंडल कार्यालय द्वारा जांच की जाती है और सही पाए जाने के बाद कार्ड चालू कर दिया जाता है।

147. श्री देवेन्द्र यादवः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधान सभा क्षेत्र का खाद्य एवं संभरण कार्यालय बहुत ही तंग गली में चलाया जा रहा है, क्या यह भी सत्य है कि यह गली मात्र 10 फुट की चौड़ी है जिसमें स्कूटर मोटर व साईकिल खड़ा करने की जगह भी नहीं है

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यह कार्यालय एक मकान के अंदर चलाया जा रहा है जिसके अंदर पब्लिक को खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस कार्यालय में जनता के लिए न तो शौचालय की सुविधा है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि बार-बार विभाग को लिखित रुप में देने के पश्चात् भी इस कार्यालय का स्थानांतरण नहीं किया गया, इसके क्या कारण है, और

(ड़) क्या भविष्य में इस कार्यालय को स्थानांतरित करने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) यह कार्यालय एक मकान के अंदर चलाया जा रहा है जिसका पूर्ण एरिया (2000) स्क्वेयर फुट का है। इस कार्यालय में पर्याप्त स्थान है जिसमें पाँच कमरें, एक हाल आदि उपलब्ध है तथा कार्यालय में लोगों के खड़े होने आदि के पर्याप्त स्थान है।

(ग) जी नहीं। इस कार्यालय में स्टाफ व जनता के लिए शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था है।

(घ, ड़) इस कार्यालय को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने की योजना है तथा स्थान तलाश करने की प्रक्रिया जारी है।

148. श्री ओ.पी.बब्बरः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षो में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अ.जा./अ.जन.जाति के लिये कितने प्रोजेक्ट शुरु कराये गये;

(ख) क्या यह सत्य है कि बार-बार कहने के बावजूद भी अ.जा/अ.जन.जाति निदेशालय द्वारा बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग द्वारा बनाये गये एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन लंबित प्रोजेक्टों को कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) वांछित सूचना का ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लम्बित 05 विकास कार्यों में वांछित औपचारिकताएं पूरी होने पर स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

149. श्री मनोज कुमार : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को पिछले दस वर्षो में वर्षानुसार कितने-कितने बजट का आंबटन किया गया हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में वर्षानुसार कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यो पर व्यय की गई है;और

(ग) पिछले तीन वर्षो में उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अन्र्तगत आने वाले विधानसभा क्षेत्र में कितने-कितने विकास कार्यो के लिये कुल कितनी-कितनी वार्षिक राशि का आबंटन किया गया हैं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(ख) ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' पर उपलब्ध हैं।

संलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN.
B-Block, 2ndFloor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website: scst welfare.delhigovt.nic.in Tele Fax No.23379513

YEAR WISE BUDGET UNDER PLAN SCHEME

Rs. in Lakhs

Year	*Approved Outlay*
2002-03	2450.00
2003-04	3500.00
2004-05	4000.00
2005-06	4057.00
2006-07	3744.00
2007-08	4900.00
2008-09	4970.00
2009-10	4700.00
2010-11	4975.00
2011-12	25000.00

SI.no.	*Assembly Constituency area under North West Delhi Parliamentary Constituency*	*2009-2010*		*2010-2011*		*2011-2012*	
		Amount Rs in Lacs Work	*Develop-ment*	*Amount Rs in Lacs Work*	*Develop-ment*	*Amount Rs in Lacs Work*	*Develop-ment*
1.	Narela	130.81	3	269.26	7	-	-
2.	Burari	-	-	-	-	-	-
3.	Timar Pur	-	-	49.94	1	83.72	3
4.	Adarsh Nagar	26.91	2	-	-	-	-
5.	Badli	-	-	-	-	-	-
6.	Rithala	-	-	-	-	-	-
7.	Bawana	174.28	3	71.07	1	349.46	9
8.	Mundka	-	-	36.32	1	22.46	1
9.	Kirari	-	-	-	-	-	-
10.	Sultan Pur	-	-	-	-	185.27	4
11.	Mangol Puri	508.09	12	17.85	1	469.47	4
12.	Rohini	-	-	-	-	-	-
13.	Shalimar Bagh	-	-	-	-	-	
14.	Shakur Basti	-	-	-	-	-	-
15.	Wazir Pur	-	-	-	-	-	-
16.	Model Town	-	-	-	-	6.66	1

150. श्री जसवन्त सिंह राणा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हरिजन तथा बाल्मिकी चौपालों व गलियों में विकास कार्य कराने हेतु योजनाएं विभाग में लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन चौपालों व गलियों के निर्माण हेतु पैसा कब तक जारी कर दिया जाएगा, और

(ग) इनका विकास कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी, हाँ

(ख) आवश्यक वांछित कागजात की कमी के पूरा होने पर आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार

151. श्री जय किशन : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास कार्य केवल सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग एवं शहरी आश्रय बोर्ड से ही करवाए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्यों; और

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम एवं डीएसआईडीसी या किसी और विभाग से भी इन बस्तियों में विकास कार्य करवाए जा सकते हैं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी, हाँ।

(ख) क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड ही स्वीकृत कार्यकारी विभाग/संस्था मंजूर है।

(ग) जी नहीं। चूंकि ख में दिये गये विभाग के अतिरिक्त विभाग सरकार द्वारा अधि कृत नहीं है।

152. श्री सत प्रकाश राणा: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में एस.सी./एस.टी. कॉलोनियों की कुल कितनी स्कीमें लम्बित हैं,

(ख) पिछले वर्ष किस किस विधान सभा क्षेत्र की कुल कितनी कितनी स्कीम स्वीकृत की गई और बिजवासन विधानसभा क्षेत्र की कुल कितनी स्कीम स्वीकृत की गई,

(ग) पिछले वर्ष एससी/एसटी कॉलोनियों में पंचायत घरों के पूनर्निर्माण के लिए कुल कितनी स्कीमें स्वीकृत की गई और इसके लिए क्या मापदण्ड तय किए गए हैं। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के कितने पंचायतघरों की स्कीम लंबित हैं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) 11 विकास कार्यो के प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है।

(ख) सूची संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 2011-12 में पंचायत घर पुनर्निर्माण के लिए 03 कार्यो की स्वीकृति दी गई थी। मापदण्ड की मार्गदर्शिका संलग्न हैं। बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में 5 पंचायतघरों की स्कीम लंबित हैं।

दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2012 तक विधान सभा क्षेत्र की स्कीमों की स्वीकृति की सूची।

क्रम सं.	*विधान सभा क्षेत्र सं.*	*स्वीकृत पोजेक्ट*
1	ओखला, एसी-54	2
2	पटपड़गंज, एसी-57	2
3	गांधी नगर एसी-61	5
4	आर.के.पुरम-44	3
5	नजफगढ़-35	1
6	राजौरी गार्डन-27	3
7	वजीरपुर-17	1
8	सुल्तानपुर माजरा-10	5
9	माडल टाउन-18	1

10	करावल नगर-70	2
11	सीलमपुर-65	1
12	मुण्डका-8	1
13	विश्वास नगर-59	3
14	द्वारका-33	1
15	तुगलकाबाद-52	2
16	सदर बाजार-19	3
17	मंगोलपुरी-12	6
18	तिमारपुर-3	4
19	त्रिलोकपुरी-55	2
20	घोन्डा-66	3
21	गोकलपुर-68	1
22	बवाना-7	10
23	बिजवासन-36	5(4 चौपाल 1 गली)
24	ग्रेटर कैलाश-50	2

153. श्री मालाराम गंगवाल: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार को एससी/एसटी कमीशन बनाने में क्या अड़चने आ रही हैं,

(ख) सरकार क्यों नहीं एससी/एसटी कमीशन बनाना चाहती, सरकार की उदासीनता के क्या कारण हैं,

(ग) सरकार से विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से एससी/एसटी कमीशन बनाने की मांग कितने वर्षो से की जा रही हैं, वर्षवार बताएं,

(घ) इस समय एससी/एसटी कमीशन बनाने से सम्बन्धित फाईल किस विभाग में या अधिकारी के पास लम्बित हैं,

(ङ) क्या सरकार कमीशन बनाने से सम्बन्धित किसी निश्चित तिथि की घोषणा करेंगी?

लोक निर्माण मंत्री

दिल्ली सरकार द्वारा गठित ''दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग'' वर्ष 2007 से कार्यरत है। सरकार द्वारा दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात विधिवत रुप से गठित कर दिया जायेगा।

154. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या लोग निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमाण पत्र दिल्ली के आधार पर नहीं बनाये जा रहे;

(ख) जो बच्चा दिल्ली में पैदा होता है उनके प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं; और

(ग) कब तक उनके प्रमाण पत्र बनाने शुरु किये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के सीलमपुर उप-मण्डल में आने वाले लोगों का

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर बनाए जाते हैं। यह प्रमाण-पत्र पिता या पैतृक पक्ष के किसी भी सदस्य के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर बनाया जाता है।

(ख) जो बच्चा दिल्ली में पैदा होता है उसका दिल्ली का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उसके पिता को जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

(ग) उपरोक्त के सन्दर्भ में उत्तर अपेक्षित नहीं है।

155. श्री मोहन सिंह विष्टः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि अनु.जाति जन जाति एवं अ.पि.वर्ग विकास विभाग का गठन इस जाति के लोगों के सर्वागीण विकास के लिये किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिन क्षेत्रों के अन्तर्गत अनु.जाति जन जाति एवं अ.पि.वर्ग के लोग निवास करते हैं वहाँ की स्थिति आज भी दयनीय हैं तथा वहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं;

(ग) यदि हाँ तो सोनिया विहार के अन्तर्गत जी-ब्लाक,ई-ब्लाक तथा सागर मार्किट के पास नाली, सड़क व अन्य जन सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लोगों को सरकार द्वारा जन सुविधायें कब तक दे दी जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी, हाँ

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस विभाग में इन क्षेत्रों से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

(घ) -ग- के अनुसार

156. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित.जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के संचालन की जिम्मेदारी किसी एक ही अधिकारी के पास हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि इसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने में अत्याधिक परेशानी हो रही हैं,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में अनुसूचित जाति, जनजाति की तादाद अत्याधिक होने के कारण उनके हितार्थ चलाए जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों व इनकी समस्याओं के समाधान में देरी होती हैं,

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश की राजधानी में अन्य अनेक प्रदेशों व केन्द्र सरकार की तर्ज पर दिल्ली में शीघ्र अनुसूचित जाति, जनजाति निदेशालय बनाएगी और यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री वीर सिंह धिंगान

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अंजा./ज.जा./अ.पि.व./अल्प संख्यक कल्याण विभाग पूर्व में ही कार्यरत है।

157. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (अब तक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त वर्षो में आबंटित धनराशि का पूर्ण रुप से उपयोग नहीं हुआ हैं;और

(ग) डी.एस.एफ.डी.सी. द्वारा इस वर्ष आबंटित धनराशि को पूर्ण रुप से उपयोग करने की दिशा में क्या सावधानी बरती जा रही है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) विवंरण संलग्न हैं।

(ख) जीं, नहीं।

(ग) निगम द्वारा आबंटित धन राशि के उपयोग एवं लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सरलीकरण एवं संशोधन किया गया है। जिसके अन्तर्गत निगम जल्द ही पूरी दिल्ली में जन जागरण शिविरों का आयोजन करने जा रहा है ताकि कार्यान्वित योजनाओं से लक्षित समूह के लोगों को अवगत कराया जा सकें एवं उनको लाभान्वित किया जा सकें।

ACHIEVEMENT

COMPOSITE LOAN SCHEME UNDER SCHEDULED CASTES CATEGORY

YEAR	*TARGET*	*ACHIVEMENT*	*EXP. (Rs. in lac)*
2009-10	200	193	192.38
2010-11	400	267	265.00
2011-12	200	254	251.55
2010-13 (UP TO APRIL 12)	200	02	02.00

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PURCHASE OF LVC/DLY UNDER SCHEDULED CASTES CATEGORY

YEAR	*TARGET*	*ACHIVEMENT*	*EXP. (Rs. in lac)*
2009-10	50	21	46.59
2010-11	50	04	09.52
2011-12	50	-	-
2012-13 (UP TO APRIL 12)	50	-	-

BIG LOAN/INDUSTRIAL LOAN IN COLLABORATION WITH NSFDS UNDER SCHEDULED CATEGORY

YEAR	*TARGET*	*ACHIVEMENT*	*EXP. (Rs. in lac)*
2009-10	10	-	-
2010-11	10	-	-
2011-12	10	-	-
2012-13 (UP TO APRIL 12)	10	-	-

EDUCATIONAL LOAN SCHEME UNDER SCHEDULED CASTES CATEGORY

YEAR	*TARGET*	*ACHIVEMENT*	*EXP. (Rs. in lac)*
2009-10	15	-	-
2010-11	15	-	-
2011-12	15	-	-
2012-13 (UP TO APRIL 12)	15	-	-

158. श्री भरत सिंह : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नजफगढ़ क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षो में महिलाओं के विकास के लिए कितने केन्द्र खोले गये व बाल विकास के लिए कितनी योजनाएं लागू कीं, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये: और

(ख) कृपया बतायें कि आगे की क्या योजनाएं इस क्षेत्र के लिए तैयार की गई हैं?

समाज कल्याण मंत्री

(क) महिला एवं बाल विकास के लिए नजफगढ़ विधान सभी क्षेत्र में निम्न योजनायें संचालित की जाती हैं।

1. पेंशन योजना/ निराश्रित/विधवा
2. विधवा महिला की पुत्री व अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता
3. समेकित बाल विकास परियोजना
4. लाड़ली योजना
5. स्त्री शक्ति केन्द्र/नजफगढ़ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो में महिला एवं बाल

विकास के लिए समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से नांगली एवं कापसहेड़ा परियोजना के अंतर्गत 62 नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए।

(ख) यदि कोई क्षेत्र आंगनबाड़ी की सेवाओं से वंचित है तो उस क्षेत्र में आंगनबाड़ी खोलने की भी योजना है।

159. श्री मनोज कुमारः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य हैं कि समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) के अन्तर्गत 0-6 वर्ष के बच्चे लाभान्वित होते हैं?

(ख) यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षो में कितने बच्चों का पंजीकरण किया गया?

(ग) इन विगत 3 वर्षो में जितने बच्चों की 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निकाला गया उनका आंगनवाड़ी अनुसार ब्यौरा क्या हैं?

(घ) इस समय तक कितने बच्चे तथा महिलाएं लाभान्वित हो चुके हैं, ऑगनवाड़ी अनुसार ब्यौरा क्या हैं?

(ड़) अभी तक इस योजना मद पर कितना व्यय हुआ हैं तथा कितना बजट हैं, पूर्ण विवरण दें?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) पिछले 3 वर्षो के पंजीकृत बच्चों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित हैं;

2009-10:	5,69,792
2010-11:	6,30,458
2011-12:	9,01,697

(ग) योजना के उद्देश्य स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करने को मद्धेनजर रखते हुए ऑगनवाड़ी से 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निकाला नहीं जाता अपितु औपचारिक शिक्षा के लिये स्कूल में दाखिला कराया जाता हैं।

(घ) लाभानन्वित बच्चे तथा महिलाओं का परियोजना अनुसार ब्यौरा संल्गन हैं। दिल्ली में 94 परियोजना के अन्तर्गत चल रह केन्द्रों का आंगनवाड़ी अनुसार लाभान्वितों का ब्यौरा विभाग की Website wcddel.in पर उपलब्ध हैं।

(ड़) वित्त वर्ष 2011-12 में योजना में विभिन्न मदों में हुए खर्चे का विवरण तथा 2012-12 में योजना में योजना में विभिन्न मदों में हुए खर्चे का विवरण तथा 2012 -13 के बजट का विवरण निम्नलिखित हैं;

खर्चा 2011-12

	राज्य सरकार द्वारा	*भारत सरकार द्वारा*	*कुल*
पूरक पोषाहार	75.93 करोड़	45.67 करोड़	121.60 करोड़
ICDS General	25.30 करोड़	71.95 करोड़	97.25 करोड़

बजट 2012-13

	राज्य सरकार द्वारा	*भारत सरकार द्वारा*	*कुल*
पूरक पोषाहार	91.10 करोड़	Awaited	91.10 करोड़
ICDS General	30.55 करोड़	Awaited	30.55 करोड़

160. श्री मालाराम गंगवाल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग निराश्रित महिला को पेंशन देता है इसमें कौन-कौन सी निराश्रित महिला आती है;

(ख) क्या विभाग उन महिलाओं को भी पैंशन देगा जिनकी शारी नहीं हो पाई है, व उम्र ज्यादा हो गई है या छोटी उम्र में ही पति छोड़कर चला गया है;

(ग) इस तरह की निराश्रित महिला को पेंशन लेने के लिए कौन-कौन से प्रमाण लगाना अनिवार्य है;

(घ) क्या सरकार बेसहारा व निराश्रित महिलाओं की सहायता के लिए कदम उठायेगी?

महिला एवं बाल कल्याण

(क) निराश्रित महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग पेंशन देता है। निराश्रित महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, अलग हुई तथा पति द्वारा छोड़ी हुई महिलाएं आती हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल हों।

(ख) वर्तमान में विभाग उन महिलाओं को पेंशन नहीं दे रहा है। जिनकी शादी नहीं हो पायी। परन्तु छोटी उम्र में ही पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को नियमानुसार पेंशन देने का प्रावधान है।

(ग) नियमावली पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) सरकार द्वारा पहले ही निराश्रित महिलाओं के लिए कदम उठाये गये हैं।

161. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में विधवाओं की बेटी के लिए कितनी सहयोग राशि दी गई,

(ख) वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक कितनी विधवाओ की बेटियों की शादी में सहयोग राशि दी गई, नाम व पते के सहित सूची दी जाये,

(ग) कितनी फाइलें वर्तमान में लम्बित हैं, और

(घ) कितनी फाइलें प्रोसेस में हैं, सूची दी जाये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में विधवाओं की बेटी की शादी हेतु वर्ष 2008 से 2012 तक कुल 30,50,000/- रु. की सहयोग राशि दी गई।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) वर्तमान में कोई फाइल लम्बित नहीं है, 36 फाइलें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(घ) वर्तमान में कोई फाइल प्रोसेस में नहीं है।

WDM SANCTIONED FILE 08-09

Applicant Name	*Address*	*Amount*
Sudha	25 Mandoli	20,000
Usha Rani	a-359/1877 Mandoli Extn	20,000
Bala	GL-1 Ph-7 G No. 1 Shiv Vihar	20,000
Bala	GL-1 Ph-7 G No.1 Shiv Vihar	20,000
Ramo	X-5/5 G No. 8 Brahmpuri	20,000
Shanti	A-2/445 Nand Nagri	20,000
Nikki	Khshara No. 188-189 G No. 4 Sabali Khadda	20,000
Sumiti	A-1/404 Nand Nagri	20,000
Prakashi	796 Budh Vihar	20,000
Devindri	1/3852 Bhagwan pur Khera	20,000
Ram Bati	C-2/281 Nand Nagri	20,000
Kala Wati	79 Lok Vihar	20,000
Hasina Begum	235 G No. 12 Jafrabad	20,000
Sudha	25Mandoli	20,000
Raj Dulari	B-19 East Gokalpur	20,000
Shanti	13 G No. 13 Ph-10 Shiv Vihar Karawal Nagar	20,000
Anaro	B-700 G No. 21 Ashok Nagar	20,000
Shyam Wati	A-3/294 Nand Nagri	20,000
Sahida Begum	E-73/B-44 Sanjay Col Gokalpuri	20,000
Munni Devi	D-3/395 Nand Nagri	20,000
Sudha	C-43 G No. 6 Bhagirithi Vihar	20,000
Sonu	C-3/88 Nand Nagri	20,000
Vidhya	B-4/187 Nand Nagri	20,000
Indera Wati	L-36 G No. 13 Brahmpuri	20,000

Kamlesh	D-29 East Gokalpur	20,000
Begmati	D-17/553 Amar Colony East Gokalpur	20,000
Narayani Devi	E-3/159 Nand Nagri	20,000
Phool Wati	B-2/415 Nand Nagri	20,000
Chandra Devi	A-58 Roshal Gali Joharipur	20,000
Leela Devi	E-2/145 Nand Nagri	20,000
Sheela Devi	11/450 Mandoli Extn	20,000
Firoj Begum	C-3/251 Nand Nagri	20,000
Samsheeda Khatoon	E-57/B-354 Sunder Nagri	20,000
Vidhya Devi	B-5/135 Nand Nagri	20,000
Om Wati	A-59 G No 1 North Chajjupur	20,000
Maya Devi	E-4/85 East Gokalpur	20,000
Nikki	Khshra No 188-189 G No. 4 Saboli	20,000
Noor Jahan	G No. 16 Mustafabad	20,000
Tara Wati	X-9/56 G No.10 Brahmpuri	20,000
Virma Devi	E-87/282 Jhuggi Sunder Nagri	20,000
Prem Wati	D-2/250 Nand Nagri	20,000
Kamlesh	1063 G No. 1 Mandoli Extn	20,000
Vidhya Devi	C-1/29 Nand Nagri	20,000
Noor Jahan	G No. 16 Mustafabad	20,000
Ram Jano	D-7 G No. 10 Old Mustafabad	20,000
Chander Wati	A-3/150 Ambedkar Col Joharipur	20,000
Jamana Devi	10 Johari Pur	20,000
Nanka Devi	A-395 New Seemapuri	20,000
Ezaz Begum	C-166 Bhagirithi Vihar	20,000

WDM 09-10 SANCTION

Cno	*Name*	*Address*	*Amount*
46/68	Maya Devi.	No-47, Jagdamba Colony Jauhripur	20,000
46/68	Krishana Devi	D-302, Gokal Puri	20,000
46/68	Gita	C-101, Gno-4, Ganga Vihar	20,000
46/68	Bhuro Devi	E-5/100, Est gokulpur	20,000
46/68	Rojo	D-540, Gokulpuri	20,000
46/68	Mansha Devi	198 Kardam Form Jauharipur	20,000
46/68	Saroj Sharma	D-128 Gno-11, Bhagirath Vihar	20,000
46/68	Geeta	No-52, Gno-1, D-Block mandoli Vistar	20,000
46/68	Pushpa	68 Mandoli Vistar Susheela Garden	20,000
46/68	Omwati	No-200, Vill Mandoli	20,000
46/68	Devki Devi	C-244, Gokulpuri	20,000
68	Vijay Devi	F-440 G No. 8 Ganga Vihar	20,000
68	Vijay Devi	F-440 G No. 8 Ganga Vihar	20,000
68	Kamlesh	381 Mandoli Extn	20,000
68	Nitesh Devi	B-30 Kardam Foram Joharipur	20,000
68	Sumitra Sukla	A-33 G No. 4 Bhagirithi Vihar	20,000
68	Jaipali	B-95 Bhagat Vihar Karawal Nagar	20,000
68	Raj Devi	B-3/368 Nand Nagri	20,000
68	Ganga Devi	B-6/224 Nand Nagri	20,000
68	Manju Singla	1240 Kachi Pura Nand Nagri	20,000
68	Shanti Devi	D-928 Harish Vihar	20,000
68	Satya Wati Dev	A-722/16 Mandoli Extn	20,000
68	Shanti	238 G No. 2 Vill Saboli	20,000
68	Bharpai	228 G No. 2 Vill saboli	20,000

68	Jagirti	353 Vill Mandoli	20,000
68	Rumali	B-1/355 Nand Nagri	20,000
68	Kanta Devi	D-1/229 Nand Nagri	20,000
68	Savitri	D-8/102 East Gokalpur	20,000
68	Prakashi	E-615 East Gokalpur Amar Colony	20,000
68	Roshni Devi	A-4/422 East Gokalpur	20,000
68	Sudesh Gupta	A-16/2 G No 1/2 Ph-1 Bhagirathi Vihar	20,000
68	Shanti Devi	B-184 Bhagirithi Vihar	20,000
68	Bunda Devi	A-248 Gokalpuri	20,000
68	Basanti Devi	E-56 Bhagirithi Vihar	20,000
68	Maya Devi	Vill Joharipur	20,000

WDM SANCTION 2010-11

Cno	*Name*	*Address*	*Amount*
68	Jagbiri	A-81, Johtipur	20,000
68	Beewati	153, G.No 5, Mandoli Ext	20,000
68	Malti	D-298, Gokal Puri	20,000
68	Nanhi Bai	A-547 Gokal Puri	20,000
68	Shakuntla	136, G No 2, Johripur	20,000
68	Shanti	1139, Johripur	20,000
68	Sheetlo	A-8/651, Gokalpur	20,000
68	Izazan	860, Mandoli	20,000
68	Ramwati	Ju-160, G No 11. Bhagirathi Vihar	20,000
68	Raj Bala	B-189, G No 3, Bhagirathi Vikar	20,000
68	Kusumlata	C-122a, G No5, Ganga Vihar	20,000
68	Meena	C-11, Mandoli	20,000
68	Angoori	A-25, Mandoli	20,000
68	Kamla	C-97, Gokalpuri	20,000
68	Kamla	C-97, Gokalpuri	20,000
68	Saroj	350, G No 19, Harsh Vihar	20,000
68	Indira	A-67/1, G No 1. Johri Pur	20,000
68	Jaimantri	D-2149, Johripur	20,000
68	Harisha Chau	D-1/12, G No 1, Mandoli	20,000
68	Shakuntla	B-28, Mandoli Village, Pratap Nagar	20,000
68	Suresh	86, Sushila Garden, Mandoli	20,000
68	Suhagwati	E-110/12, Bhagirathi Vihar	20,000
68	Premwati	E-73/B 141, Gokalpuri	20,000
68	Munni	B-225, B-225, Johri Pur	20,000

68	Rewati	E-57, G No 4, Bank Colony	20,000
68	Sujata	152. G No 3, Johripur	20,000
68	Saroj	E-73, G No 3, Bhagirathi Vihar	20,000
68	Ganga Devi	C-2/347, Nand Nagri	20,000
68	Parwati	C-106, Gokalpuri	20,000
68	Vidhya Devi	A-5, G No-2 Ram Vihar, Johripur	20,000
68	Kapuri	C-243, Pratap Nagar	20,000
68	Shanti	625, G No 12, Mandoli	20,000
68	Amarwati	E-192, Johri Pur	20,000
68	Neetu	A-350, G No 5, Meet Nager	20,000
68	Omwati	264, G No 6, Meet Nager	20,000

WDM 2011-12 SANCTION

Cno	*Name*	*Address*	*Amount*
68	Manju	132, Shakti Garden	20,000
68	Lokesh	10b. G No 5, Maujpur	20,000
68	Kamlesh	305, Gno 16 Mandoli	20,000
68	Bimla	23, G No-2, Mandoli	20,000
68	Triveni	215, G No-4, Mandoli	20,000
68	Manju	69, Johri Pur	20,000
68	Sumitra	A-2/339, Harsh Vihar	20,000
68	Aasha	A-299, G No-2 Meet Nager	20,000
68	Jagwati	455, East Gokalpur	20,000
68	Ramwati	B1/259/7, Harsh Vihar	20,000
68	Shakuntla	136/2, Johri Pur	20,000
68	Premlata	229/1. Tunda Nager	20,000
68	Nisha Devi	D-270, G No 8, Gokalpur	25,000
68	Leelawati	572-573, Gokalpuri	25,000
68	Ram Rati	17/555, G No 17, Goklapur	25,000
68	Vimla Devi	888, G No 14, Mandoli	25,000
68	Bala Devi	97. Wast Gokalpur	25,000
68	Nirmala Devi	423, G No 4- Gokalpur	25,000
68	Mithlesh	187, Sushila Garden Mandoli	25,000
68	Pinki	889, G No 19, Harsh Vihar	25,000
68	Darshan	82, Johri Pur	20,000
68	Kailasho	B-90, Johripur	20,000
68	Durgesh	A-47 G No 2, Johripur	20,000
68	Durgesh	A-47 G No 2, Johripur	20,000

68	Hajra Degam	270 G No. 10, Bhagirathi Vihar	25,000
68	Geeta Devi	211, G No 4, Ganga Vihar	25,000
68	Pushpa	A-14, G No 2, Johripur	25,000
68	Hemlata	A-142, Indra Vihar	25,000
68	Ashrafi	Aj/295, Harsh Vihar	25,000
68	Devki Devi	15, Ekta Gali, Johripur	25,000
68	Sarala Devi	421/1600, G No 9, Mandoli	25,000
68	Krishna Devi	F-233, Ganga Vihar	25,000
68	Janki	A-332, Gokaklpuri	25,000
68	Kusumlata	4/73, East Gokalpur	25,000
68	Hemlata	308, Gokalpur	25,000
68	Shimla	D-179, G No 1, Mandoli Ext	25,000
68	Aziz Bano	C-53, G No 10, Old Mustagabad	25,000

162. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से विधवाओं की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है,

(ख) क्या सरकार परित्यकता महिलाओं एवं ऐसी महिलाओं, जिनके दिल्ली के किसी भी न्यायालय में मामला लंबित है, को भी पेंशन देने पर विचार कर रही हैं,

(ग) क्या सरकार की विधवाओं को सिलाई मशीन देने की कोई योजना हैं, और

(घ) क्या दिल्ली सरकार की ऐसी महिलाओं को, जिनके पति कई वर्षो से लापता हैं और अशिक्षित होने के कारण वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकती, को भी पेंशन देने का निर्णय करेगी?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ, न्यायालय में लंबित मामले के कागजात या एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि लगाने पर पेंशन दे दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) एफ.आई.आर.की कापी प्रस्तुत करने पर पेंशन दी जाती है।

163. श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान समय में राजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजागार लोगों के नाम दर्ज हैं, इसकी सूची क्या है,

(ख) इस वर्ष रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार लोगों को सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया गया।

(ग) सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने की क्या योजनाएं बनाई है, पूर्ण विवरण दें।

लोक निर्माण विभाग

(क) दिनांक 14/05/2012 तकए रोजगार विभाग में रोजगार चाहने वाले बेरोजगारों की कुल संख्या 803438 दर्ज है जिनमें से 9778 बेरोजगार को रोजगार प्रदान किया गया। (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)।

(ख) 1 जनवरी 2012 से 14 मई 2012 तक कुल 952 बेरोजगार लोंगों को इस रोजगार निदेशालय द्वारा रोजगार प्रदान किया गया। (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)।

(ग) दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयण आयोग द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है।

नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न काल समाप्त अब नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख लिए जाएंगे, सबसे पहले श्री सुरेन्द्र कुमार अपना विशेष उल्लेख रखें।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले समय चकबन्दी की गई थी। मैं यहाँ हाउस में कई बार इस बात को उठा चुका हूँ। कि इन लोगों को मकान बनाने की इजाजत दी जाए। मगर कारपोरेशन की तरफ से कहा जाता है कि नक्शे पास कराओं जब ये मकान बनाएंगे। अध्यक्ष जी, वहाँ पर एक बात और आई है, कोई भी किसान अगर बिजली का कनैक्शन लेना चाहता है तो एनडीपीएल की तरफ उसको मना कर दिया जाता है। उसको यह जवाब दिया जाता है कि इलैक्ट्रीफिकेशन का पैसी या तो तुम जमा करो या रेवैन्य डिपार्टमेंट पैसा दे। आज तक लाल डोरे या बढ़े हुए लाल डोरे में या चकबन्दी के प्लाटों में कोई बिजली का कनैक्शन लेता है उस पर पैसा नहीं लिया जाता। मगर यह एक नई परम्परा चालू कर दी गई है एनडीपीएल की तरफ से उनको कहा गया कि वे पैसा दें।

अध्यक्ष जी, एक किसान ट्रांसफार्मर का पैसा कैसे देगा, वह केबल का पैसा कैसे देगा, वह खम्भों के पैसे कैसे देगा। उनको यह कहा जा रहा है कि यदि आप लोग नहीं

देना चाहते तो हमें रेवेन्यू विभाग से दिलवाओ। रेवेन्यू विभाग से बात की तो वह यह कहता है कि हमने तो चकबन्दी के प्लाट काटे हैं जब भी चकबन्दी हुई है हम ये प्लाट काट कर किसान को देते हैं। हमारा यह काम नहीं है कि हम उसका बिजली का, पाइप का, पानी का, रोडों का बजट दें। अध्यक्ष जी, मैंने हारुन साहब के साथ भी मीटिंग की थी मगर इसका कोई निर्णय हो पा रहा। देहात के सारे लोग और किसान दफतरों के चक्कर लगा रहे हैं उनको बिजली का कनैक्शन नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत भारी परेशानी है, पहले तो यह परेशानी थी कि उनको मकान नहीं बनाने देते उनके मकानों को गिरा दिया जाता है जो भी कोई मकान बना दे। अब एक दूसरी बात और खड़ी कर दी कि हम बिजली का कनैक्शन नहीं देंगे।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इतनी बड़ी मार जो गांबों के लोगों पर पड़ी है। हारुन यूसुफ साहब आपके पास जो पावर का महकमा है। आप इनको आदेश दें कि आप इनको आदेश दें कि जिस गांव के जो कनैकशन हैं वे उन लोगों को दिए जाएं आज तक लाल डोरे में या चकबन्दी में यहाँ मेरे इतने साथी विधायक यहाँ बैठे हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं किसी से भी कोई पैसी नहीं लिया गया। लेकिन यह एक नई परम्परा चालू की गई है कि उन गांवों के लोगों से पैसा लो अगर वे नहीं देते तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका फैसला कराया जाय और उन लोगों को कनैक्शन दिया जाये।

अध्यक्ष महोदयः ऊर्जा मंत्री जी, सुरेन्द्र जी ने जो सवाल उठाया है वह पूरे दिल्ली देहात को मथ रहा है, लोग बड़े दुखी हैं

आप इसमें खुद इनीसिएटिव ले करके एक मीटिंग बुला लीजिए, जिसमें रेवेन्यु विभाग के भी हों, क्योंकि वे कई बार रेवेन्यु पर टाल देते हैं और सुरेन्द्र जी को बुला लीजिए। मेहरबानी करके कोई समाधान निकालिए।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सेशन के बाद इस मीटिंग को बुलाएंगे और सुरेन्द्र कुमार जी और जो भी हमारे माननीय सदस्य देहात से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी बुला लेंगे।

अध्यक्ष महोदयः बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉ. हर्षवर्धन जी अब आप बोलिए।

डा. हर्षवर्धनः अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित होती तो बेहतर होता। मैं बड़ा खुश हुआ था जब वे आ गई थीं बड़ा दुखी हुआ जब वे चली गई। मैं यह विषय उनकी उपस्थिति में ही उठाना चाहता था। अध्यक्ष जी, 2009 में जब यह सरकार तीसरी बार जीत कर आई तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े pomp and show से स्कीम का उद्घाटन भी किया था और उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएँ भी की थीं और भागीदारी की बड़ी मीटिंग में जिसमें सारी दिल्ली की भागीदारी की संस्थाएँ थीं। उसमें कहाँ कि लोगों को बिजली, पानी इत्यादि के बिल सुलभ ढ़ंग से जमा करने के लिए सारी दिल्ली में जीवन केन्द्रों के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना बनाई थी कि 520 केन्द्र इसके अन्तर्गत बनाए जाएंगे। जिसमें 120 केन्द्रों को सरकार ने अपने हाथ में स्वयं लिया और 400 केन्द्रों के लिए उन्होंने फ्रेंचाइज दी। उसके लिए दिल्ली के अन्दर 400 एप्लीकेशन इनवाइट करके 400 लोगों को इनवाल्व किया गया। उन्हें एक सपना दिखाया गया कि हम आपको स्मार्ट बिजनेसमैन बनाएंगे। एक Three Eye Infotech Company करके कम्पनी को उसे लिए employ किया गया।

सरकार ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर सब जगह इसको publicize किया कि यह सरकार यह कम्पनी और जिसकी फ्रेंचाइजी है। ये सारे लोग मिलकर पार्टनर हैं, ये सेवा भी करेंगे और उसके अन्दर से इनकम भी करेंगे तथा स्मार्ट बिजनेसमैन बनेंगे। इसके तहत करीब 400 में से 389 फ्रेंचाइजी और जो गवर्नमेंट में 120 केन्द्र खोलने थे, उनमें से करीब 109, इस तरह से यह स्कीम शुरु की गई।

अध्यक्ष जी, पिछले कई महीनों से दिल्ली के 400 परिवार और उनके मुखिया दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में including Information Technology Secretary उनके colleagues, मुख्यमंत्री व सम्बन्धित विभाग में लगातार घूम रहे हैं। वे स्मार्ट बिजनेसमैन तो नहीं बन पाए लेकिन वे एक प्रकार से लुट गए क्योंकि उन सबसे एक लाख 25 हजार रु प्रत्येक से लिया गया था और कहा गया था कि यह पैसा जमा होगा और उसमें जो सारे प्रोफिट्स आने थे उनमें से करीब 19 परसेंट प्रोफिट सरकार का था बाकी तथाकथित जो स्मार्ट बिजनेसमैन सरकार बनाने वाली थी उनका था। अब लगभग पिछले कई महीनों से यह स्कीम पूरी तरह से बंद है। चारों तरफ ये जीवन केन्द्र ठप हो चुके हैं दिल्ली में कोई नहीं चल रहा। वह Three Eye Infotech Company सारे लोगों का टोटल पैसा निकाल कर भग चुकी है। उसके अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और वे लोग बराबर सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वे सरकार से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आप उस कम्पनी के खिलाफ केस चलाइए और हम लोगों को पैसा वापस दिलाइए। हमें re-establish करिए कुछ करिए। लेकिन unfortunately इस सारे मसले पर कोई भी सरकार के अन्दर सुनने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने इसकी बड़े पॉम्प एण्ड शो से घोषणा भागीदारी की बड़ी मीटिंग में भी की थी उसके बाद कम से कम दर्जनों जगह पर दिल्ली में इस स्कीम के बारे में

मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली में पब्लिसाइज किया कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। हम एप्रिशिएट करते हैं यह वह जिस भावना से खोली गयी थी। वह स्कीम बंद तो हो ही गयी लेकिन उसके साथ साथ 400 लोगों का जो रोजगार था, वह भी खत्म हुआ। उन 400 लोगों के आज पैसे भी वापस नहीं मिल रहे हैं। वे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। they are very ordinary people. बड़ी मुश्किल से उन्होंने सवा-सवा लाख रु. अरेंज करके इस स्कीम के तहत फ्रेंचाइजी के दिए या ये कमिटमैन्ट या कन्सैन्ट दी थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि on behalf of those 400 families आप सरकार को निर्देश भी दें और मुख्यमंत्री जी इसके बारे में कोई स्टेटमैन्ट दें कि उन 400 लोगों के 400 परिवारों के हो सकता है कि जहाँ हजारों लाखों लोग इन्वाल्व होते हैं। वहाँ तो हम लोग फटाफट स्कीम बनाते हैं। कोई सर्टिफिकेट जरुरी है तो वह सर्टिफिकेट भी बांट देते हैं चुनाव के समय। लेकिन यहाँ ये छोटा नम्बर है, 400 फेमिलीज केवल इन्वाल्ड हैं, इसलिए nobody bothered in the Government to look after their interest.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका इन्टरवेन्शन चाहता हूँ। ये लोग सरकार में सब जगह पर घूम चुके हैं कई-कई महीनों से घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें इस संदर्भ में सब अखबारों में छप चुकी हैं। बावजूद इनको कोई किसी तरह का रेमेडियल रिलिफ नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे लगता है डॉ. हर्षवर्धन जी, आप यदि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अब श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन पशु पालकों की और दिलाना चाहता हूँ जो दिल्ली में डेयरी चलाकर, भेंस पालकर के

अपना गुजारा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले एक डेढ महीने से दिल्ली नगर निगम ने इतना बुरा हाल उनका किया हुआ है कि इसे बयान करना बड़ा मुश्किल है। सुबह-सुबह 5-6 बजे आकर इस तरह रेड करते हैं और जबरन उनकी भैसों को लादकर ले जाते हैं। बहुत बड़ा भारी जुर्माना उन पर लगाकर छोड़ते हैं। जिससे वे जुर्माना अदा करने में बहुत नाकाम रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग तो तंग आकर सीमावर्ती क्षेत्र में खुले में अपने पशुओं को रखे हुए हैं। जिनका हाल बहुत खराब है। कइयों के पशु मर भी गयं हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह कहना है कि दिल्ली नगर निगम ने वैसे तो जहाँ डेयरियाँ बसाई घोघा डेयरी या जहाँ भी बसाई, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निगम ने किया। वास्तविकता है कि वे बार बार कोर्ट को गलत बताते रहे। और वहाँ पानी आदि के जो इन्तजाम होने चाहिए थे। वे इन्तजाम पूरी तरह से वहाँ पर नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए बहुत सारे पशुपालक वहाँ पर नहीं गये। हाल ही में हमारी सरकार ने नगर मिगम को तीन भागों में बांटा है। लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का काम सही समय पर हो, अच्छा हो, इस अंदाज से इसे किया गया है। मेरा यह मानना है और आपसे यह अनुरोध है कि जो पशु पालक है जो डेयरी वाले हैं इनको एक जगह क्यों सैटल कर दिया गया जब नगर निगम तीन बंट गये तो इनको भी अलग अलग जहाँ जहाँ ये जिस क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं नगर निगम के आधीन इनको किया जाये ताकि इनकी संख्या भी वहाँ कम रहे। इनकी व्यवस्था भी वहाँ ठीक से हो जाये। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इनको जिस नगर निगम के क्षेत्र में वे रहते हैं वहीं पर उनके इन्तजाम किये जायें, वहीं पर उनका पुनर्वास किया जाये और उनकी डेयरियां बनाई जायें। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अगर हम शाहदरा की बात करते हैं तो घोगा डेयरी वहां से 60-65 किलोमीटर दूर पड़ती है। जहाँ से उनको अपना बिजनिस करना या वहां रोज जाना या आने में बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी

समस्या को देखते हुए सरकार से ये कहा जाये कि उनका इन्तजाम उसी निगम क्षेत्र में किया जाये जहाँ पर वे कारोबार करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री रमेश बिधूड़ी जी।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, न हाउस में न मुख्यमंत्री हैं न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। आखिर ये हम सुना किसको रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सुना रहे हैं। सरकार सीरियल नहीं है। बेंचेज खाली हैं और इतने लोक महत्व के जीरो आवर में हम लोग उठा रहे हैं। जीरो आवसर मीन्स कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब (जीरो) नहीं है। इसका मतलब 'जीरो इम्पोटेंस' है क्या? इतनी उदासीन सरकार को जायेगी, समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदयः ये आपको सुना रहे हैं जिससे कि आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकें।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा रहा हूँ लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। होना चाहिए। चीफ ह्विप कौन हैं? जरा सभी को कहिए।. .ठीक बात है रहना चाहिए। श्री रमेश बिधड़ी जी।

श्री रमेश बिधूड़ीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ..पीड़ा तो मेरी साहब सिंह चौहान जी जैसी है। मुख्यमंत्री जी अभी हैं नहीं वे जल बोर्ड की चेयरपर्सन हैं। सर जीरो ऑवर में जो बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं इलाके की जिनको कि सदन में..सर वैसे ही 20-25 दिन सदन लगता है साल में। उसमें भी अगर सिन्सीरिएटी के साथ न सुना

जाये तो ये रस्म अदायगी होकर रह जाती है। आ गयी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन पीने के पानी को लेकर है। तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में, पहले भी मैं कई बार इस बात को रख चुका हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एश्योर भी किया था। जब यहाँ पर आया था लेकिन मैंने नियम 280 में लगाया है। सर वहाँ पर एक प्रतिशत फिल्टर वाटर भी कांस्टिटयूएन्सी में नहीं है। 268 टयूबवेल वाटर लगे हुए हैं और पिछले 30 साल से टयूबवेल के द्वारा पानी सप्लाई हो रहा है। अब कुछ टयूबवेल ऐसी हैं कि उनका पानी का लेवल डाउन चला गया है। उन टयूबवेल ने काम छोड़ दिया है। मेरे यहाँ बहुत पतली गलियों हैं, टैंकर वहाँ जा नहीं सकते है। माननीय मुख्यमंत्री जी को या सरकार को या सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है, शायद प्राइवेटाइजेशन करने की मंशा सरकार की होगी। उन कम्पनियों को दिखाने के लिए कि खर्चा बहुत कम होता है। 8 महीने से नेगी साहब सीईओ थे, अब मैडम सीईओ आ गयी हैं। नेगी साहब ने 15 बोर्स के रिबोर्स् के ऑर्डर किए थे 15 जनवरी में। इजीनियर वाटर मेम्बर धवन जी हैं। उन्होंने एश्योर किया कि कर देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैंने मीटिंग की थी सीईओ साहब के साथ। सर अगर वे टयूबवेल रिबोर भी हो पायेंगे किसी अखबार में, अंग्रेजही के अखबार में..

...व्यवधान..

अध्यक्ष महोदयः आप लोग आपस में बातें मत कीजिए।

श्री रमेश बिधूड़ीः सर किसी अंग्रेजी के अखबार में खबर आ गयी कि जमीन में टयूबवेलों में जहरीला पानी आना शुरु हो गया है। अखबार में अगर किसी ने लिख दिया। उसको आधार बनाकर सरकार ने रिबोर लगाने बंद कर दिये। मैं रिबोर नहीं मांगता हूँ सर। वहाँ पर एक यूजीआर.. मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी करुँगा मुख्यमंत्री का उन्होंने 2006

में एक यूजीआर 14 करोड़ की लागत से बनवाया। जहां पानी की समस्या बताई थी डीडीए से जमीन लेकर। यह 5 साल में बनकर तैयार हुआ पड़ा है सर। जब वहाँ यूजीआर बना था, जब वहाँ पाइप लाइन डली थी वह सोनिया विहार के नाम से बनी थी। उसके बाद अधिकारी कहने लगे कि यहाँ पानी आयेगा, ट्रीटमैन्ट प्लाण्ट ओखला में बन रहा है, उससे आयेगा। अब ओखला का मैंने कहा कि अगर वह वजीराबाद में बन गया है, 400 एमजीडी का उसके बाद 100 एमजीडी ओखला में आयेगा 45 एमजीडी ये आयेगा। अधिकारी ये कहते रहे। एक प्रश्न के जवाब में भी जल बोर्ड ने कहा कि 2009 में वह पानी आ जायेगा। पानी सप्लाई कर देंगे। अब 2012 आ गया सर। टयूबवेल लगा नहीं रहे हैं सर। अब कहने लगे कि मुनक नहर में पानी आयेगा। तब वो आयेगा पानी। सर हरियाणा मुें कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखण्ड में कांग्रेस की सरकार है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार की मुख्यमंत्री हैं। अगर पानी के प्रति इसकों सर ये न समझें कि जनता रोती है तो रस्म अदायगी विपक्ष के नाते कर रहे हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जीवन चलता नहीं है जी। मेरे यहाँ इतनी बुरी हालत है जैसे धर्मदेव जी अभी कह रहे थे। सर पहले गांव में यूपी से हरियाणे से टेंकर आते थे, वे लाकर बेचते थे। अब हरियाणा सरकार ने और हमारी सरकार ने उन टैंकरों की इन्टरी बॉर्डर पर बंद कर दी है। हरियाणा ने पानी निकालना बंद कर दिया है वहाँ से। अब लोग मोल भी पानी नहीं खरीद सकते हैं। अब दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में पीने का पानी भी अगर नहीं मिलेगा और सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेगी। तो हम कहाँ जायें सर? हाउस में जीरो हावर में हम उठा चुके हैं। कल हम रोलिये सर। अधिकारियों से बैठक कर ली है सर। कम से कम उन अयूबवेल्स को जो पहले लगा रखे हैं। 10-15 साल पहले उनमें तो जब तक फिल्टर वाटर न दें सरकार कम से कम वहाँ रिबोर करवाकर पानी की व्यवस्था तो करवाये। पानी के बगैर कैसे हम उनको जवाब देंगे जी यह मेरा निवेदन है सर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बैठी हैं। मेरा निवेदन है कि अगर थोड़ा बहुत मूंह से बोलेंगी तो बात अधिकारियों तक जाये तो उनके

कान खुल जायें इस बात को लेकर तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दें। कांग्रेस में तो आऊँगा नहीं कांग्रेस में आने के लिए बोलेंगी तो। जनता ने चुना तो मुझे भी आपकी तरह ही है।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुभाष सचदेवा।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुभाष सचदेवा जी।

...........अंतरबाधाएँ.............

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष महोदय, हम ने इस सरकार की 14 साल की कार्य प्रणाली देखी है। अभी आपका कल ये भाषण सुना। इसमें यह दे रखा है कि दिल्ली एक बेहतरीन शहर बनेगा। एक तरफ आप बेहतरीन शहर बनायेंगे और दूसरी तरफ जहाँ पर पीने के पानी न हो।

...........अंतरबाधाएँ...............

अध्यक्ष महोदयः बिधूड़ी जी, आपकी बात हो गई है, अब आप बैठिए। सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवाः माननीय अध्यक्ष जी, आज बिधूड़ी जी ने, सोलंकी जी ने अपने क्षेत्र में काफी वर्षो से जो यू.जी.आर. बनकर तैयार हैं और उनमें पानी नहीं आ रहा। दिल्ली में ऐसे बहूत सारे स्थान हैं, जहाँ पर बहुत वर्षो से यू.जी.आर. बनकर तैयार हैं और उनमें पानी नहीं आ रहा। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को एक बैठक में बुलाया था। उसमें विधायकों की मुख्य समस्याओं के बारे में सुना था और काँग्रेस के ही कुछ विधायको ने अखबारों में भी निकलवाया कि मुख्यमंत्री जी सुनती नहीं हैं। एच. ओ.डी. सुनते नहीं हैं तो मैंने उनसे यह कहा था कि नहीं मुख्यमंत्री जी सुनती हैं और एच.

ओ.डीज. भी सुनते हैं। ऐसी नहीं है कि इस बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। यह कहा था। इस पर मुझसे काँग्रेस के लोगों ने नाराजगी प्रकट की कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैं सच्चाई कह रहा हूँ और मन से कह रहा हूँ और मन से कह रहा हूँ। मैंने कोई बुराई नहीं की थी, अच्छाई की थी, तारीफ की थी। लेकिन उस तारीफ में यह हो गया कि वो काम डेढ़ साल और डिले हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर ऑफिसर्स को ये निर्देश दिया कि आप सचदेवा जी के क्षेत्र का यू.जी.आर. अक्टूबर तक चालू कर दें। एक अक्टूबर चला गया और दूसरा अक्टूबर आने वाला है। लोग ये सवाल उठाते हैं कि यह गाय भैंस बाँधने के लिए तबेला बनाया था या ये पानी के लिए था। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने 40-40 करोड़ रुपए एक एक यू.जी.आर. में लगाया होगा। पानी नहीं आ रहा, वहाँ पर पम्प जाम होते जा रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर हालत देखें कि कौन कौन लोग वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से जानवर घुस रहे हैं। बिधूड़ी जी ने ठीक कहा कि कभी पहले सोनिया विहार का नाम लिया गया, कभी हैदरपुर प्लान्ट का, अब ऑफिसर्स कहते हैं कि मुनिक नहर में, मैंने कई दफा एश्योरेंस कमेटी की बैठक में कहा कि जरा मुनिक नहर को देख लें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक दफा जाकर उसका निरिक्षण कर आयें और आप तुरन्त रोक देंगी। मुझे यह पूर्ण विक्ष्वास है कि वो मुनिक नहर जिस दिन पानी उसमें छोड़ा जायेगा वो उसी दिन टूट जायेगी। कभी आप गाँव में गए हो तो गोबर सक दीवारें लिपी हुई दिखती हैं, उसमें क्रैक्स होते हैं। ये सेम पोजीशन दिल्ली सरकार का मुनिक शहर पर पैसा लग रहा है जिसकी हमें इतने दिनों से इंतजार है वो एक दिन नहीं चलने वाली। आप खुद जाकर देखें और मिस्टर धोल ने इस बात की। वो मेरे कहने के बाद वहाँ पर गए थे। वे कह रहे हैं कि यह नहर बिल्कुल नहीं चलने वाली। आप खुद जाकर उसका सर्वे करें और आपको बड़ा दुख लगेगा कि दिल्ली सरकार का पैसा क्योंकि उसको हरियाणा वाले बना रहे हैं। दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का पैसा हैं और

उसकी कंस्ट्रक्शन हरियाणा सरकार कर रही है। दिल्ली के अंदर यू.जी.आर. इतने बने हुए हैं और पानी नहीं है और ये मैंने कल आपको अपने बाल अर्पित किए। लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि वा हमारी जल देवी हैं। मैंने कहा कि आप प्रसन्न होंगी तो हमारा क्षेत्र प्रसन्न होगा। यह सब आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको आर्पित किए हैं। आप जरुर, आपने बिधूड़ी जी की बात को तो रिस्पोंड नहीं किया। मेरी बात को क्योंकि मैंने सेक्रिफाइरज किया है तो आप इसमें जरुर पानी देने का कष्ट करेंगी।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। आपने अभी कहा कि बाल आपको अर्पित किए। अध्यक्ष जी, वे अपने परिवार को अर्पित करें, वो हमें क्यों करेगा।

श्री सुभाष सचदेवाः नहीं, आपको नहीं कर रहे, मैंने जल देवी को अर्पित किए हैं। जैसे लोग बालाजी में जाकर अर्पित करते हैं, मन्नत माँगते है। हम ने तो मन्नत माँगी है कि हमारे क्षेत्र में पानी आ जाए। हम कोई गाली नहीं दे रहे। हम ने ये बाल इसलिए अर्पित किए हैं कि जल देवी प्रसन्न हों और कीर्ति नगर के लोग प्रसन्न हों। अब तो मुख्यमंत्री जी खड़ी हो रही हैं।

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष महोदय, आपके यू.जी.आर. को तो तीन साल ही बने हुए हैं और मेरा यू.जी.आर. तो आठ साल से बना हुआ है।

श्री सुभाष सचदेवाः बहन जी कब तक पानी आ जायेगा, आप बता दें।

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा साहब, बैठिए। आपका हो गया। आप बैठिए। चौ. भरत सिंह जी।

..........अंतरबाधाएँ.............

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा जी बैठिए। भरत सिंह जी बोलिए।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, यह नाजायज हो रहा है। अभी तो बोल दिए हैं, जब हम जान देंगे, तब ही पानी मिलेगा क्या? वो तो जवाब देने के लिए तैयार थीं, जवाब तो आप लोग नहीं देने दे रहे।

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा साहब ये जिन्दगी यहीं खत्म नहीं होगी। यह जिन्दगी हाऊस में ही खत्म नहीं हो रही है। ये बाहर भी हैं। आप फिर बात कर लेना। आप बैठ जाओ।

.....अंतरबाधाएँ.......

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए।

..........अंतरबाधाएँ.............

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए।

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष महोदय, हम पानी माँग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

..........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। भरत सिंह जी बोलिए।

चौ. भरत सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इन्दिरा

गाँधी योजना, राजीव गाँधी योजना के तहत गरीब मजदूर किसान या फौजी रिटायरमेंट जैसे गरीब लोगों को एक एक एकड़ जमीन या 50-50, सौ सौ गज के प्लॉट्स उनको दिए गए थे जिसका मालिकाना हक आज भी लगभग 35-40 साल से नहीं मिल पाया। उसके लिए पीछे भी कोई बार इस सदन में चर्चाएँ हुई हैं। अध्यक्ष जी, वो गरीब लोग आज भी लगभग 35-40 साल से दर दर भटक रहे हैं। वे कोर्टो के चक्कर काट रहे हैं जो घर से अच्छे थे। उनके परिवार में पैसा देने के लिए अच्छा था। अध्यक्ष जी, उन्होंने पैसा देकर के अपना मालिकाना हक अपने आप ले लिया या उनका रुतबा था। उसके तहत उन्होंने मालिकाना हक ले लिया। ऐसे बहुत से परिवार हैं। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सुरेन्द्र जी ने भी हम सब ने इस बारे में चर्चा की हैं। अध्यक्ष जी, आपके पास भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कई बार डेलीगेशन गए हैं कि इन गरीब लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक दे देना चाहिए और विशेष तौर से इस समय पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम, डी.सी उनकी गिरदावरी ही बन्द कर रखी हैं। अध्यक्ष जी, इस समय वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो परिवार इस समय रोड पर आ रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस सदन से विनती करना चाहता हूँ कि ये लोग जो भटक रहे हैं, जो परिवार बर्बाद हो चुके हैं। उनको उनका मालिकाना है अवश्य दे दिया जाए और विशेष तौर से उनको इतना हक नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, उनकी जो गिरदावरी है, वो विशेष तौर से चढ़वा दी जाए। अध्यक्ष जी, आप भी इस रुरल बैल्ट के बारे में विशेष तौर से जानते हैं। आपको पता है कि आपके पास हजारों लोग लम्बे समय से चक्कर भी काट रहे हैं। आपके पास डेलीगेशन भी आते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह विनती करना चहता हूँ कि वो स्वयं यहाँ पर बैठी हुई हैं। यह सौभाग्य हमें मिला है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वो इस पर प्रकाश डालें और विशेष तौर से जब तक उनको मालिकाना हक न मिल जाए,

इतने उनकी खसरा गिरदावरी उनकी चढ़ाई जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल झां।

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मेरे कुछ मित्रों ने पानी के लिए चिंता व्यक्त की, वैसे ही किराड़ी की भी समस्या है। मुझे तो डर लगता हैं, जो सदस्य तीन-तीन बार जीते हुए हैं, उनके यहाँ यूजीआर बनकर के तैयार है और पानी भी नहीं आ रहा है। मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे यहाँ पर भी यूजीआर बना है और लगभग 99 पग्रतिशत तैयार हो गया है। मुझे इनकी बातें सुन सुनकर खुद डर लगता है। जब ये लोग तीन-तीन बार जीतकर के पानी नहीं ला पाये तो मैं अभी नया नया मार्किट में आया हूँ। मेरे यहाँ क्या हालात होंगे, और फिर कारपोरेशन चुनाव हो गये, डेढ साल बचा हुआ है। लाग कह रहे हैं कि विधायक जी पानी कब देंगे। बडी विडंबना है। जब मैं में जाकर के भाषण करता हूँ तो देखता हूँ पाँच छह साल क बच्ची जब बैठी होती है। वो हम से पूछती है कि हमारी बुनियादी जरुरतों के लिए आप क्या कर रहे हो और जब वो 15-16 साल की होगी तो वो भी टैंकर के पीछे भागेगी। किराड़ी पहला ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 100 प्रतिशत हिस्से में पानी नहीं है। जहाँ पर ट्यूबवैल के माध्यम से भी पानी नहीं आ सकता। हमारे क्षेत्र में पानी टैंकर से भी नहीं भरा जा सकता क्योंकि कुछ ताकतवर लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं। जो दो ढाई लाख गरीब आबादी है, वो पानी के लिए तरस रही है। मेरा आपसे यह कहना है कि यदि किसी बाहर के देश को पता चल चाये जाये कि इतने बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली की यह हालत है, जहाँ पर 100 प्रतिशत हिस्से में पानी ही नहीं है और यूजीआर बनकर के तैयार है। कहा गया था कि उद्घाटन हो जायेग, अभी तक तो हुआ नहीं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना है कि अनधिकृत कालोनी

का क्षेत्र है, विधायक होने के नाते, मेरे क्षेत्र में 100 प्रतिशत अनधिकृत कालोनी है। मैं विशेष पैकेज की माँग कर रहा हूँ कि किराड़ी के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया चाहिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए। यह मैं वहाँ की स्थितियों को देखते हुए माँग कर रहा हूँ।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि किराड़ी के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाये, जो कम से कम पाँच करोड़ के आस पास की हो। यूजीआर चालू हो। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में आज तक एक भी सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। यह बडा ही विडम्बनीय प्रश्न है। पूरी की पूरी अनधिकृत कालोनी है। आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी मेरी इस बात को मान लें, मेरा जो अभी यूजीआर बना है, उसमें पानी आने की पहले संभावना है और सीवर लाइन डालने की संभावना है। उस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जनता की समस्याओं को देखते हुए, अनधिकृत बस्तियों मे तत्काल प्रभाव से इनको नियमित करना चाहिए। हम नियमितकरण की बात बार बार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं किस वजह से नहीं हो पा रही है मेरे यहाँ पर 106 कालोनियाँ हैं, उसमें से कुछ कालोनियों डीडीए की हिंडरेंस हैं। जब कालोनी बस गयी तो हिंडरेंस का मामला बाद में उभर कर आया, वहाँ आबादी बस गयी है। एक लाख आबादी को कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। मैं यह कहता हूँ कि चावड़ी बाजार को बचाने के लिए अगर जमीन के नीचे से मेट्रो जा सकती है तो मेरी आपसे अपील है कि किराड़ी को बचाने के लिए उसके ऊपर से फ्लाई ओवर भी जा सकता है। उस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए कि किराड़ी को न उजाड़ा जाये, फ्लाई ओवरों के माध्यम से रोड़ों को निकाल दिया जाये, जैसे कि मेट्रो के माध्यम से हुआ है। मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम को किराड़ी के लिए 500 करोड़ रुपया विकास कि लिए उपलब्ध कराया जाये।

अध्यक्ष महोदयः साथियों, आज अधिकांश सदस्य पानी की समस्या को लेकर के चिंतित हैं और यह ठीक भी है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं। पानी बहुत पीछे चला गया है। किसी जमाने में साऊथ दिल्ली में 60 फीट पर पानी मिलता था। आज साढ़े पाँच सौ फीट पर मिल रहा है। आदमी से हम लड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति से लड़ना आसान नहीं है। पानी की समस्या इस समय है। शायद आपने किसी ने पढ़ा भी हो कि साऊथ अमरीका के बोसनिया देश में पानी पर क्रांति हो चुकी है, सड़को पर लोगो को मारा गया है, भगवान न करे कि हमारे देश में ऐसा हो। जहाँ हम पानी की माँग कर रहे हैं, वहाँ हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम लोगों को आगाह करें, समझाएं कि पानी का बेजा इस्तेमाल न हो। हम बहुत जगह देखते हैं कि कहीं कहीं तो पानी पाँच-पाँच, छह-छह, सात-सात दिन तक नहीं आता और कहीं पर गाड़ियों धोई जा रही हैं, हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम इस और भी ध्यान दें। जहाँ तक बाहर से पानी की बात है तो मुख्य मंत्री जी उस और प्रयास कर रही हैं। हरियाणा ने हमारा आधा पानी काट लिया है। हम सब मिलकर कोशिश करें कि वो पानी आ जाये तो हमें थोड़ी राहत मिल सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पानी की समस्या के लिए हमें किसी एक को दोष नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक समस्या है, प्रकृति की मार भी है, पानी बहुत नीचे जा रहा है। मैं एक प्रार्थना माननीय मुख्य मंत्री जी से जरुर करना चाहूंगा कि ढ़ासा से लेकर ककरोला तक एक बहुत बड़ा नाला है, उस नाले को हमने छह किलोमीटर तक गहरा करवाया था। प्रोफेसर मुखी साहब उसमें पानी रुपा, परिणाम यह हुआ कि उसके आस-पास के गाँवों के पानी का लेवल ऊँचा हो गया और कई गाँव तो ऐसे थे, रावता के आस-पास, गालिब पुर के आस-पास जिनमें खारा पानी था वो मीठा हो गया। मैं निवेदन करुँगा कि वो फिर से शुरु करवायें। छह किलोमीटर वो हुआ था। 32 किलोमीटर तक का ककरोला का नाला है, वौ यदि गहरा हो जाये तो साऊथ दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों को बहुत फायदा हो सकता है।

उसको खेती में भी प्रयोग कर सकते हैं, हमने किया था। बड़े-बड़े दो पम्प वहाँ पर रखे गये थे, एक तो इलेक्ट्रिकल पम्प और दूसरा डीजल का पम्प, उससे नीलवाल तक जो कि टीकरी के पास है, वहाँ तक पानी पहुंच गया था और लोगों ने खेती भी की थी। मेरा मुख्य मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वो इस दिशा में भी काम करवायें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, आपकी इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। किंतु आपका यह कहना कि किसी एक पर दोष नहीं दिया जा सकता। मुख्य मंत्री जलबोर्ड की अध्यक्षा हैं। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार हो तो दोष किस को देंगे? अगर हरियाणा पानी नहीं दे रहा है तो यह किसकी जिम्मेदारी है? इसके लिये मुख्य मंत्री जी ने क्या प्रयास किया? हम इसके लिए कोशिश करने के लिए तैयार थे परंतु आपका यह कहना कि दोष किसी एक को नहीं दिया जा सकता। स्पीकर हो कर आप यह कैसे कह सकते हैं, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो यह बहुत ही गलत बात हैं, आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगीं तो कौन लेगा? अगर दिल्ली में आपकी सरकार है तो कौन जिम्मेदार होगा? पानी का यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। सारी दिल्ली में पानी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो छोड़ दीजिए, सरकार नहीं चला सकते हैं तो गद्दी छोड़ दें। परंतु पानी का हाहाकार, बिजली का हाहाकार है......अंतरबाधा।

श्री रमाकांत गोस्वामीः मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, वहां पानी नहीं है, दिल्ली में पानी है.......अंतरबाधा।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्राः कहाँ है पानी?

श्री रमाकांत गोस्वामीः आप वाटर हारवेस्टिंग करिये, आपकी भी जिम्मेदारी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः किसने रोका है करने के लिए। पर यह कहना कि पानी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है.......अंतरबाधा।

..........अंतरबाधाएँ..........

विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी

श्री कंवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है, अभी तो नियम-280 पर बोलने वाले सदस्य काफी हैं। यहाँ एक ही बात पर बोला जा रहा है और राजनीतिकरण किया जा रहा है।

श्री रमेश बिधूड़ीः X X X X

श्री धर्मदेव सोलंकीः X X X X

अध्यक्ष महोदयः जो सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

..........अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः आप मेहरबानी करके बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः फिर आपने जो कहा कि कोई जिम्मेदार नहीं, उसको भी कार्यवाही से निकाल दें।

..........अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः देखियें, मैंने जो कुछ भी कहाँ, मैं हृदय की सच्चाई से कहना चाहूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं, यह आपने कैसे कह दिया।

अध्यक्ष महोदयः मैंने किसी के बचाव की बात नहीं की है। बड़ी सीधी और सपाट बात की है, जलेबी की तरह टेढ़ी-मेढ़ी बात नहीं की है। केवल विषय की गंभीरता को आपके सामने रखा है। किसी को बचाने की बात बिल्कुल नहीं की है। आपसे केवल एक ही प्रार्थना की है कि हम सब का भी फर्ज है और जहाँ तक दायित्व की बात है उसके लिए तो मैंने पहले ही मुख्य मंत्री को आग्रह कर दिया कि आप ककरोला वाले नाले को ठीक करा करके कुछ तो कर सकते हैं। आप कृपा करके यह मत कहिए कि मैं किसी को बचा रहा हूँ। मैंने वास्तविकता रखी है। उसको उतने तक ही रहने दीजिए। धन्यवाद। श्री सतप्रकाश राणा, आप नियम-280 पर बोलिए।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, आपने अभी सुझाव दिया छावला नाले का। दिल्ली में ललिता पार्क जैसी घटनाएं घटी हैं। पानी इतना ऊपर आ गया यमुना के पास कि इससे मकान गिर गया। साउथ दिल्ली में पानी नहीं है। क्या साउथ दिल्ली में ट्यूबवेल लगा करके पानी नहीं दिया जा सकता? दिल्ली में पानी की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको अध्यक्ष जी यह भी कहना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वितरण व्यवस्था बढ़िया हो और सारी दिल्ली में पानी मिले। कुछ इलाका ऐसा है।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी बोलना चाहती हैं।

मुख्य मंत्रीः सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि आप बहस करिए, खूब खूल कर करिए। जो कहना हो कहिए। पक्ष को या विपक्ष को लेकिन माननीय स्पीकर महोदय इस

हाऊस का संचालन कर रहे हैं। उन पर टिप्पणी करना या उन पर दोष लगाना। आपको यह कहना चाहिए था, आपको वो कहना चाहिए था। Sir, I object to this and this must be removed immediately from the records.

अध्यक्ष महोदयः श्री सतप्रकाश राणा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः Sir, I object to Chief Minister's remarks. आपका सहारा ले कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। I object to Chief Minister's remarks.

मुख्य मंत्रीः कहिए, जो आपको कहना है कहिए। आप कहते हैं रिजाईन करिये, मैं तो नहीं रोकती। लेकिन आप यह मत भूलियेगा कि स्पीकर की कुर्सी गरिमापूर्ण है। उस पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदयः बिधूड़ी जी, आप बैठिये, मैंने राणा साहब को बोलने के लिए कहा है।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, हमें अध्यक्ष जी, हमें अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान करना आता है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे स्पीकार का अपमान किया हो। आप माननीय स्पीकर हैं। मैं सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पानी की वितरण व्यवस्था दिल्ली में ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहीं। वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रही हैं। आपको उनको ध्यान दिलाना चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। मैं आपके माध्यम ये यह कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दक्षिण दिल्ली में और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में पानी के बहुत बुरी हालात हैं। पानी का लेवल 600 फुट से नीचे चला गया है।

.........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये, डा. वालिया कुछ बोलना चाहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहूंगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार रखो, न पानी की दिक्कत, न खाने की दिक्कत। न और कोई दिक्कत। न और कोई दिक्कत।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी तो पूरा पालन कर रहे हैं। राणा साहब, आप बोलिए।

श्री रमेश बिधूड़ीः (XXX) चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।)

अध्यक्ष महोदयः बिधूड़ी जी जो बोल रहे हैं, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। राणा जी आप बोलिए।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मेरे इलाके में 600 फुट नीचे पानी चला गया है। लोग बहुत परेशान हैं और हाहाकार की स्थित बनी हुई है। मेरे ऑफिस में आ महिलायें आ कर रोती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करुं। मैं अभी अपने माननीय नेता से पूछ रहा था कि मैं क्या करुं, अपने कपड़े फाड़ूं, हमारा एक साथी गंजा हो गया है। उसने अपने बाल अर्पित कर दिये हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता को रोते हुए देख नहीं सकता हूं। बहुत बुरा हाल है। आपने अभी बहुत इमोशनल वक्तव्य दिया। उसको माननीय मुख्य मंत्री जी भी समझें। कहीं से भी पानी की व्यवस्था ठीक हो। पानी की वितरण व्यवस्था ठीक हो। जहाँ पर ट्यूबवेल लग सकते हैं, जहाँ पर पानी का लेवल ऊपर है, वहाँ पर इनको लगायें और हमारे क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर पानी दें। मुनक नहर

से जब तक पानी नहीं आता, तब तक यह व्यवस्था बननी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया कि लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर पानी है, वहाँ के लाग बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे हालात यह हैं कि तुलसीदास जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 'जीविकाविहीन लोग', मैंने बोला है 'जलविहीन लोग'।

अध्यक्ष महोदयः आपने राणा साहब, जो लिख कर दिया है, उसी पर सीमित रहिये।

श्री सतप्रकाश राणाः जल विहिन लोग,

सिद्धिमान सोच बस
पूछे एक एकिन सो,
कहाँ जाए का करि।

लोग बैठे हैं, बैठ कर रो रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि वे कहाँ जाये, क्या करें, किससे लिफ्टें, किसको रोएं। ये हालात बने हुए हैं। आप से मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष जी, प्लीज कुछ कीजिए। ये हालात हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अग्रवाल साहब।

श्री जय भगवान अग्रवालः माननीय अध्यक्ष जी, वैसे पानी के बारे में मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जब एनडीपीएल बिजली की चोरी को रोक कर बिजली की व्यवस्था को सुधार सकती है तो क्या कारण है कि पानी की चोरी रोकने में दिल्ली सरकारी पूरी तरह विफल है?

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र में 24 घंटे पानी आता है और कल ये खुद सदन में यह रहे थे कि मेरे यहाँ 24 घंटे पानी आता है।

अध्यक्ष महोदय: अग्रवाल साहब, आप अपने विषय पर आ जाईये। पानी की बात हो गई है। सचदेवा साहब, आप बैठिये।

.........अंतरबाधाएँ.........

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री जय भगवान अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं सभी की मांग को स्वीकार कर रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाओ, अभी दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान गारंटी के साथ कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: जयभगवान जी, आप अपने विषय पर आये, समय समाप्त हो रहा है।

श्री जय भगवान अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आवासीय समस्या के समाधान हेतु पहले सहकारी समिति के सदस्यों को प्लाट आबंटित किये जाते थे। जैसे जैसे जगह की कमी होती गई, वैसे प्लाटों का आबंटन बंद कर को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भुखंड उपलब्ध कराने लगे और प्लाटों की जगह फ्लैट बनने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो दस गुना रेट पर एक निवेदक को केवल एक फ्लैट मिलता है। उसके बाद भी नियमित रुप से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वाल का सारा का सारा खर्चा वहाँ के सदस्यों को भरना पड़ता है। इसमें मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी की सारी संर्विसिज सरकारी खाते से हो सकती हैं, विधायक करवा सकता हैं,

निगम पार्षद करवा सकता है, सांसद करवा सकता है, उसी प्रकार हाऊस बिल्डिंग की तरह से ग्रुप हाऊसिंग की सभी सर्विसिज सरकारी खाते से होनी चाहिए। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि एक व्यक्ति को जिसको दो रुपये गज प्लाट मिलता था वो चार फ्लोर बना कर बेच देता था और एक फ्लोर मुफ्त में बच जाता था। अब केवल एक फ्लोर मिलता है। दस गुना रेट पर उसके बावजूद भी बांउड्री वाल के डेवलपमेंट के सारे खर्चे सदस्यों को खुद वहन करने पड़ते हैं। जबकि सारा का सारा को-ओपरेटिव डिपार्टमेंट है, एक ही विभाग है। मगर नियम दो हैं। जिस प्रकार हाऊस बिल्डिंग में सभी सर्विसिज चुने हुए नुमाइंदे अपनी कॉस्ट से करवा सकते हैं या सरकारी खाते से करवा सकते हैं, उसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग में भी सारे के सारे विकास कार्य सरकारी खर्च से होने चाहिएं। ये मेरे क्षेत्र का विषय है, मगर साथ-साथ दिल्ली की दो हजार ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी का विषय भी है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि संबंधित मंत्री वक्तव्य दें क्योंकि यह सारी दिल्ली का विषय हैं और यह होने वाला कार्य है। पानी की समस्या का समाधान करने में आप लोग विफल हैं। मगर यह समाधान आपके हाथ में है। मैं चाहूंगा कि इसमें संशोधन करायें।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, नियम-280 में जो लिख कर दिया जाता है उसी को ही पढ़ा जाता है। अध्यक्ष जी, ये बार-बार पानी की बात करते हैं। इनके यहाँ टाटा कम्पनी एक बहुत बड़ा यूजीआर बना रही है। इनको 24 घंटे पानी मिल रहा है। इनको अध्यक्ष जी, और क्या चाहिए।

..........अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदय: जयभगवान अग्रवाल जी ने को-ओपरेटिव सोसाइटीज पर लिख कर दिया है, एक शब्द वो बोल गए कोई बात नहीं। श्री ओ.पी बब्बर साहब, आप बोलिए।

..........अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, सतप्रकाश जी, आप बैठिए, ओपी बब्बर साहब, आप बोलिए।

..........अंतरबाधाएँ..........

श्री ओ.पी. बब्बरः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्री के सामने एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूँ। तकरीबन 150 के करीब ऐसी कालोनियां हैं जो 30 या 40 वर्ष पहले रेगूलराईज्ड की गई थीं। मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अनोथराईज्ड रेगूलराईज्य नहीं, उनको रेगूलराईज्ड किया गया। उन कालोनियों में जैसे मेरे क्षेत्र में गणेश नगर, महावीर नगर, कृष्णा पुरी, कृष्णा पार्क और इसी प्रकार दिल्ली के दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी कालोनियां हैं, जो स्टेंडिंग कमेटी कारपोरेशन की थी, उन्होंने इतने पास किया और बहुत सी कालोनियां थी जिनकी डीडीए ने पास किया। यहाँ पर लगातार जो डाक्यूमेंट रजिस्टर होते रहे, पावर आफ अटार्नी रजिस्टर्ड होती रहीं परन्तु एक डेवलमेंट कमिश्नर के आने के बाद एक उन्होंने आर्डर निकाला, उस आर्डर पर रजिस्ट्रेशन और डाक्यूमेंट बंद कर दिये गये। पावर ऑफ अटार्नी बंद कर दी गई। आज स्थिति यह है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस आर्डर से पहले होते रहे लेकिन उसमें खसरा नम्बर दूसरा डाल कर होते रहे। यानि जान बूझ कर सरकार ने उस तरफ ध्यान न दे कर इतनी दिक्कत है कि वहाँ पर एक रिश्वत का बोलबाला वहाँ पर हो गया है इसी प्रकार से और भी ऐसे डिसीजन हैं जो सरकार को जो रेगूलराईज्ड कालोनियां हैं, उनके विषय में लेना चाहिए। आज सब डिवीजन क्लाज पर जो दिक्कत हो रही है, यह भी एक देखने वाली बात है। हर जगह झगड़े है। कोई वहाँ पर रेगूलराईज्ड करने के लिए तैयार नहीं। परन्तु under hand method यूज किया जाये तो सब कुछ रेगूलराईज्ड है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय में मैंने कल एक

प्रश्न भी रखा था परन्तु उस प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या करण है, पता चला कि जवाब ही नहीं आया। इस विषय पर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाये और इस पूरे विषय को देखा जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह सरकार की जिम्मेवारी है। सारे हाऊस की भी जिम्मेवारी है कि जिन लोगों को आज से 30 साल 40 साल पहले कालोनियाँ रेगूलराईज्ड कर दीं, उनके डाक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते रहे। आज उनको ऑल ऑफ सडन आर्डर से बंद कर दिया जाये। हम उपराज्यपाल महोदय के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमने इसे डी-नोटीफाई करना है। जब पहले रजिस्ट्री होती थी तब बिना डी-नोटीफार्क के क्यों होती थी। यही बात सरकार के किसी भी महकमें में जाये तो डी-नोटीफिकेशन, भाई डी-नोटीफिकेशन करनी है तो लैंड एण्ड बिल्डिग डी-नोटीफाई करे। क्यों नहीं फैसला लिया जाता। मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र करावल नगर के अन्तर्गत एक रोड़ के सम्बन्ध में कल एक प्रश्न लगाया था, जिसकी संख्या 16 थी, उसमें मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैने पूछा था कि क्या इस सम्बन्ध में मंत्री जी को कोई पत्र लिखा कि इसके बारे में कोई मीटिंग रख दो तो मंत्री जी ने उसमें साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि मैंने उसके बारे में 3-4 पत्र लगातार आपके कार्यालय में भी पहुँचाए है जिनकी प्रति संलग्न है। अध्यक्ष जी, सदन की गम्भीरता को किसी भी हालत से लिया नहीं जा रहा है। मंत्री प्रश्नों के उत्तर, जो उनके विभाग के अधिकारी हैं वे सदन को गुमराह करने में शायद अपनी बहुत बड़ी बात मानते होंगे कि हमने गुमराह कर दिया। हमने सदन के अन्दर मैम्बरों को प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया वह डस्टबीन के अन्दर डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न का उत्तर बिल्कुल

ठीक आना चाहिए यदि अब की बार प्रश्नों क उत्तर ठीक नहीं आया तो अगली बार से हम प्रश्न लगाना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम किसी विभाग की खामियों को उजागर करना चाहते हैं तो मंत्रालय को उसको गौर से सुनना चाहिए, सदस्यों को कोई दिक्कत है। आपको लगता होगा कि दूसरे दल के लोग हैं, वे आपकी नाक और कान का काम करते हैं। आपकी आँख का भी काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंटस के अन्दर इस प्रकार का क्या हो रहा हे, जिससे कि काम का ठीक ढ़ंग से निपटाया नहीं हो रहा है। यह मैं आपसे चाहता हूँ कि इस प्रकार की रुलिंग आपके माध्यम से जाए और मंत्री तुरंत जिस विभाग के अधिकारी ने उसका उत्तर दिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद जी, अब श्री कंवर करण सिंह व श्री साहब सिंह चौहान प्रस्ताव करेंगे कि 'यह सदन दिनांक 28 मई, 2012 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इसवें प्रतिवेदन से सहमत है।'

समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति

श्री कंवर करण सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि 'यह सदन दिनांक 28 मई, 2012 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।'

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कंवर करण सिंह व श्री जयभगवान अग्रवाल प्रसताव करेंगे कि 'यह सदन दिनांक 28 मई, 2012 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है'।

श्री कंवर करण सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि 'यह सदन दिनांक 28 मई, 2012 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है'?

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदयः अब श्री रमाकांत गोस्वामी, श्रम मत्री, अपने विभाग से संबंधित कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

श्रम मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दिए गए क्रमांक 1 से 4 तक सभी कागजात सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

श्री साहब सिंह चौहानः सर मैं इसी बीच एक बात रखना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के आदेश से, यह शैलवेराज का डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन

नियुक्त किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी के कांस्टीट्यूशन में है कि उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए बाइ रोटेशन चेयरमैन बनेंगे। कई कई बार यहाँ पर यह लगातार बनते चले आ रहे हैं। यह आर्डर है केवल कांग्रेस के ही लोग बनते हैं। इसमें जैसे श्री राजेश जैन जी पिछली बार भी थे, अरविन्दर सिंह जी पिछली बार भी थे, पह्लाद सिंह साहनी जी पिछली बार भी थे, अब ये इस तरह से बना दिए जाते है। बार-बार बना रहे हैं, there is no rotation या तो Lt. Governor का जो contrary है पूरी तरह से, आप उस Constitution की composition को देखें। विपक्ष के सदस्यों का भी नम्बर आना चाहिए। यह बिल्कुल गलत हैं आप इस पर दोबारा विचार करें।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। अब सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

बजट (2012-13) पर चर्चा

सदन अपराह्न 4:37 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगान्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनाँक 28 मई, 2012 को सदन में प्रस्तुत बजट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रो. जगदीश मुखी।

प्रो. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा शुरु हो रही है, मैं ऐसी आशा करना था कि वित्त मंत्री को सदन में रहना ही चाहिए।...

अध्यक्ष महोदयः आज देहात में वो कहते हैं कि दाल भात में मूसलचंद। आप तो हरियाणा के है। समझते ही होंगे..तो वे बैठे हैं। दाल भात में मूसलचंद।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, आज देश कुछ विशिष्ट परिस्थितियों एवं आर्थिकम सिनैरियो से गुजर रहा है। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतें साढ़े सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर देश व दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है और जनता को झकझोर कर रख दिया है। गत दो माह से क्रुड ऑयल की कीमतें नीचे जा रही हैं। उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतों में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी बढ़ात्तरी की गयी है। आम जनता इस बढ़ोत्तरी के कारण त्राहिमाम कर रही है। इन विशिष्ट परिस्थितियों में दिल्ली की जनता शीला जी के बजट से मुख्य राहत की आशा लगाये थी। श्रीमति शीला दीक्षित ने भी बार-बार वक्तव्य देकर जनता को आक्ष्वस्त किया कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का असर दिल्ली वासियों पर नहीं आने दूंगी।

अत: आम व्यक्ति इस बजट का बेताबी से इंतजार कर रहा था। किन्तु बजट आने के बाद उन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया और मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ कि:

बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का।
मगर जब काटा तो कतराए खून न निकला।।

अध्यक्ष महोदय, बजट पेश हो गया और जो आशा थी, उके विपरीत दिल्ली की जनता की आशाओं पर पानी फिर गया। पेट्रोल पर मात्र एक रुपए 25 पैसे की राहत देकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता के साथ एक धिनौना मज़ाक किया है। यह राहत जो दी गई है, यह क्लेम किया है कि यह बहुत बड़ी राहत है। मैं समझता हूँ कि यह आपने हरियाणा की बात की है। उसी भाषा में बता रहा हूँ। यह राहत ऊँट के मुँह मे जीरे के समान ही है। राहत की बजाय सी.एन.जी. पर जो एक रुपए 75 या 80 पैसे प्रति किलो जो टैक्स लगा दिया गया है वो और भी भयंकर साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की सभी वस्तुओं की ढुलाई और परिवहन का सारा का सारा दारोमदार लाइट कमर्शियल वेहिकल पर निर्भर करता है। उसमें हैवी वेहिकल एलाउड नहीं होते और सभी लाइट कमर्शियल वेहिकल अनिवार्यत: सी.एन.जी पर हैं। टैक्स लगाकर के सी.एन.जी. की कीमतें बढ़ाना इसके कारण बहुत भयंकर परिस्थिति होगी। विशेषकर जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, सब्जियों सहित, उनकी कीमतें और आसमान को छुएंगी। मैं समझता हूँ कि पेट्रोल में जो बढ़ोतरी की है। उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लॉस इत्यादि बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है। जो सी.एन.जी. पर टैक्स लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, उसके कारण गरीब से गरीब व्यक्ति जिसने नमक इस्तेमाल करना हैं, उसकी कीमत बढ़ेगी क्योकि ढुलाई नमक की भी होती है। अनाज की भी होती है। सब्जी की भी होती है और इन लोगों ने केवल मात्र यह कहा है कि हम ने एक रुपया 70-80 पैसे बढ़ाया है। वो केवल इतने पर ही राजी नहीं होंगे। उन्होंने अपनी कीमतें इससे दस गुनी ज्यादा बढ़ा देनी हैं और मैं यह समझता हूँ कि इसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आज सदन के अंदर यह माँग करते हैं कि पेट्रोल को अल्टीमेटली हमारा टार्गेट होना चाहिए कि इसे

कर मुक्त किया जाए। इसको वैट से मुक्त किया जाए और जब तक इस टार्गेट को पूरा नहीं करते। कम से कम मैं यह माँग कर रहा हूँ कि पहली किश्त क रुप में पेट्रोल पर वैट की दर 20 परसेंट से कम करके साढ़े 12 परसेंट की दर पर ले आयें। जिस प्रकार से आपने इसे डीजल पर रखा हुआ है। दुसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वा यह है कि सी.एन.जी. पर जो आपने टैक्स लगाया हैं, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली में तबाही हो जायेगी और मैं यह समझता हूँ कि यदि आपने इसे रोल बैक नहीं किया। हम जो माँग कर रहे हैं। आपका जो प्रपोजल है, इसे तुरन्त रोल बैक किया जाए। यदि आपने इसे रोल बैक नहीं किया तो This will prove to be fatal to your party काँग्रेस सरकार के लिए कफन के अंदर आखिरी कील का यह काम करेगा। जिस प्रकार से आपको नगर निगम के अंदर बुरी तरह से परास्त किया गया है। उससे बहुत ज्यादा मतों से ये दिल्ली की जनता अपको यहाँ से परास्त करके भेजेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे हैरानी की बात है कि दो-तीन बजट में मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूँ। या तो वो असंवेदनशील हैं या जिद पकड़ी हुई है। कल ही उन्होंने अपने भाषण के अंदर यह बात कही। मैं उसको कोट कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्लानिंग प्रोसेस में उनकी इच्छा है कि आम जनता की भागीदारी हो। यह कल बोला था। किन्तु मैं हैरान हूँ कि आम जनता का प्लानिंग के अंदर कितनी भागीदारी हो सकती है। यह बहुत दूर की बात है। यहाँ पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। क्या इनमें से किसी की भागीदारी आप एलाऊ करते हैं? आप भागीदारी का ढिंढोरा तो पीटते हैं। वो किस लेवल पर, वो आर.डब्ल्यू.ए. की भागीदारी। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये तीन तीन लाख लोगो का प्रति निधित्व करते हैं। आप उनको भागीदारी का मौका ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्लानिंग बोर्ड का आज तक गठन नहीं किया गया है। सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो गए हैं। प्लानिंग बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें बजट की योजनाओं पर सब से पहले चर्चा वहाँ पर की जाती है और प्लानिंग बोर्ड के अंदर टॉप के शिक्षाविद् होते हैं। उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इकोनोमिस्ट्स होते हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स होते हैं। उसमें सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स होते हैं। वहाँ बैठकर के डिस्कशन होता है और डिस्कशन में जो सुझाव आते हैं। उसके आधार पर योजनाओं को रिवाइज किया जाता है। उसके पश्चात बजट के अंदर उन्हें हिस्सा दिया जाता है। किन्तु ये सारा प्रोसेस आप ओमिट कर रहे हैं। या तो उपका डेमोक्रेटिक तरीके पर कोई विक्ष्वास नहीं रह गया है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आज तक कभी रैस्पांस नहीं किया है। मैं यह बात तीन बार बता चुका हूँ। यह अनिवार्य है। उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की छोटी से छोटी टेडेटरी, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जितने दिल्ली के अंदर हैं। वहाँ भी प्लानिंग बोर्ड को इतना महत्व दिया जाता है। मैं नहीं जनता कि इनको प्लानिंग बोर्ड का किस प्रकार का डर है। मैं यह चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बजट का रिप्लाई देते हुए कृपया इसको स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश किया गया और बजट का साइज बहुत ही इठलाकर के बतला रही थीं कि बहुत बड़ा साइज हो गया है। 33436 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। किन्तु जब आप गहराई में जायेंगे तो आपको तथ्य अदरवाइज नजर आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 33436 करोड़ रुपए के बजट में से योजना राशि मात्र 15168 करोड़ रुपए है। विकास का संबंध योजना राशि के साथ है। इसका नॉन प्लान राशि के साथ कोई संबंध नहीं है। 15168 करोड़ रुपए जब वर्ष 2011-12 में रिवाइज्ड एस्टीमेट 14390 करोड़

रुपए था। यानी मात्र केवल बढ़ोतरी हुई है तो 778 करोड़ इनक्रीज हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल inflation rate क्या है। यदि inflation rate जो आज सात, साढ़े सात परासेंट चल रही है, उसको कंसीडरेशन में लिया जाए तो योजना राशि पिछले साल की तुलना से बहुत कम हो गई है। यह बढ़ी नहीं है। तो यह पैसा कहाँ गया। ये 33436 करोड़ रुपए का बाकी कहाँ गया। वो मैं कहता हूँ कि वो सरकार की फिजूलखर्ची पर गया। मैं दूसरा नाम नॉन प्लान राशि को जो देता हूँ वो यही है कि useless expenditure जो avoidable expenditure है, उन पर खर्च किया जाता है अन्यथा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का आपने evaluation financial status देखना है। यह देखना चाहिए कि योजना राशि पर कितना खर्च हो रहा है और गैर योजना राशि पर कितना खर्च हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि Non Plan Expenditure 13380 करोड़ रुपए था। उसे बढ़ाकर के 18288 करोड़ रुपए किया। यानी 4888 करोड़ रुपए आपने फिजूलखर्ची के ऊपर बढ़ाए। योजना राशी पर केवल मात्र 5 परसेंट बढ़ाए। मैंने जो बताया। यदि आप वस्तु-स्थिति ध्यान में रखें तो योजना राशि पिछले साल की तुलना में काफी डाउन हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ वो यह है कि नॉन प्लान मनी जो इनक्रीस हुआ है वो साढ़े 36 परसेंट हुआ है। प्लान मनी मात्र 5 परसेंट इनक्रीस हुआ है और मैं कुछ तथ्य यदि comparative आपके सामने रखना चाहूँ तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी। हम ने Non Plan Expenditure को 40 परसेंट से नीचे रखा। इसे 40 से आगे नहीं जाने दिया। जब कि इनका Non Plan Expenditure 54 परसेंट से लेकर 56 परसेंट तक रहा। जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। Financial सरकार का बिल्कुल खराब है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 90 हजार करोड़ रुपए की होगी, 11 वीं पंचवर्षीय योजना 44799 करोड़ रुपए की थी। यानी बड़ा proudly कहा है कि 12वी योजना का आकार 11वी योजना की तुलना में 64 पर सेंट अधिक है।

पंचवर्षीय योजना का आप सभी राज्यों का देखेंगे, 50,60,65,70,75 कहीं सौ तक भी बढ जाता है। किंतु मैं तथ्य देकर के आँकडें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात नवीं पंचवर्षीय योजना की हमने बनाई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद नवीं पंचवर्षीय योजना हमने बनाई, आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार था 4500 करोड़ रुपये मात्र। नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार हमने रखा 15541 करोड़ रुपये, which is 250 percent increase over the previous plan which ordinary person may not believe at all. किंतु ये हमने करके दिखाया। इसी कारण हमें अवार्ड मिले थे। आज वो इठला के बात की जाती है कि हमने 64 परसेंट इन्क्रीज किया है that stands nowhere as compared to 250 percent increase.

अध्यक्ष महोदय, पर कैपटाइन्कम के बारे में कहा गया कि हमारी पर कैपिटा इंकम बहुत ज्यादा बढ गयी है as compared to rest of the states. कभी दिल्ली को सिटी मानते हैं, कभी स्टेट मानते हैं और comparison गडबड हो जाता है। मैं यह जरुर कहना चाहूँगा, आपके बजट के अंदर हुआ करती थी जोकि अब घटकर के नम्बर दो पर आ गयी है। इस बजट में जो sectoral allotment किया जाता है। मैंने पिछली बार यह मेंशन किया था आज दुबारा टच कर रहा हूँ। कृषि का जो हैड होता था उसे उड़ा ही दिया गया है। पिछले 25 साल से,20 साल से , 30 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार महानगर परिषद के अंदर बजट आता था तो भी कृषि का सबसे पहला होता था। पिछली बार, पहली बार

बजट में कृषि आईटम को हटा दिया गया। जो खर्चा था वो खत्म कर दिया गया। मैं यह कहना चाहूँगा कि कृषि और ग्रामीण विकास या फिर मैं यह कहूँ कि खेत खलिहान से अन्याय किया गया है। कृषि मद को सूची में से उड़ा दिया गया। बजट की राशि इस वर्ष 5666 करोड़ बढ़ी किंतु ग्रामीण विकास के लिए एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया। जो बजट 2010-11 के अंदर था, एक नया पैसा उसके अंदर नहीं बढ़ाया गया। यह सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि सरकार का रवैया ग्रामीण विरोधी है, वृद्धि विरोधी है। यह बजट से सिद्ध होता है। Minor Irrigation यह भी उसी का हिस्सा है जिसमें आबंटन राशि को थोडा कम कर दिया गया, पिछले साल से भी कम कर दिया गया। अत: यह बजट कृषि विरोधी है। दिल्ली को किसानों की भूमि द्वारा अधिगृहित किया दिल्ली सरकार ने। किसान रोता है। वो कहते हैं कि हम कोर्ट के अंदर चले गये, पहले भूमि विभाग के चक्कर काट रहे थे। सालों लग गये, कोई परिणाम नहीं निकला। हम कोर्ट में चले गये। वहाँ से जीतकर के आ गये, मुआवजा तय हो गया किंतु सरकार उसके अंदर डबल बैंच में अपील कर रही है। यह क्या सिद्ध करता है। पैसों से प्रति गज के हिसाब से आपने जगह ली वो 25 साल से लड़ाई लड रहे हैं, केस जीत कर आये हैं और उनका क बनता है किंतु सरकार अन्हें हक देने के लिए तैयार नहीं है। डबल बैंच में चले गये। मुआवजे के बढोतरी की बात कर रहा था। यह भी कहा था कि हर घर के बच्चे को नौकरी देंगे, जिन किसानों की जमीन अधिगृहित हो गयी है और एक प्लॉट देंगे, किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज दिल्ली का किसान दुखी और शोषित है। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की किसान की जमीन को अधिगृहित कभी नहीं किया जा सकेगा। हमे ऐसा कानून बना देना चाहिए कि दिल्ली के देंहात के रहने वाले हर किसान किी जमीन उसके पास रहेगी। यदि आपको चाहिए, मेट्रो, पोस्ट औफिस या किसी आवश्यक सर्विस के लिए है तो आप एक्वायर कर सकते हैं। किसानों की जमीन को एक्वायर करके भीख में मठाधीशों को

दे देना, माफिया के अंदर दे देना, उस पर बैन लगना चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब उस पर कानून बना दिया जाये कि इस सरकार का अधिकार हमेशा के लिए भूमि अधि गृहित करने के लिए समाप्त किया जाता है। केवल मात्र जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए कर सकते हैं। जब तक यह नहीं करेंगे, क्योंकि किसान बहुत अशांत है और वो सड़कों पर उतरेंगे और आपके सिर पर होगा। यदि आप सेक्टोरल एलोकेशन पर ध्यान दे, जो कि बज्ट में दिया गया है। मैं आकंडें देखकर बताउँ तो 162.22 करोड़ रुपये पिछले बजट में रुरल विकास के लिए आयोजित था। इस बार भी 162.22 है एक नया पैसा बढ़ाया नहीं गया है। माइनर इरीगेशन में कम कर दिया है, एनर्जी में 1576करोड़ रुपये का पिछले बार आयोजन था जिसे घटाकर 859करोड़ कर दिया। एन्वायरमेंट पर हमारी मुख्य मंत्री बहुत चिंतित रहती हैं। टाइटल है, साइंस टैक्नोलॉजी एंड एन्वायरमेंट इस पर बजट पिछले साल की तुलना में बहुत कम कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जनरल एजूकेशन पर बहुत बड़ा बजट दिया है। मैं एजूकेशन हूँ, स्वागत करता हूँ कि एजूकशन पर जो आपने बजट बढाया है वो स्वागत योग्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बजट प्रोवाईट किया गया है उतना हम खर्च कर पाएं एजूकेशन के हिसाब से अच्छाा रहेगा। लेकिन साथ ही यह भी बताना चाहता हूँ कि तकनीकी शिक्षा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इतना भारी भरकम बजट होने के बसवजूद, you will be surprised to know, तकनीकी शिक्षा का बजट पिछले साल से बहुत कम कर दिया गया है। जैसा मैंने पहले कहा नॉन प्लान एक्पेंडिचर बढ रहा है। उनका एलोकेशन का हैड है, Other Administrative Services. बाकी सब एक करोड़ बढाकर पाँच जोड़ यहाँ।141 प्रोविजन था, पिछले बजट में जिसको बढा कर 288 करोड़ कर दिया गया है, यह glaring example है, जो मैं बार-बार सरकार की फिजूलखर्ची का कह रहा हूँ। राकोषीय घाटा जिसको आँका जाता है। आर्थिक स्वास्थ्य सरकार का कैसा है। आपको

जानकार हैरानी होगी। पिछली बार का इनका टारगेट 3177 करोड़ रुपये, इस बार 2604 करोड़ रुपये, परंतु वो 3500 करोड़ रुपये हो गया।

ट्रेक रिकार्ड देखियेगा, only good things done. मैं कहूँगा कि एक चीज़ अच्छी, जो अच्छाई है वो मैं .जरुर बोलना चाहूँगा। एक जो अच्छा फाइनेंशियल कदम उठाया है जो इस बार सरकार ने स्माल सेविंग के अगेंस्ट लोन लेकर के आगे हम financing नहीं करेंगे यह जो तय किया है इस बार नहीं लिये हैं लोन्स मैं उसका स्वागत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, Central Assistance केन्द्र से मिलती है। इस बार पहली बार बजट के अंदर मैं हेरान हुआ बजट भाषण के अंदर सुनकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, proudly कहा कि हमारा टोटल बजट अपना है, इसमें केन्द्र सरकार से बहुत negligible सा बदला है। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं मैं यही कहूँगा। आप तो जाते हैं मांगने के लिए हर बार। आप मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा मिले किन्तु नहीं मिला आपको क्यों नहीं मिला मैं बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय वो इसलिए नहीं मिला, अन्होंने ओब्जेक्ट किया है इनके ऊपर, आपके फानेंशियल मैटर्स के ऊपर ओब्जेक्ट किया है 2009 -10 के अंदर आपको 2487 करोड़ रुपया assistance मिला था। अगले साल घटा करके 1200 करोड़ कर दिया, क्यों? उन्होंने कहा है दिल्ली सरकार के गलत आर्थिक प्रबंधन के चलते नाराज केन्द्र ने सरकार ने आपकी सहायता राशि कम की है ऐसा नहीं है कि आपने मांगी नहीं है। आपने पूरे आंकड़े भी दिये हैं तथ्य भी दिये हैं किन्तु अंगूर नहीं मिले इसलिए खट्टे होकर के एकसी बात आप कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जैसा मैंने कहा स्माल सेविंग के विरुद्ध लोन न देने का निर्णय किया स्वागत यि मैंने, उस सब के बावजूद वो जो नहीं लिया लोन, बहुत अच्छा

किया। उसके बावजूद आज भी 30 हजार करोड़ रुपये का कर्ज सरकार ने पे करना है। यानी आज भी हम debt trap के अंदर है, दिल्ली का हर वासी। आप या मैं, या झुग्गी के अंदर पैदा होने वाला नया बच्चा 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज अपने सिर पर लेकर के पैदा होता है। यह स्थिति पैदा कर रखी है आपने financial status की, दिल्ली की सरकार की। अध्यक्ष महोदय, पेज 13 पर प्वाइंट 27 में मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में कहा है construction of flats by Delhi Government for rehabilitation of slum dwellers, भई, सुनते सुनते तो आज हमें, 14 साल तो होने को आए। हर बार यह आता है इस साल 10 लाख, इस साल 10 लाख हर साल के दस लाख एंड करें तो कितने करोड़ फ्लैट्स बन जाने चाहिए थे। in-situ regularization of jhuggi-jhopris, बार-बार सुनते हैं यह किन्तु अध्यक्ष महोदय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जागरुक नागरिक भी हैं अध्यक्ष के अतिरिक्त आप, दिल्ली के इतिहास के अंदर इन 14 साल के अंदर एक भी फ्लैट not even a single flat has been allotted to jhuggi wallas, बार-बार उन्हें गुमराह किया जाता है, बार-बार उन्हें आश्वासन देकर के उनके वोट बटोरे जाते हैं किन्तु कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय आज तक एक भी फ्लैट किसी झुग्गीवासी को यह सरकार नहीं दे सकी है, नहीं बनाये हैं। इससे बड़ा तथ्य और क्या हो सकता है?

स्वास्थ्य मंत्री: अध्यक्ष जी, मुखी साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल बेसलैस स्टेटमेंट हैं। इनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए।

डॉ. जगदीश मुखी: मैं अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज नहीं बोलना चाहूँगा मंत्री हैं, बीज में टोक रहे हैं। इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है जी?

स्वास्थ्य मंत्री: आज झुग्गी क्लस्टर्स हम रिलोकेट कर चुके हैं तो इनका यह कहना कि एक भी नहीं दिया गया.....व्यवधान।

डॉ. जगदीश मुखी: आप जवाब देना। अध्यक्ष जी इनको भी बताइये। इनको मौका मिलेगा, इनको जवाब देने दीजिए। मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे, इनको देने दीजिए।

स्वास्थ्य मंत्री: आप गलत स्टेटमेंट तो मत दो ना.....व्यवधान।

डॉ. जगदीश मुखी: मैं सुनूंगा उस समय।

स्वास्थ्य मंत्री: मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है गलत स्टेटमेंट तो मत दो......व्यवधान।

डॉ. जगदीश मुखी: मैं सुनूंगा उस समय जब आप मौका देंगे इनकोए यह मंत्री का स्तर नहीं है।

श्री श्याम लाल गर्ग: अध्यक्ष जी, जरा इनसे यह पूछो कि अगर एक हजार झुग्गी वाले, कितनों को दे रहे हैं, हजार में से 25 को, 50 को बाकी सब को धक्का मार कर के निकाल रहे हैं ऐसे ही। बहाना बना रहे हैं, तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास वोटरआई कार्ड नहीं है..व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. साहब, बोलिये। गर्ग साहब, बोलने दीजिए। मुखी जी को बोलने दीजिए। आप बैठिये, मुखी जी बोल रहे हैं।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, एक बात कही बजट में 44 जेजे रिसैटलमेंट कालोनीज हैं अनके जो ऑरिजनल अलोटीज हैं उनको मालिकाना हक देने की बात की गई है। आपके वड्र्स है, जेजे रिसैटलमेंट कालोनीज 44 भी साथ में लिखा है। अध्यक्ष महोदय, यह 13 साल से बात चल रही है। आज इनको लिखित रुप में बजट में क्या देना पड़ रहा है। वो भी जनता को गुमराह करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आगे जो शब्द लिखा है that clarifies this. उसमें यह कहा गया है अभी यह कहा गया है

necessary recommendation is being made to the Government of India, गई भैंस पानी में यानी आप केवल मात्र यह कहकर के जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर के वोट बटोरने का अन्यथा आपने 14 साल कुछ नहीं किया। अब भी यह कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सैंट्रल गवर्नमेंट भेज रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक नई स्कीम मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है अपने बजट में, इसमें लिखा है (दिल्ली अन्नश्री स्कीम) जिसमें कहा गया है''Government shall provide six hundred rupees per month cash trensferred to vuinerable househalds no covered by BPL and AAY Food Cards." अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो नहीं आते हैं, बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको 600 रुपये महीना देंगे। आप दें उसका स्वागत है किन्तु इसमें कहीं प्रेक्टिकल नज़र नहीं आता देंगे कैसे, किसको देंगे? Have you identified? आप जो गरीबों में सबसे गरीब है अंत्योदय अन्न योजना जो है और जो below povery line हैं उनको आप नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो कौन सी केटेगरी है, योजना को वास्तव में कामयाब करना चाहते हैं you must clarify कि कौन सी केटेगरी है आपकी? किन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है और कैसे उनके पास 600 रुपया पहुँचेगा और 600 रुपये पहुँचा भी देंगे तो 600 रुपये में क्या होता है, अध्यक्ष महोदय आज 600 रुपया होता क्या है, आप एक विडो को भी पेंशन देने की बार-बार हमारे होनरेबल मैम्बर्स की मांग आती है और बढ़ाया जाए 1500 किया जाए, 2000 किया जाए, 600 रुपये देने का क्या औचित्य है और किनको देंगे, आइडेंटिफाई किनको किया है, कैसे पहुँचेगा इस पर कोई clarification वहाँ पर नहीं किया है। it needs much more clarification केटेगरी क्या होगी स्पष्ट करना बहुत ज़रुरी है।

अध्यक्ष महोदय, एक और नया शोशा एक और नया स्लोगन क्योंकि स्लोगन तो बहुत ज़्यादा देते हो आप लोग और कहा है Kerosene Free City, जो कैरोसीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम गैस पर अपना काम करे। PNG हो हमारे पास, मजबूरी में वा कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि सिलिंडर की कोस्ट इतनी ज़्यादा है वा एफोर्ड नहीं कर सकते। आपने उनकी दास्तां नहीं सुनी, आपने उनकी परेशानीको नहीं पहचाना, आपने मात्र कह दिया हम 2000 रुपये उनको देंगे वा चूल्हा खरीदने के लिए, कनैक्शन लेने के लिए। कनैक्शन तो दे देंगे आप किंतु गैस का सिलिंडर तो चाहिये ना प्रतिमाह दो सिलिंडर तो चाहिये। कहाँ से एफोर्ड वो, कहाँ से एक हजार रुपया लायेंगे इसीलिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे खुशी होगी आप उनको गैस कनैक्शन दे, साथ में सिलिंडर बताये दो सिलिंडर देंगे तब तो कुछ बात बनेगी। अन्यथा तो eye-wash है केवल मात्र they cannot afford cylinders. इसलिए दो हजार रुपया देना वो केवल मात्र आप eye-wash के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं तो यह कहता हूँ आप उनकी बात करे जो एफोर्ड नहीं कर सकते साधारण घरों के अंदर जिनकी दस-दस हजार रुपये इनकम है, पन्द्रह हजार मंथली इनकम है वो भी सिलिंडर एफोई नहीं कर सकते। आप उनकी बात कर रहे हैं मिट्टी का तेल लेकर गैस पर जो मुश्किल से अपना चपाती बनाकर गुजारा करते हैं, आप कहते हो सिलिंडर एफोर्ड it is surprising.

कहा गया कि हम सब रजिस्ट्रार ऑफिसिज को अप-डेट कर रहे हैं। आधुनिकीकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। किन्तु अध्यक्ष महोदय, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस तो हम बना लेंगे। हम वहाँ पर डिसीजन कैसे लेते हैं। कौन डिसीजन लेता है, सरकार कितनी जिम्मेवार है। एक निर्णय सेप्त लग जाता है। आज सब रजिस्ट्रार के आफिस में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के निकम्मेपन के कारण, सरकार की indecisiveness के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो अक्टूबर के अंदर हुए

थे, आपने उस समय पावर आफ अटार्नी के बंद नहीं किया और आपने मई के अंदर पावर आफ अटार्नी को बंद दिया। लोग आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके चीख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मुख्य मंत्री इस बात का जवाब दें। जो ट्रांजेक्शन अक्टूबर से मई के बीच में हुए हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है। They have paid the total money, total tax to the Government. आज वो total transactions illegal करार कर दिए गए हैं। किस कारण से। सरकार की अकर्मण्यता के कारण से। सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया, इस कारण से, मैं माँग करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये जो ट्रांजेक्शन अक्टूबर से मई के बीच में किए गए हैं, उन सब ट्रांजेक्शन को रेगूलराईज्ड करने के लिए वे आउट निकाल कर मुख्य मंत्री को आदेश करने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय, पेज-20 हेल्थ के बारे में बात की गई है। जिसमें कहा गया है कि 2900 बेड सरकार तैयार करेगी। 6 नये हॉस्पीटल 200 बेड वाले होंगे। एक नया हॉस्पीटल 100 बेड वाला होगा। एक नया हॉस्पीटल 750 बेड वाला होगा। बहुत अच्छाा है और साथ में यह भी कहा है हम expansion programme बना करके जो पहले से existing हॉस्पीटल है उसके अंदर बेड की केपेसिटी बढ़ायेंगे, एडीशनल बेड देंगे। बहूत अच्छा लगता है, बड़ी सुन्दर लेंगवेज में लिखा है। किन्तु हम असलियत से कितना परे हैं आज जिसकी बात कर रहे हैं, आने वाले 15 साल तक यह अस्पताल बनेगा। मेरा यह डाउट केवल मात्र शंका नहीं है, यह आधारित है जो आपने कार्य किये हैं। 1998 के अंदर सितम्बर में डा. हर्षवर्धन जी मेर साथ थे Super-speciality Hospital, Janak Puri का वहाँ पर भूमि पूजन किया गया, पूरी sanction हो चुकी। 1998 से हमारी सरकार नहीं रही। उसके बाद हॉस्पीटल बनने में दिक्कतें हुई। दस साल लग गये, आठ साल लग गए अस्पताल बनाने में। आज उस अस्पताल को बनाए हुए उसका उदघाटन किए हुए मुख्य मंत्री को साढे चार साल हो गए हैं, पाँच साल हो गए हैं, आज तक वो अस्पताल शुरु नहीं कर पाये हैं।

अध्यक्ष जी, मैं कैस यकीन दिलाऊं दिल्लीवासियों को कि यह जो कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है, इतने अस्पताल और खुल जायेंगे। जिस भूमि का पूजन सितम्बर 1998 में किया गया। आज तक वहाँ पर हॉस्पीटल बनने के बावजूद मैं पीडब्लयूडी उस समय कौन होगा ऑफीसर मैं नहीं जानता, बहुत अच्छाा हॉस्पीटल बनाया। निर्माण बहुत अच्छा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जो यह घोषणा कर रहा हूँ यह कटू सत्य पर आधारित है। मुख्य मंत्री दिल्ली की अस्पताल पूरा बनने के बाद उदघाटन करते हैं पूरे शान और शौकत के साथ। हम उसमें सम्मिलित थे। आज तक वह अस्पताल शुरु नहीं हो पाया। क्यों पब्लिक आपकी इन बातों का यकीन करेगी? आपके बजट पर कौन विश्वास करेगा?

अध्यक्ष महोदय, कमी तो कहा जाता है कि Super-speciality Hospital बना दिया है डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं। डाक्टर बहुत अवेलेबल हैं। कभी कहा जाता है कि हम उनको सैलरी ज्यादा नहीं दे सकते। जितनी हम सैलरी देते है, उससे ढाई तीन गुना प्राइवेट सेक्टर में मिलती है और उनको कमिशन अलग से मिलता है। फिर भी आने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या हम अस्पताल चलाने में पूर्णत: असमर्थ है? We have miserably failed that we connot run the hospital at all. इससे मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? आज वो 600 करोड़ रुपये का पूरा प्रोजेक्ट है लैंड कॉस्ट लेने के बाद। इतना बड़ा हॉस्पीटल बनाने के बाद this mere has been converted into a simple dispensary to serve only OPD patients, अध्यक्ष महोदय, मैं माँग करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जनता को छलावा देने की बजाय जो पहले अस्पताल आपने शिलान्यास किये हैं, बनाये हैं, उद्घाटन किए हैं। उनको प्रारम्भ करें। वहाँ पर सारी सुविधाएँ हों। वहाँ बनाये हैं, उद्घाटन किए हैं। उनको प्रारम्भ करें। वहाँ पर सारी सुविधाएँ हों। वहाँ पर सारे equipments हों। अन्यथा आपकी credibility आज बहुत खतरे में है। आने वाले इलेक्शन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होन वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, नई एम्बुलेंस जोड़ने करेन की बात की गई है। कैट के पास 35 एम्बुलेंस हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं सराहना करता हूँ। किन्तु इसी सरकार में नया स्कैम होते होते हमने रोका। प्राइवेट कम्पनी को आन्ध्रप्रदेश से बुला करके 200 एम्बुलेंस बनाने के लिए आदेश कर दिया गया। हम उपराज्यपाल महोदय के पास गए। तथ्य सामने रखे। दो बार गए, हमने उस स्कैम को होने से रोका। आज इस बात को चार साल हो गए हैं। बार-बार कहते हुए कि कैट के अंदर बढ़ायें, अच्छा काम करिए। इनके अंदर एम्बुलेंस बढ़ायें, देर आए दुरुस्त आये। कम से कम आपने अनुभव किया कि इसी गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर ही जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पर यह काम एडीशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो मैंने हॉस्पीटल की बात की थी, हमने माँग रखी है यह प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्रीमेंट कर लिया था, terms and conditions सारी तय कर ली थी। हमने बार-बार आग्रह किया था कि हमें इनवाल्व कीजिएगा, हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं। डिसीजन आप लीजिएगा। किन्तु इन्होंने इम्पलीमेंट कर लिया। हमने ऑब्जेक्ट किया। आज मैं फिर माँग करता हूँ Deen Dayal Upadhyay Super-speciality Hospital, Janak Puri वो सरकारी तौर पर रन होना चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, हमारी यह माँग है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम मुद्दा Point Number 70 of your Budget Speech, पेज नम्बर 29 हमें तो शर्म आती है बात सुन कर। शब्द क्या है regularization of unauthorized colonies. This is the field where you have miserably failed. Each one of the residents of the unauthorized colonies is totally annoyed with you because you have misled them. You hav deceived

them. आपने उन्हें गुमराह किया है। बार-बार गुमराह किया है। कभी रजिस्ट्रेशन का एक झुनझुना पकड़ा करके, कभी कोई बहाना बना करके, असलियत यह है कि आप unauthorized colonies को कभी नियमित करने के हक में नहीं हैं। मैं यह भी under my signatures statement दे रहा हूँ। आज का दिल्ली के इतिहास के अंदर काँग्रेस ने एक भी कालोनी को नियमित नहीं किया। दो बार कालोनियाँ नियमित हुई हैं तो हमारे शासन के दौरान हुइ हैं। जिस समय सिकंदर बख्त जी मंत्री थे, उस समय हुई थी। या उस समय हुई थीं जब हमारे नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी सीईसी हुआ करते थे। आज तक काँग्रेज ने किसी अनधिकृत कालोनी को नियमित नहीं किया। बल्कि उनको हमेशा परेशान किया है। वहाँ पर उनको आपने नारकीय जीवन व्यतीत करने के मजबूर किया है। आज जो स्थिति इनकी बनी हुई है उनके लिए आप वाहिद रुप से जिम्मेवार हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के निर्देश हैं कि मूलभूत सुविधाएँ जब तक आप इन्हें नहीं दे देंगे तब तक ये कालोनियाँ नियमित करने की अनुमति आपको कभी नहीं मिलगी। और आपका स्वार्थ इसी में है कि इतको झांसा दे करके।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब, आप इसे जल्दी सम-अप कर लीजिए। आपको बोलते हुए एक घंटा होने वाला है।

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष जी, मुझे बोलते हुए आधा घंटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः 40 मिनट हो चुके हैं। आप इसे जल्दी समाप्त कीजिए।

डा. जगदीश मुखीः महोदय, मैं यह कह रहा था कि कोर्ट के निर्देश हैं, मुझे वो दिन याद है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारी भरकम बजट अनधिकृत कालोनियों के लिए मिला था। अनधिकृत कालोनियों के अंदर विकास के लिए मीटिंग बुलाई थी 70 के 70 एमएलए

वहाँ उपस्थित थे, जिसमें मैं भी शामिल था। सबसे अपनी अपनी बात रखी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे गलियाँ बनवानी हैं। मेर भी टर्न आई,। मैंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ जब इतना भारी भरकम बजट मिला है। आप अनाथराइज कालोनियों के अन्दर सीवर क्यों नहीं डलवाते? मेरे इतना कहते ही इनके तीन आफिसर्स मुखी जी आप तो पढ़े लिखे हैं आप तो मंत्री रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये कोर्ट के आर्डर है....व्यवधान

मुख्यमंत्रीः Sir, I am so sorry लेकिन मुखी साहब is being carried away by, I don't know, what emotions. Either there is lot of words for him or lot of facts with him. कभी भी ऐसा किसी भी ऑफिसर ने नहीं किया कि किसी एमएलए के ऊपर +++, ये शब्द मुझे ठीक नहीं लगे I am sorry, I am terribly sorry..

डा. जगदीश मुखीः I am sorry, you have mistaken it. मैं आपको बताता हूँ मैं बता रहा हूँ।

मुख्यमंत्रीः Please, I will give a reply later on but I can tell you that he is totally misleading the House and using words which are not Parliamentary at all. +++, कौन सा ऑफिसर इनके ऊपर +++ और इनको क्या कर दिया please, take those words back. I would request you, Sir, that these words should be deleted.

डा. जगदीश मुखीः Let me explain. मेरे कहने का अभिप्राय समझ लीजिएगा,। उन्होंने कहा मुखी जी, आप पढ़े लिखे हैं। आपको यह नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट के

आर्डर हैं कि यहाँ पर सीवर नहीं पड़ सकते। यह तीन व्यक्तियों ने Sectrary (Urban Development), Principal Secretary to CM and CEO(Water) तीनों आफिसर्स ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री: सर, अब ये वर्ड्स बदल रहे हैं। अगर ये ऐसे कहते तो और बात होती लेकिन इन्होंने कहा ++++।[2]

अध्यक्ष महोदय: शब्द सदन की कार्यवाही निकाल दिया जाये।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना समझने की कोशिश करें, तीनों आफिसर्स ने एक ही साथ यह बात कही कि मुखी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं आपको यह नहीं पता। जब मैंने बार बार आग्रह किया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं है। मैंने स्टैडी किया हुआ है किन्तु they were adamant. मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि मुख्यमंत्री जी यदि सुप्रीम के आदेश द्वारा यह बैन हो तजो आज से मैं अपनी सदस्यता से रिजाइन कर देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को संभाला और इन्होंने उस समय मीटिंग स्थगित कर दी और ये निर्देश दिए कि अगली मीटिंग अगले सप्ताह इसी दिन इसी स्थान पर फिर होगी....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय: मुखी साहब डा. वालिया जी एक मिनट कुछ क्लेरीफाइ करना चाहते हैं।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, पहले मुझे पूरा कर लेने दीजिए फिर ये कर दें। Let me complete it. अभी तो यह आधा काम है। मुझे ये शब्द पूरे कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक हैं, पहले आप पूरा कर लीजिए, कोई बात नहीं।

डा. जगदीश मुखी: This is too much. नहीं, मंत्री होने का यह मतलब नहीं हैं, उनको बोलने का अधिकार है वे कभी भी बोल सकते हैं। किन्तु व्यवधान नहीं पैदा कर सकते। अधिकार है उन्हें कभी भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। Let me have my say. अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने संभाला और मीटिंग स्थगित करके कहा कि अगले सप्ताह फिर मीटिंग होगी। Secretary, (UP) को निर्देश कि आप लॉ डिपार्टमेंट की लिखित रुप से ओपिनियम ले करके आएं। सप्ताह मीटिंग हुई। रिजल्ट वही था जो हम कह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने उस बात को वहाँ पर माना कि हाँ सीवर डाले जा सकते हैं। उस दिन निर्णय किया गया कि दिल्ली के अन्दर सीवर डलवाए जाएं किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि इतना भारी भरकम बजट होने के बावजूद आपने आज तक कितनी कालोनियों के अन्दर सीवर डलवाया है। और जब तक सीवर नहीं डलवाएंगे यह कालचक्र चलता रहेगा। कालोनी कभी रैगुलराइज नहीं होने दी जाएंगी, यह आपकी साजिश का एक नतीजा है, यह नहीं होने दिया जाएगा।.....व्यवधान

मुख्यमंत्री: Wrong, wrong, wrong.

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट सैक्टर में कहा गया कि 2013 में सिगनेचर ब्रिज पूरा हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ। देर आए, दुरुस्त आए अच्छी बात है। हर साल, हर बार हर यमुना पार के व्यक्ति ने, किन्तु वहाँ +++[3] हो रहा था, वहाँ पर मिलीभगत चल रही थी। इसलिए लेट हुआ। यानी जो काम आज से पाँच साल पहले बन करके तैयार हो जाना चाहिए था उसकों आप गर्वयूर्वक कह रहे हैं कि...व्यवधान

मुख्यमंत्री: Sir, I am sorry, मुखी साहब आप ऐसे बोल रहे हैं। Please don't insinuate. There can be delays for many reasons which you also know that........

डा. जगदीश मुखीः This we have discussed many times here.

मुख्यमंत्रीः But, to indicate and to allege that a scam, is taking place, I object to this very strongly. There is no scam whatsover. Every thing that our Governement does is out in the open.

डा. जगदीश मुखीः Sir, I will prove it on the Floor of the House, if they permit me.

मुख्यमंत्रीः You bring the papers and tell us where the scam is. We will look into it. You give us the papers, you give us the facts and then, we will ourselves have an enquiry conducted. You have never said this before. Today, yes, it has taken much longer. You bring the paper, we will take action. Sir, we have always had this attitude that we will take...

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पेपर से कोट करके बोल रहा हूँ। जो ब्रिज 250 करोड़ रु. में पूरा होना चाहिए था आज उस पर 1300 करोड़ रु. लगते हैं। यह +++ नहीं तो और क्या होगा। क्या कारण आप बताइए। क्या कहा जाए इसको बताइए।

........अन्तर्बाधाएं......

मुख्यमंत्रीः No, no. Delays were there, yes, but there is no scam.

डा. जगदीश मुखेः अध्यक्ष महोदय, हमने आपके बजट भाषण को आराम से सुना था। यह नहीं होने दिया जाएगा।

..........अंतरबाधाएँ..........

मुख्यमंत्रीः सर, आपको हर चीज में +++[4] दिखाई देता है। आपकी अपनी ऐसी है।

..........अंतरबाधाएँ..........

डा. जगदीश मुखीः हम आपका जवाब भी नहीं सुनेंगे हाउस में।...व्यवधान

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः देखिए, सारे मिनिस्टर्स खड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। Sir, Ministers have no right to intervece. बीच में इंटरवीन नहीं कर सकतें।

..........अंतरबाधाएँ..........

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, 250 करोड़ रु में बनने वाला था ब्रिज आज 1300 करोड़ रुपये मैं बन रहा हैं इसे क्या कहा जाएगा....व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, आप सब बैठ जाइए।

मुख्यमंत्रीः सर, मैंने कहा है कि पेपर्स लाइए, प्रमाण तो लेकर आइए, Sir, it is because of cost escalation, not because of a scam. It there is a scam, please give us the papers. Cost escaltion is something different.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः सर, इसमें जयप्रकाश अग्रवाल जी ने चार्ज लगाया कि इसमें +++ है। इनके अध्यक्ष ने लगाया है। एक बार नहीं कई बार लगाया है और सारे मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए।

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मैं अगला प्वाइंट ले रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, प्रो. मुखी साहब की भावना भले ही गलत न हो लकिन +++ शब्द अपने आप में बड़ा भारी है। उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

..........अंतरबाधाएँ..........

(+++ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गये)

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार में तो ये आकण्ठ डूबे हुए हैं। उसी स इन्हें परेशनी हो रही है।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, प्रो. साहब ऐसा है यदि कोई स्कैम होने वाला था या हुआ है तो मेहरबानी करके प्रूफ के साथ प्रेस कांफ्रेस कर दीजिए। यहाँ बोलने से क्या फायदा है।

डॉ. जगदीश मुखीः XXX

....व्यवधान....

मुख्यमंत्रीः XXX

डॉ. जगदीश मुखीः XXX

मुख्यमंत्रीः XXX

डॉ. जगदीश मुखीः XXX

मुख्यमंत्रीः XXX

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

मुख्यमंत्री: XXX

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

मुख्यमंत्री: XXX

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

मुख्यमंत्री: XXX

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

अध्यक्ष महोदय: ये सब कुछ जो बोल जा रहा है। चाहे प्रतिपक्ष से हो या उधर से, सब का दोनों का कार्यवाही से निकाल दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

....व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखी: मैं बोल रहा हूँ सर I bring the House in Order. मैं तो पहले से कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे ही मुझे कहने के लिए कह रहे हैं।

मंत्री जी खड़े हो जाते हैं।

विकास मंत्री: ...व्यवधान...

....व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखी: XXX

अध्यक्ष महोदय: आप समअप कर लीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मैं अगला प्वाइंट ले रहा हूँ। एमसीडी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 512 सड़कें जो 60 फीट चौड़ी सड़कें हैं। उनको इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने पास लिया कि कार्पोरेशन उन्हें मेन्टेन नहीं कर सकती। शर्मनाक हैं ये शब्द। सभी जानते हैं कि राजनीति की गयी है। इनको सहन नहीं हुआ है। एमसीडी की प्रोग्रेस सहन नहीं हुई है। राजनीति करके एमसीडी की एक-एक करके सारी पॉवर अपने अधिकार में ली गयी हैं। उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दे दिया है। तीनों नगर निगमों में भारी बहुमत से जनता ने हमें जीतकर भेजा है, ये उस बात का सबूत है। अध्यक्ष महोदय. ..... please bring the house in order,

....व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखी: बोलने दोगे तो तभी बोलूंगा न। मैं सारा काउण्ट कर रहा हूँ। चौहान जी आपका भी। यानी इनके स्प्रिंग लगे हुए हैं कि बार बार अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं।

विकास मंत्री: ....व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखी: इन्होंने गरिमा को समाप्त कर दिया है।

विकास मंत्री: ....व्यवधान....

---

1. (+++ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गये)
2. (+++ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गये)

डॉ. जगदीश मुखीः ...अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात को अदब से सुना है

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी बैठिए। आप भी कोई उत्तेजक शब्द मत बोलिये।

डॉ. जगदीश मुखीः सर मैंने ये कहा है कि एमसीडी के अंदर राजनीति की है, इसमें गलत क्या कहा है? बताइये मुझे। क्यों इनको ये बात बुरी लगी।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांस्पोर्ट सैक्टर में बीआरटी अम्बेडकर नगर से मूलचन्द अस्पताल तक चालू है। इस पर 900 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। आधा कॉरीडोर रोक दिया गया है। मूलचन्द से लेकर दिल्ली गेट तक बन चुका था। किन्तु बस्तुस्थिति का ध्यान में रखकर के, पब्लिक की परेशानियों को ध्यान रखकर के उसे चालू नहीं किया। उसे रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में कल ही एक जवाब दिया है इसमें लिखा गया है कि इस कॉरीडोर के अंदर 37 दुर्घटनाएं हुई। 128 छोटी दुर्धटनाएं हुई। 37 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। 41 मौतें हुई। 150 व्यक्ति घायल हुए।

अध्यक्ष महोदयः रोक दिया गया है न?

डा. जगदीश मुखीः ...रोड... ही नहीं होता था सर। ये किसलिए बनाया गया कॉरीडोर। कॉरीडोर इसलिए बनाया गया कि वहाँ पर ट्रेफिक जाम रहता है। बस वालों को राहत मिल जायेगी। बड़ा अच्छा लगता है। किन्तु कॉरीडोर में डिफैकटस हैं। डिजाइन डिफेक्ट हैं। जितना पहले जाम होता था। उससे कई गुना ज्यादा जाम होता है। मैं उसी इलाके में रहा हूँ। पहले यदि 5-10 मिनट वेट करनी पड़ती थी। आज-आधा घंटा इन्तजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस कॉरीडोर को मौत कॉरीडोर के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आपने बीच में बस शेल्टर बनाये हैं। जो बस शैल्टर से नीचे उतरेगा। उसे लेफट में जाना है या राइट में जाना है। कैसे

पहुँचेगा। बीच में आपका कॉरीडोर आ जाता है। उसी के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ

....व्यवधान....

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, हम बीआरटी के विरोध में नहीं हैं। ये डिफेक्टिव है डिजाइन डिफेक्टिव हैं।

अध्यक्ष महोदय: डॉ. साहब उस पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। इसलिए 5-7 दिन पहले 10 दिन के लिए खोल दिया गया था। पूरी तरह से फिर दोबारा से किया गश्स और ये देखा जा रहा है कि ये यदि ठीक नहीं है तो बंद कर दिया जाये।

डॉ. जगदीश मुखी: धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री एडमैन्ट हैं। मैं तो इतने कॉरीडोर और बनाऊँगी। अरे भाई, एक एक्सपीरियेन्स देख लीजिए न। जनता कितना भुगत रही है। उसके एक्सपीरिएन्स से हमें सबक सीखना चाहिए।

....व्यवधान....

मुख्यमंत्री: ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमीं लोगों ने कहा कि BRT has not been as successful as we thought it would be. Therefore we are not going to start any BRT till we clear it.

डॉ. जगदीश मुखी: Thank you Madam.

मुख्यमंत्री: ये आप पढते नहीं हैं। आप पढ़िये इसे।

डॉ. जगदीश मुखीः पहले आपने कहा.... मैं धन्यवाद करता हूँ आपका।

मुख्यमंत्रीः आप एक अखबार को पढ़कर जो हैं उन्होंने मुझे congratulate किया कि this is the best thing that has happened. But for political reason you have them. Carry on. But not lie please. We will not tolerate misconceptions and misinformation.

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य मेरे नहीं हैं। तथ्य आपने दिये हैं। लिखित रुप से बोल रहा हूँ। आप इसे भी गलत कहें तो..

अध्यक्ष महोदयः चलिए आपने धन्यवाद बोल दिया। आगे बोलिये आप।

डॉ.जगदीश मुखीः आगे बोल रहा हूँ सर।..मंत्री खडे हो जाते हैं फिर क्या करें जी।

....व्यवधान....

श्री अरविन्दर सिंह लवली (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बहुत तकलीफ की बात है, मुखी जी बहुत सीनियर लीडर हैं। उन तथ्यों को भी गलत पढ़ रहे हैं। ये जो तथ्य पढ़ रहे हैं। इस साल के एक्सीडैन्ट पढ़ रहे है। आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि जब बीआरटी नहीं थी जब कितने एक्सीडैण्ट होते थे।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्याक्ष महोदय, आप सरकार में बैठे हैं। मैं तो ट्रेफिक जाम की बात कर रहा हूँ। पहले 5-7 मिनट लगते थे आज आधा घण्टा लगता है वहाँ पर । इन्टरवेन्शन हर बात पर हर मंत्री के द्वारा स्वागत योग्य नहीं है। ये देखना आपका फर्ज देखना कि I am not intrrupted by the minister like this.

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदयः मैंने भी आपसे निवेदन कर दिया है, मंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। उसके बाद तोकुछ होना नहीं चाहिए। आप अपना भाषण समअप कर दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को ऑर्डर में लाइये। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थर्ड फेज का मैट्रो प्रारम्भ किया। स्वागतयोग्य है। बहुत से कॉरीडोर नये लाये जा रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो नये कॉरीडोर अध्ययन करके तैयार किये जा रहे है। किन्तु इससे पहले अध्ययन करके तैयार की गयी रिपोर्ट आपके पास है। जिसे आपने ओ.के. कर रखा है, आज तक उस पर कार्य शुरु नहीं हुआ, केवल मात्र 5 किलोमीटर का देहात का मामला है, द्वारका मोड़ से नजफगढ़ तक के लिए आपने कई हजार गांव वालों को स्वयं आपने आक्ष्वासन दिया कि यह निश्चित रुप से क्लीयर है। मैं इसे सबसे पहले करुँगी। उस पर काम शुरु नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर काम शुरु किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पानी की सप्लाई के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा...

अध्यक्ष महोदयः बहुत हो गया। पानी के बारे में।

डॉ. जगदीश मुखी... सर पानी पानी हो गया। कल हमें मौका नहीं मिला। आपने कहा कि बजट पर बोलना। अब बजट पर बोल रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई न। अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा कि इस समय मत बोलियेगा। कल बजट पर बोलना।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है बोलिये।

डॉ.जगदीश मुखी: सर पानी पानी हो गया। कल हमें मौका नहीं मिला। आपने कहा कि बजट पर बोलना। अब बजट पर बोल रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई न। अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा कि इस समय मत बोलियेगा। बल बजट पर बोलना।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है बोलिये।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य देता रहा हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री चेयरपर्सन हैं जल बोर्ड की। उसके बावजूद दिल्ली की 1/3 आबादी को पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है किन्तु आज मैं इस वक्तव्य को बदल रहा हूँ। ..मैं इस वक्तव्य को बदल रहा हूँ। आज वह फीगर..आज मैं अपने वक्तव्य को बदल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में 1/3 नहीं है, 50 प्रतिशत आबादी ऐसी हो गयी है, जिनको पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी ने अभी बात, बहस हो रही थी मेरे बालने से पूर्व कि पानी हरियाणा ने काट दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने ही बात कही। पानी हरियाणा ने काट दिया। यू.पी पानी नहीं दे रहा। We are not responsible for that. मैं एक बात जानता चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा लिखित रिप्लाई मेरे पास राइटिंग के अंदर है, जिसमें कहा है कि दिल्ली के अंदर जितना पानी वेस्ट जाता है वो 40 परसेंट वेस्ट जाता है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो 40 परसेंट पानी वेस्ट जाता है, उसके लिए क्या हरियाणा सरकार जिम्मेवार है या उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेवार है? आपकी दिल्ली जल बोर्ड की अकमर्ण्यता जिम्मेवार है। Mis-management जिम्मेवार है। आप यदि इस 40 परसेंट वेस्टेज को कम करके दस परसेंट पर ले आयें तो दिल्ली के हर व्यक्ति को पानी मिल जायेगा। न हमें हरियाणा से पानी लेने की जरुरत हैं और न यू.पी से पानी लेने की

जरुरत है। अध्यक्ष महोदय, हम पानी के बिल की बात करें तो आज 11 गुना पानी के बिल हो गए हैं। 11 सौ परसेंट की वृद्धि हो गई है। उसमें आपके सीवर चार्जेज 50 परसेंट और दूसरे चार्जिज 50 परसेंट, कुल मिलाकर अध्यक्ष महोदय, मैंने आज तक कभी जिन्दगी के अंदर कहीं पर देखा नहीं है। इसी थोड़े से कार्य के अंदर दस साल के अंदर अंदर हमारे पानी के बिल 11 गुना हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पानी दूषित मिलता है। जल जनित बीमारियाँ हो रही हैं। लोग आज पानी पर यकीन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वंय अपने पानी पर यकीन नहीं करती हैं। पानी बोतल का लेकर के पीते हैं। हर व्यक्ति पानी बोतल का लेकर पीता है। यह अविक्ष्वास जनता के अंदर जो पैदा हुआ है वा गलत पानी के कारण हुआ है और अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब आपको एक घंटे से ऊपर हो गया है। प्लीज दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं।

डॉ. जगदीश मुखीः मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आप अनुशासन में रहें।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, जो पानी अवेलेबल है। उसका समान वितरण नहीं है। एक स्थान पर 200 लीटर दो सौ गैलन प्रति व्यक्ति है। दूसरे स्थान पर पाँच है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। यह काम दिल्ली जल बोर्ड ने करना है। हरियाणा और यू.पी के अंदर नहीं किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्लास्टिक के जूतों पर यदि प्लास्टिक का जूता पाँच सौ रुपए तक का है तो उस पर टैक्स माफ किया गया है। उसके पीछे क्या मोटिव है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यदि प्लास्टिक का डिस्करेज करना है। 500 रुपए तक का जूता, चप्पल

उसको आपने टैक्स की छूट दे दी है और जो गरीब आदमी, साधारण व्यक्ति सड़क पर प्लास्टिक के कप के अंदर चाय पीता है। उस पर आपने जबर्दस्त टैक्स ठोक दिया है। यह कहाँ का न्याय है। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की कहीं पर understanding है। अन्यथा मैं कोई शब्द यूज करुँगा तो ये फिर भड़क जायेंगे। मुझे इसका जवाब चाहिए। मुख्यमंत्री जी जब बजट का जवाब दें तो वो इसका जवाब दें। What were the reasons for it? 500 रुपए तक की प्लास्टिक की चप्पल उस पर छूट दे रहे हैं और जो पाँच पैसे का पानी का ग्लास आता है। केवल मात्र उसके ऊपर आप उस पर टैक्स ठोक रहे हैं। आप गरीब आदमी पर कुठाराघात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक अदब से निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। बहुत केस डील किए हैं। इसलिए मैं माँग कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जो किडनी मरीज हैं। खास तौर से वो जिन्होंने किडनी ट्रांस्प्लांट करा ली है। वे बहुत दुखी कंडीशन में होते हैं। उनका सारा मकान बिक जाता है, तब कहीं जाकर किडनी ट्रास्प्लांट होती है और उसके पश्चात् वो जिन्दगी भर बहुत भारी रकम खर्च करके दवाई लेनी पड़ती है। तब वो 5 साल, 7 साल, चार साल, 6 साल जी पाते हैं। इससे ज्यादा लाइफ भी नहीं है। मेरे हिसाब से जिनको हम विकलांगों सुविधा देते हैं। वो 40 पर सेंट है, 50 परसेंट है। हम फैसिलिटी देते हैं। यह वो केटगरी है जो handicapped में भी fully handicapped हैं। fully handicapped तो उनका खर्चा और नहीं है। इनका ऊपर से खर्चा प्रति दिन का as medicine, I therefore demand that those who are Kidney transplantees. They should be declared as fully handicapped. Already three States have done it. तीन राज्यों ने including Bihar Kidney transplantees को fully handicapped डिक्लेयर किया है। मेरी आपसे हैल्थ मिनिस्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी से अदब से निवेदन है कि आप भी इस situation की gravity को समझते हुए, आप इन्हें fully handicapped डिक्लेयर करें। मैं सर हर बार माँग कर रहा हूँ।

स्वास्थ्य मंत्रीः हम ने डेढ़ लाख रुपया एक साल का कर दिया है क्योंकि जब तक उसकी ट्रीटमेंट होगी। सरकार डेढ़ लाख रुपए उसको देगी। आप अखबार नहीं पढते।

अध्यक्ष महोदयः यदि यह हो गया है तो ठीक है।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि उनको handicapped डिक्लेयर करें। देखिए, वे बात बदल गए हैं। इनको कोई चीज सहन ही नहीं हो रही। आप माँग को ठुकरा दीजिए। आप झूठ तो मत बोलिए। मैं यह कह रहा हूँ कि आप handicapped डिक्लेयर कीजियेगा क्योंकि उन्हें फैसिलिटी देनी हैं। अध्यक्ष महोदय, I simply demand that Kidney transplantees, I made a humble request.

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी टोटल स्कीम है।

....व्यवधान....

स्वास्थ्य मंत्रीः मुखी साहब एक मिनट सुन लीजियेगा क्योंकि उससे आपके इलाके के मरीजों को लाभ होगा।

डॉ.जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी की इनकम एक लाख रुपए साल की है। मैडम ने उसको दो लाख रुपए साल कर दिया। हम उसको ट्रीटमेंट के लिए डेढ़ लाख रुपए देंगे। यदि वो Kidney transplant कराता है, तो उसको ढाई लाख रुपए देंगे। अगर लीवर ट्राँसप्लान्ट कराता है तो उसको ढाई लाख रुपए देंगे। अगर वो बोन मैरो का कराता है तो उसको ढाई लाख रुपए देंगे। इस स्कीम का निकाले हुए हमें दो महीने हो गए

हैं। अखबार में भी आई है। ये सब कुछ advertise भी किया है। न तो ये अखबार पढ़ते हैं। इनको खाली यह कहना है कि....!

....व्यवधान....

डॉ.जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मेरी माँग वहीं की वहीं है। मैं यह कहता हूँ कि आप इन्हें fully handicapped डिक्लेयर करें। आप बात को घुमा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें एक बात चेलेंज के साथ में कह सकता हूँ।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि Kindney transplantees को fully handicapped डिक्लेयर किया जाए। ये उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वे बिना बात के बात को घुमा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने एक शब्द की माँग रखी है कि आप उन्हें हैन्डीकैप्ड डिक्लेयर करो। ये बात को घुमा रहे हैं। वे अपनी स्कीमों का खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के चेलेंज करता हूँ। मुखी जी जो आरोप लगा रहे हैं। मैं यह प्रूव कर सकता हूँ कि इनका पास्ट क्या रहा है और इन्होंने क्या क्या किया है। इसलिए आप किसी पर आरोप मत लगाइए। मैं आठ साल फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपने क्या क्या किया है। आप गलत आरोध मत लगाइयेगा।

......अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा साहब बैठिए।

......अंतरबाधाएँ..........

अध्यक्ष महोदयः देखिए, हमें पूरे सदन की तरफ से मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर वालिया जी ने जो सुविधा दी है। उसका तो धन्यवाद करना चाहिए और साथ में मुखी साहब ने जो डिमान्ड की है वो मैं यह समझता हूँ कि अनुचित नहीं है। यदि आप उसको भी स्वीकार कर लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जायेगा और उनको राहत मिल जायेगी। अब श्री मुकेश शर्मा जी चर्चा शुरु करेंगे।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात बजट पर शुरु करनी थी और करनी है। लेकिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री जगदीश मुखी साहब जब बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वे हिन्दुस्तान के सब के फेल्योर फाइनेंस मिनिस्टर रहे इनकी नाकामी और इनके द्वारा किये गये ऐसे कार्य हैं कि इनकी पार्टी को 15 साल हो गये हैं झेलते हुए और अभी दस साल और झेलने पड़ेगे। जो काँच के घरों में रहते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। कुछ 15-20 सदस्य पक्ष और विपक्ष के ऐसे बैटे हैं जो 1993 से हैं। हमने पाँच साल आपको वित्त मंत्री के रुप में काम करते देखा है। अगर हिंदुस्तान भर में किसी वित्त मंत्री से किसी मंत्री ने एक्साइज निनिस्टरी छीनी थी तो पूरे अकेले हिंदुस्तान में आप अकेले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनसे छीनी गयी थी। मुख्य मंत्री जी ने मुखी जी को चुनौती दी है कि वो पेपर सबमिट करें। इस सदन में मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और कल वो रिकार्ड पेश भी कर दूंगा। इन्होंने एक्साइज मिनिस्टर होते हुए जगजीत इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया, वो स्कैंडल साबित हो गया, तब इनकी मिनिस्टरी छीनी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ बल्कि जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर मेरी बात असत्य है तो प्रिविलेज मोशन लाएं। यह भी जिम्मेदारी कह रहा हूँ कि इन्होंने शराब की कंपनियों से साँठगाँठ करके जो अपनी निजी प्रोपर्टी मायापुरी में, उस जमाने में जब यह मंत्री थे, किराए पर चढा रखी है, शराब की कंपनियों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निजी आरोप में कभी लगाता नहीं हूँ। लेकिन

जिस घटिया स्तर पर, जिस छोटे स्तर पर आप इस डिबेट को लेकर के आ गये, आपको बजट पर बोलना चाहिए था। आप प्रोफेसर हैं, आपने प्रोफेसर वाली बात आज की नहीं है। लगता है कोई सैटिंग बिगड गयी है आपकी। मुखी जी जिस पीने के पानी की बात आप कर रहे हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि रात के अंधेरे में सुबह चार बजे उठकर आप टेलिफोन पर रिकवेस्ट करते हैं कि जरा मुझे देख लीजिए, क्या यह सही नहीं है कि कि आप तीन चार पौर्शन के अंदर पानी नहीं जाने देते और वहाँ दंगा करवाने की स्थिति पैदा कर देते हैं? मैं निवेदन करुंगा कि पीने का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मुखी के यहाँ से, मेरे और धर्मदेव जी के यहाँ पर होना चाहिए। क्या दिक्कत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुखी जी ने जो स्टेटमेंट दी है, वो पूरी तरह से असत्य है, आधारहीन है और दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाली है। 612 अनधिकृत कालोनियों को हमने पास किया। 1976-77 में इंदिरा जी के कार्यकाल में पास किया गया। उनकी कैबिनेट ने किया है, यह रिकार्ड पर है और कहा ये जा रहा है, विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने कालोनी पास की है। अगर इन्होंने पास की होती तो पिछली बार आपकी जो दुर्दशा हुई है न हुई होती। मुखी जी ने दो तीन चीजें और कही है। मैं किसी स्कैम की बात नहीं करना चाहता। आपने कहा था कि कृषि खत्म कर दी। हम क्या आपने मिनी मास्टर प्लॉन को ले आये। जो आपने बनाया था, वो हवा हो गया, उसकी वजह से जंगलों जो आपने एमपीसीसी बनाएं थे आप वहाँ जानवर बोल रहे हैं, वहाँ कोई जाना पंसद नहीं करता। हमने जो ग्रामीण विकास बोर्ड से जो चौपालें और बारातघर बनाए हैं, वो आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। यह हमारा रुरल डवलपमेंट बोर्ड का काम है। मुखी जी की बात का मैं बारी-बारी से जवाब दे रहा हूँ। आपने आरडब्ल्यूए की बात कही है, आप इस बात से क्यों डरते हो, आप कहो कि आप आरडब्ल्यूए के खिलाफ हैं, आप भागीदारी को घुमाने को कह रहे हो, आप रिकार्ड पर आइए कि आप आरडब्ल्यूए के खिलाफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की बीजेपी, दिल्ली की आरडब्ल्यूए, दिल्ली की सामाजिक संस्थाएं जिनको दिल्ली की सरकार

भागीदारी के जरिये दिल्ली के आम आदमी को जोडना चाहती है, बीजेपी उस केद्रीयकरण के खिलाफ है, यह इन्होंने अपने भाषण में साबित किया है। बड़ा ही जोर शोर से कहा गया कि सरकार आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। हमारी तो आर्थिक सेहत ठीक है लेकिन इस बजट ने बीजेपी की राजनीतिक सेहत बिगाड कर रख दी है। मुखी जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पडेगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपको जरुर इस मामले में इन्टरविन करना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने एक परसेंट भी वैट पर छूट दी है, मुखी जी बोलते क्यों नहीं आपकी बोलती क्यों बंद हो गयी। क्या आपकी अनपार्लियामेंटरी. ....अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष जी, आप परमिट दें, मैं इनकी बात का जवाब दूं..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः देखिये मुकेश जी......अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः गोवा में पूरी तरह से वैट पेट्रोल से समाप्त किया है और यह इतिहास है हिंदुस्तान में और नक्शे कदम पर हम आगे बढ रहे हैं, आपने तो एक रुपया कम किया है, उन्होंने ग्यारह रुपया कम किया, आप सुनना चाहेंगे.... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए.....अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड पर बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी, इस तरह से किसी को मत खड़ा कीजिए.....अंतरबाधा।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, क्या यह सत्य नहीं है कृषि प्रधान पंजाब में जहाँ बीजेपी और अकाली दल कोलीएशन है, वहाँ पंजाब के मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने

यह ऑन रिकार्ड पर वैट एक परसेंट भी घटाने से मना कर दिया है। यह सही है या गलत है? दिल्ली के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या गांधी नगर गुजरात के अंदर पैट्रोल के दाम 70 रुपये और 92 रुपये है पर लीटर है और क्या वहाँ पर एक परसेंट वैट घटाया है.......अंतरबाधा। अध्यक्ष जी, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है और दिल्ली वो राज्य है जहाँ, वैट घटाने से सारे देश में सबसे सस्ता पैट्रोल है। जिस सरकार की आप आर्थिक सेहत की बात कर रहे हैं, यह पहली राज्य सरकार है पूरे देश में जो सरकार अपने कुल बजट का 94 प्रतिशत खर्च किसी से अनुदान लेकर नहीं कर रही है।

अपने रिसोर्सेस से, टैक्स कलैक्शन करके हम 94 परसेंट अपना खर्च करेंगे। केवल छह प्रतिशत हमारी सरकार केन्द्र सरकार पर निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की आर्थिक सेहत का सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव का बार-बार जिक्र हो रहा है। पिछली बार भी नगर निगम का चुनाव हुआ था उससे तो आपकी कम सीटें आई हैं। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना और जिसके चार जीत गये हों काउंसलर वो अगली बार घर बैठने की तैयारी कर लेना इतना भ्रष्टाचार है नगर निगम में, मैं आपको बता रहा हूँ। यह बड़ी आपको चुनौती के तौर पर कह रहा हूँ। मैं इसलिए आपको यह बात कह रहा हूँ अध्यक्ष जी आज दिल्ली में यह बीजेपी के एमएलज भी एक्सेप्ट करेंग। कांग्रेस के एमएलएज भी एक्सेप्ट करेंगे। आज दिल्ली के अंदर यदि कोई गरीब आदमी की रसोई भी बन रही है तो बगैर भवन विभाग के जेई को रिश्वत दिये बगैर नहीं बन रही है, वो पैसा बंट रहा है और सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी का रिश्वत का पैसा अगर एमसीडी के खजाने में जमा हो जाये तो दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे की एमसीडी को ज़रुरत ही नही। इतना पैसा रिश्वत के रुप में दिल्ली में इकट्ठा होता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन नगर निगम चुनाव कोई पैमाना नहीं है

और पैमाना है तो वोटों का प्रतिशत आपका घटा है और अगर नगर निगम चुनाव पैमाना है.....(व्यवधान)

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष जी, यहाँ जो बातें हो रही हैं आरोप-प्रत्यारोप की... (व्यवधान)

श्री मुकेश शर्मा: मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप बैठिये।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: सोलंकी जी, बैठिये। प्लीज बैठिये। सोलंकी जी, यह तो यहाँ का धर्म बन गया है। आरोप-प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। बैठ जाइये। बोलने दीजिए।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अगर नगर नियम चुनाव पैमाना है तो जगदीश मुखी साहब पिछली बार 18000 वोट से चुनाव जीते थे। उनकी जीत 643 वोट पर सिमट कर रह गई है जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र में और अगर नगर निगम चुनाव पैमाना है तो श्री हरशरण सिंह बल्ली 32000 वोट से विधान सभा चुनाव जीते थे जो घटकर साढ़े नौ हजार पर रह गए हैं। अगर नगर निगम चुनाव पैमाना है तो हमारे पास पैमाना है चंदीला जी विधान सभा चुनाव जीते थे 46 वोट से और कांग्रेस अब उस विधान सभा क्षेत्र में जीत कर आई है 6 हजार वोट से। यह पैमाना है। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहता हूँ कि अगर पैमाना आप लगा रहे हैं तो। अध्यक्ष महोदय मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोग जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बनाई है जिस रीजन से बनाई है, दिल्ली की जनता को जो प्रतिशत और वोट आपको वोट आपको नगर निगम में मिला है अगर वो पैमाना है, जिसको आपने मान लिया है तो हम श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चौथी बार दिल्ली में सरकार बनायेंगे, यह मैं फ्लोर पर कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है बजट का, यह बजट आम आदमी का बजट है और संतुलित बजट है। संतुलित बजट होने के साथ-साथ यह पिछले 14 वर्ष में हमारी सरकार का एक ऐसा बजट है, जिस बजट में केवल जो दिल्ली के ज़रुरतमंद लोग हैं, दिल्ली के गरीब लोग हैं, दबे-कुचले लोग हैं, दलित हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटिजन्स हैं, विडोज हैं, विकलांग हैं, सामाजिक रुप से, आर्थिक रुप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सरकार ने न केवल उनके लिए योजनाएँ शुरु की हैं। सरकार ने उनको सीधे तौर पर लाभ पहुँचाकर उनको एक अवसर दिया है कि वो अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सके यह ऐसा बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर कल पेट्रोल के नाम पर चले गये। इन्होंने सुनने की ज़रुरत नहीं समझी यह बजट अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार की दिशा, हमारी सरकार की निति और नियत हर चीज़ को पूरे तरीके से स्पष्ट कर रहा है। बजट अगला भी आएगा उसके लिए भी तैयार रहना कान खोलकर सुनने के लिए। अगले वाला इससे खतरनाक आएगा। उसके बाद में भाग जायेगा यहाँ से परमानेंट वाक आउट करके। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि यह बजट भारतीय जनता पार्टी के लिए कफन की कील साबित हो गया है। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली का आम गरीब आदमी यह कह रहा है बीजेपी गरीब आदमी के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव कब हो सका है क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री जी एक मुख्यमंत्री के रुप में तो कामयाब थी आज पूरे देश के अंदर अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर रेडी है तो वो श्रीमती शीला दीक्षित है, जिन्होंने गरीब के दर्द को समझा है, इसलिए यह सम्भव हो सका है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ ज़िम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट है और जो करप्शन की बातें कर रहे हैं, अगर मै। गलत नहीं कह रहा,। आज दिल्ली नगर निगम में आईएएस और दानिक्स ऑफिसर्स को छोड़कर जो प्रतिनियुक्ति पर, डेप्युटेशन पर जाते हैं जो एमसीडी का कैडर है वो कैडर पिछले सात साल में वेबसाइट कर रही है। एमसीडी की 98 प्रतिशत इंजीनियर आपके कर्मचारी उन पर

चार्जशीट है करप्शन के चार्ज में वो चार्ज फ्री लोग नहीं है उनसे आप एमसीडी चला रहे हैं चार्जशीट वाले लोगों से।

अध्यक्ष महोदय, स्ट्रीट लाइट हमने भी लगाई है, आपकी स्ट्रीट लाइट जिसने लगाई पता करो वो कहाँ पर है इस वक्त बाहर है या अंदर है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हमने तमाम कानूनी पेचीदगियों के बावजूद, प्रशासनिक दिक्कतों के बावजूद हमने दिल्ली का चहुंमुखी विकास किया। हम दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं और यह कभी बीआरटी छोटे-मोटे बेसलैस एग्जाम्पल पता नहीं क्वेश्चन मुखी जी ने पढ़ा भी नहीं, उल्टा पढ़ लिया बीआरटी से पहले अध्यक्ष जी 115 दुर्घटनाएँ थीं और बीआरटी के बाद सिर्फ 35 रह गई। क्वेश्चन जान-बूझकर उल्टा पढ़ लेते हैं हाउस में, अभी प्लान और नॉन प्लान हैड की बात कर रहे थे मैं ओकड़ों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप घंटी बजा दोगे लेकिन जितनी देर मुखी जी बोले हैं मैंने बकायदा सुई नोट कर रखी है। अब उसका जवाब कम से कम आधा घंटा तो लेट चलेगा। अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में 14 साल में कोई एक करप्शन का चार्ज हमारे किसी मिनिस्टर पर नहीं है, साबित नहीं हो सका है: यह हमारे लिए गर्व की बात है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी बीमारी के दौर से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा बीमारी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देश में है तो बीजेपी में है। आपके कौन-कौन, कब-कब नाराज हो जाये पता ही नहीं चलता है। अध्यक्ष महोदय, यह उस राज्य का नाम बताये, जिस राज्य में इनकी सरकार बनी हो और वहाँ मुख्यमंत्री न बदला गया हो। पाँच साल में दो या तीन और जब हटता है तो वो इसलिए हटता है कि वो जेल जाने वाला होता है इसलिए उसको हटाना पड़ता है। क्या हुआ कनार्टक में आपके साथ, जवाब दो, कोई जवाब नहीं है, आपके पास

जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पाँच साल आपकी सरकार थी, खुराना जी आए, फिर स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा जी आए। फिर सुषमा स्वराज जी आई, जिन्होंने हाऊस फेस नहीं किया। तीन चीफ मिनिस्टर आपने बदले। आपके चीफ मिनिस्टर जाते जाते प्याज दुबई से मंगवाने के नाम पर क्या करके गए हैं वो भी सारी दिल्ली जानती है। आपने प्याज तक में लोगों को नहीं छोड़ा। आपकी पार्टी की यह हालत थी।

अध्यक्ष महोदय, जनकपुरी के जिस हॉस्पीटल की बात माननीय प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। मुखी जी, भूमि पूजन करना बड़ा आसान है। लेकिन रिकार्ड पर हर्षवर्धन साहब को और आपको यह भी बताना चाहिए कि जब आप सरकार छोड़ कर गए किसी एक आधे का नक्शा भी पास हुआ था या नहीं हुआ था। सिर्फ भूमि पूजन हुआ था, आपने नारियल फोड़ लिया और धागा बंधवा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी नाकामयाबी को हम झेलते झेलते यहाँ तक आए हैं और आपने कहा कि बड़ा सुन्दर हॉस्पीटल बन गया है। हमने हॉस्पीटल तो बना दिया और अध्यक्ष जी, जिसकी ये बात कर रहे हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा दोबारा दोहरा नहीं रहा। मैं तो इसलिए चुप था कि मेरी बारी आयेगी तो एक-एक बात का जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से इस सदन में एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को यदि बेहतर करना है और डाक्टरों को सरकारी हॉस्पीटल में ले कर आना है तो प्रेक्टिकल सच्चाई की तरफ जाना होगा। जो सैलरी आप डाक्टरों को दे रहे हैं, वहाँ अच्छे डाक्टर अवेलेबल हो आप भी जानते हो और डॉ. हर्षवर्धन साहब भी जानते हैं। हम भी जानते हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हैं। कहीं न कहीं आज पूरी दुनिया प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही है। कहीं न कहीं सरकार को इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। उसको आप जो चाहे कहें मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। आप स्केम कहें, भ्रष्टाचार

कहें लेकिन दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हों। क्या मुझे अध्यक्ष जी यह जानने का अधिकार नहीं है कि ईडब्लयूएस में क्या हो रहा है? क्या हमारे शिक्षा मंत्री ने सक्सेसफूली 25 परसैंट ईडब्लयूएस को दिल्ली लागू करवाया या नहीं करवाया। जब हम इसको लागू कर सकते हैं तो हम पी.पी.पी. के तहत हॉस्पीटल क्यों नहीं खुलया सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुखी जी, आपने कहा कि हमारी सरकार किसान विरोधी है। ये प्रेस वाले चले गए, आपका बयान अखबार में छपना चाहिए। भरत सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। नजफगढ़ से एमएलए हैं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जमीन इन्हीं के इलाके में बची हुई है। आप क्या चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हल जोत कर आपको सब्जी बो कर खिलाते रहें? क्या आप चाहते हैं कि हम जिंदगी भर खेत मे खाद डाल कर आपका पेट भरते रहें? आप जनकपुरी की कोठियों मे रहते हो। क्या किसान के बेटे को काठी में रहने का अधिकार नहीं है? क्या किसान के बेटे को रईस बनने का अधि कार नहीं है? क्या किसान के बेटे को बिल्डर बनने का अधिकार नहीं है? मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने मास्टर प्लान में एक प्रोवीजन किया है कि किसान बिल्डर से पार्टनरशिप करके सीधे तौर पर अपनी जमीन बिल्डर को बेच सकेगा। आप किसान को मारना चाहते हैं। आपकी प्रपोजल किसान को मारने वाली प्रपोजल है। मैं पूरे तरीके से आपकी प्रपोजल को खारिज करता हूँ। आप एक्वायरमेंट की बात ही क्यों करते हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि किसान को अपनी जमीन बाजार भाव में बिल्डर से पार्टनरशिप करके बेचने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मुखी जी को किसानों की जानकारी ही नहीं है। किसी नजफगढ़ वाले ने फोन करके बता दिया होगा कि यह बोल देना, पूरी ब्रिफिंग नहीं की इन्होंने।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, यही बात हमने कही है कि सरकार एक्वायर नहीं कर सकेगी। उनको अधिकार है अपने हिसाब से निर्णय करने का। उनको अधिकार

है जमीन को अपने पास रखने का जिसको मर्जी बेचें। यही बात हमने की है। यह बात इनकी समझ में आती नहीं। ऊपर से निकल जाती है। इनकी समझ में नहीं आई कि हमने क्या कहा।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, इनको देहात की बहुत चिंता है। पश्चिमी दिल्ली की चिंता एक तो इनको है और एक इनके दोस्त को है। दोनों को चिंता नहीं है। न इनको न उनको। अगर पश्चिमी दिल्ली की चिंता किसी को है तो दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को है, जिसने वेस्ट दिल्ली के प्रोजेक्ट इस बार लगाये हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि नजफगढ़ में ये मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं। मुखी जी, शायद आपको पता नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा कम्प्यूटर चलाना भी नहीं आता। आप दिल्ली मेट्रो की वेबसाईट पर जाईये। अध्यक्ष जी, दिल्ली मेट्रो पहले साई बाबा मंदिर तक जा रही थी। आज दिल्ली मेट्रो दिचाऊ और नांगलोई बस स्टैंड तक मेन नजफगढ़ शहर तक मुख्य मंत्री जी के आर्डर से जा रही है और वेबसाईट पर नक्शा लग गया है। नजफगढ़ की चिंता हमें है। आपको नहीं है।

डॉ.जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, आज से दो साल पहले इनको उस समय ए.बी.सी. पता नहीं थी। मैं यह कह रहा हूँ कि उस पर काम शुरु नहीं हुआ। मैंने यह कहा कि उस पर काम जल्दी शुरु करायें।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली को जो केरोसीन फ्री करने की बात कही है। मुखी जी को और भारतीय जनता पार्टी को केरोसीन फ्री करने से दर्द इसलिए हो रहा है कि जो इनके समर्थक इंडस्ट्री वाले जो मिट्टी का तेल ब्लेक मार्किटिंग में पेंट की और दूसरी इंडस्ट्री में बेचा जा रहा था। उन ब्लेक मार्किटिंग वालों से

आपकी सहाहनुभूति है। इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम दिल्ली को केरासीन फ्री करके पोलूशन फ्री भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो लाख परिवारों को आप कहते हैं कि बीपीएल आइडेंटीफाई कैसे करेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी का स्वगत और आभार व्यक्त करता हूँ कि बीपीएल कार्ड बनाने में कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसलिए दो लाख परिवार को जो आपने बीपीएल से हट कर 600 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। यह दिल्ली का एक इतिहास है। देश का इतिहास है। हिन्दुस्तान में दिल्ली पहली राज्य सरकार है, जिसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। आपको दिक्कत है तो हमारे पास इसका कोई ईलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने पेंशन की राशि को हजार रुपये से बढ़ा कर 1500 रुपये किया। वीडो के लिए भी किया। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए भी किया। मायनर्टी के लिए भी किया। पहली से पांचवी क्लास के स्टूडेंट को 300 रुपये लेखन सामग्री के लिए 5वीं से 8वीं तक के लिए 800 रुपये लेखन सामग्री के लिए देना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष जी, लोग टीचर्स की कमी की बात करते हैं। मैं इसके लिए दिल्ली की सरकार को, शिक्षा मंत्री को बध ाई देना चाहता हूँ कि अगर टीचर्स की कमी के बाद सीबीएसई के नतीजे में हिंदुस्तान में नम्बर वन है तो टीचर आने के बाद क्या होगा, जरा सोच लेना। अध्यक्ष जी, परमानेंट टीचर्स की नियुक्ति में दिक्कत हो सकती है लेकिन हमारी सरकार ने कंट्रेक्ट टीचर्स के माध्यम से रिटायर टीचर्स के माध्यम से दिल्ली के स्टूडेंट को महसूस नहीं होने दिया कि टीचरों की कमी है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और आप उसके खिलाफ थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बजट का 65 प्रतिशत सोशल सैक्टर में रखकर एक नई मिसाल हिन्दुस्तान में कायम की है। किसी भी राज्य सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है। हमने उसमें सबका ध्यान रखा है। उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा है। अध्यक्ष जी, हमने अस्पताल बनाए जाने की बात ही नहीं की

है बल्कि अस्पताल शुरु होने जा रहे हैं, आप तो सिर्फ भूमि पूजन करते थे। अध्यक्ष जी, आप जिस किडनी की बात करते थे आपने कहा वह भी मान ले प्रोपोजल, आज डायलेसिस की सबसे बडी समस्या है। माफ करना कैंसर भी एक ऐसी बीतारी है। मैं सरकार को बध ाई देता हूँ कि हमारी सरकार ने अलग से कैंसर विभाग स्थापित किया है। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है। अलग से विभाग बना दिया है। उसका अलग से एचओडी बनाया है। आज वहाँ गरीब लोगों को दवाई दी जा रही है जीटीबी शाहदरा अस्पताल में।

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी, वह डिपार्टमेंट नहीं है, कैंसर अस्पताल है।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपको फिर निवेदन कर दूँ कि अगर ये लोग बीच में इंटरवीन और स्कैम वगैरहा ना करें तो यह भी सच है कि द्वारका के अन्दर बाकायदा एक संस्था के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की प्रोपोजल थी, सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन इनके पेट में दर्द होता है। इनको कैंसर के अन्दर भी स्कैम नजर आता है। अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वह कैंसर अस्पताल हैं। कैंसर डिपार्टमेंट बनाने की प्रोपोजल भी सरकार के पास पड़ी हुई है। इसके साथ-साथ आपने जो 100 डायलेसिस सेंटर की बात कही हैं। हमारी सरकार का वह एक ऐतिहासिक कदम है। अध्यक्ष जी, 1994 में जब इनकी सरकार आई थी तो बजट 4 डिजिट में था। आज बजट पाँच डिजिट में है और हमने 98 परसेंट, 97 पर सेंट 96 परसेंट बजट को खर्च किया है और अच्छे काम पर खर्च किया है। आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं। माफ करना दिल्ली का जो मजदूर है। कुशल एंव अकुशल श्रमिक आज उसकी न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वह 8766रु. दिल्ली में है जिसको सख्ती से हमारी सरकार ने लागू किया है। आपने नहीं किया, हमने किया है। अगर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ रही है तो अध्यक्षजी, माफ करना जब देश या राज्य तरक्की करता है

तो कुछ उतार-चढ़ाव आते है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अगर चीनी के दाम बढ़े हैं, आटे के दाम बढ़े हैं गेहूँ के दाम बढ़े हैं, कपड़े के दाम बढ़े हैं तो मुखी जी जनकपुरी में जो फ्लैट आपने 5 लाख का लिया था वह आज ढाई करोड़ का है। उत्तम नगर में जो प्लाट 500रु. गज था, वह आज 5 लाख रु. गज भी नहीं है। आप जानते हैं उत्तम नगर में 7 लाख रु. गज में प्लाट उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की प्रापर्टी के दाम बढ़े हैं। दिल्ली के जो लोग करोड़पति और अरबपति बने है, जिनका 100 गज का मकान है, वह अगर करोड़पति है तो कांग्रेस पार्टी की देन से है क्योंकि दिल्ली का विकास इतना कर दिया है कि दुनिया का हर आदमी दिल्ली में आकर रहना चाहता है। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक छोटी घटना सुनाता हूँ। मेरे क्षेत्र में आज से 16-17 साल पहले एक बिहार का आदमी आया था। वह पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने मोहन गार्डन में एक प्लाट लिया। वह युवक 4 साल पहले अपना प्लाट एक करोड़ 20 लाख का बेच कर वापस अपने गांव गया है अपने गांव की 3/4 जमीन खरीद कर खेती कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को दुआ दे रहा है कि भला हो कांग्रेस पार्टी को दुआ दे रहा है कि भला हो कांग्रस पार्टी का। अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बकरवाला गांव में तकनीकी शिक्षा का हब खोलने की जो बात कही गई है। बापरौला गांव में जेम्स एंड डवेलरी इंडस्ट्रियल पार्क की जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, यह भी पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा है। आपने बाहरी रिंग रोड को सिगनल फ्री करने की बात कही है। इससे पश्चिमी दिल्ली का विकास होगा। आपने द्वारका में सुपरस्पैशलिटी अस्पताल खोलने की बात कही है इससे भी पश्चिमी दिल्ली का विकास होगा। इस बजट में 14 वर्ष में पहली बार आपने पश्चिमी दिल्ली को विशेष तौर पर जो राहत दी है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ आपने द्वारका में मेडिकल कालेज बनाने की बात कहीं है आज पश्चिमी दिल्ली के लोग आपकी और देख रहे थे। अभी लपकने वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ अनाथराइज कालोनी के बारे में।

अध्यक्ष जी, दिल्ली की 1639 अनाथराइज कालोनियों में राजकुमार जी को और हारुन साहब को याद होगा 1994 में मुख्यमंत्री जी केवल 12 करोड़ रु. डवलपमेंट के लिए रखे गये थे। जब 1995 का बजट आया तो हमने पूछा कितने रु. खर्च हुए। ये उन कालोनियों पर 12 रु. भी खर्च नहीं सके थे। यह इनका विजन था। 1996 12 रु. खर्च नहीं कर पाए। 1997 में 12 रु. खर्च नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 2011-12में 2597 करोड़ रु इन कालोनियों की डवलपमेंट पर खर्च किया है। जो दिल्ली के अन्दर मिसाल है। इस वर्ष भी इस बजट में कहा जा रहा है कि मात्र 631 करोड़ रखा है। वह तो पढ़ लिया। 631 करोड़ के बाद एक लाइन ओर लिखी हुई है कि इन कालोनियों की डवलपमेंट के लिए सरकार पैसे की कमी नहीं आने देंगी। यह भी उसके साथ लिखा हुआ है। यह पढ़ना भूल गए। अध्यक्ष जी, ये अपने काम की चीज पढ़ते हैं। आज दर असल थोड़ा सा हो गया नहीं तो एक एक प्वाइंट का जवाब, अभी मौका आएगा और हमारे सदस्य बोलेंगे। अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि अनाथराइज कालोनियों को रेगुलराइज करने की बात चल रही है। जिस तरीके से यह रेगुलराइज कराना चाहते हैं, उस तरीके से दिल्ली में 600 कालोनियाँ रेगुलराइज हो रही थी और हम सारी अनाथराइज कालोनियों को रेगूलर करना चाहते हैं। हम किसी पालिटिकल प्रेशर में दिल्ली के लोगों को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हम एमएलए श्री कमलनाथ जी से मिलने गये और हमने 2007-08 के सर्वे के आधार पर उन कालोनियों की बाउंडरी निर्धारित करने का निर्णय हमने और हमारी सरकार ने करवाया है। आप चाहते थे कि 2003 पर हो जाए। उससे दिल्ली का बेड़ा गर्क होता। इससे आपको भी फायदा होगा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा हमने दिल्ली की अनाथराइज कालोनियों को रेगुलराइज करने के साथ-साथ बजट के अन्दर जो व्यवस्थाएं की है, क्या मोनो रेल, किसी ने सोचा था दिल्ली में चलेगी, क्या मैट्रो के बारे में सोचा था दिल्ली में चलेगी। अध्यक्ष जी, दिल्ली में मैट्रो रेल चली, दिल्ली में मोनो

रेल चलाए जाने की बात चल रही है। इसके साथ साथ फ्लाई ओवर्स बने है। दिल्ली की सड़कों के नक्शे बदले हैं। अगर किसी कि नक्शा नहीं बदला तो दिल्ली के अर्बनाइज विलेज का नहीं बदला क्योंकि दिल्ली नगर निगम में आप बैठे हो भारतीय जनता पार्टी अनाथराइज कालोनियों और अर्बनाइज विलेजिज के खिलाफ रही है। इसलिए वहाँ डवलपमेंट नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को एक बात अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि आपने जब ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया तो दिल्ली के गांवो की बहुत बुरी हालत थी। गांवो में सड़कें नहीं थीं। गांवों में चौपाल नहीं थीं। गांवों में कम्यूनिटी हॉल नहीं थे। गांव से गांव को मिलाने वाली सड़कें नहीं बनी हुई थीं। ग्रामीण विकास बोर्ड बनने के बाद चाहे वे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों जिनके इलाके में ग्रामीण गांव थे उनमें दिल्ली के शहर से ज्यादा काम हुआ है इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। आपकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपने बहुत बड़ा प्रस्ताव किया है कि शहरी विकास मंत्रालय में अलग से मोनिटरिंग होगी और 53 करोड़ रु. की व्यवस्था आपने शहरीकृत गांवों के लिए की है।

हमारे साथी श्री कुलवन्त राणा जी, श्री मनोज शौकीन जी, झा जी, भरत सिंह जी के यहां तो अर्बनाइज्ड विलेज हैं नहीं, बाकी इधर के पक्ष मे लोग। इनको इस प्रस्ताव नर सहमति जतानी चाहिए कि जिस पैटर्न पर ग्रामीण विकास बोर्ड दिल्ली सरकार ने बनाया है, शहरी कृत विकास बोर्ड बनना चाहिए और एमएलए की संस्तुति पर काम होना चाहिए। ये भी एग्री हैं मुख्यमंत्री जी। अब इनके आका जो बाहर बैठे हैं, बीजेपी वाले वह एग्री हैं या नहीं मुझे नहीं पता । लेकिन ये एग्री हैं, क्योंकि इनकों भी चुनाव लड़ना है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप भी सहमत होंगे। आज अर्बनाइज्ड विलेज की हालत ठीक नहीं है। अर्वनाइज्ड विलेज का विकास बोर्ड मुख्यमंत्री जी ये सदन की सर्वसम्मत मांग है कि उसका विकास बोर्ड बनना चाहिए और इस पैसे को विकास बोर्ड

के जरिए आपको खर्च करनो चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की पुनर्वास कालोनियाँ, मुझे पता नहीं कुछ लोगों के यहाँ हैं। कुछ लोगों के यहाँ नहीं हैं। दिल्ली की 44 पुनर्वास बस्तियां और जो 7-8 बाद में बसाई गई हैं। जिसमें बिन्दापुर पॉकेट-4 है, शिव विहार जे.जे. कालोनी है, टोटल दिल्ली की पुनर्वासित कालोनियां मुख्यमंत्री जी, आपने दिल्ली शहरी आश्रित बोर्ड बनाया है। वो शहरी आश्रित बोर्ड स्लम बोर्ड का कोई चेंज करके हमने बनाया है। स्लम बोर्ड झुग्गी झोपड़ी बस्ती में काम करता था। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जरुरी बात कह रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि दिल्ली की रिसेटलमैन्ट कालोनियों को, जैसे मैंने अर्बनाइज्ड विलेज की बात कीह है। दिल्ली की रिसेलट मैन्ट कालोनियां स्व. इन्दिरा गांधी की धरोहर है। इंदिरा जी ने इन कालोनियों को बसाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करुँगा, कि दिल्ली की रिसेटलमैन्ट कालोनियों को दिल्ली शहरी बोर्ड के तहत लाकर उसकी डेवलपमैन्ट इस बोर्ड को दी जाये। इसमें कोई लीगल फ्लॉ नहीं है, कोई लीगल अड़चन नहीं है, कोई लीगल दिक्कत नहीं है। इससे किसी पक्ष का विधायक हो, उसमें उसको सिकी किस्म की कोई खामी या दिक्कत नहीं आने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करुँगा थोड़ा सा आप भी जल बोर्ड के ऑफीसर्स को कहें ये, इनसे या तो कभी कभार थोड़ा डर जाते हैं थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, हाउस में इनके खिलाफ बोलेंगे। जय भगवान जी के यहाँ 24 घण्टे पानी आता है। धर्मदेव जी बड़ा पानी के लिए शोर मचा रहे थे, चले गये, नहीं तो बताता मैं। इन्होंने अपनी कांस्टिटयूएन्सी में मधु विहार में मेरे इलाके में लाइन तोड़ दी। जगदीश मुखी साहब अपने यहाँ से पानी बिन्दापुर में पास नहीं होने देते। जो बार बार अभी

आरोप लगा रहे थे जय भगवान जी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो या चेयरमैन मैं पानी ला दूंगा। इनके यहाँ से और मुखी जी या धर्मदेव जी के यहाँ से पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शुरु करने के आप ऑर्डर कर दीजिए जल बोर्ड को पता लग जायेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कोई चाहता है या नहीं चाहता। ये आपको करना चाहिए। ये आपको बाकायदा उन जल बोर्ड के ऑफीसर्स को बुलाकर हिदायत देनी चाहिए कि क्या कारण है कि 4 ए मकान में एक-एक घण्टें पानी आ रहा है और बी मकान में 10 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन राशि है, मुख्यमंत्री जी मेरा एक सुझाव और आग्रह है आपसे। आपने पेशन राशि 70 साल की आयु के बुजुर्गो की 1500 रु. कर दी है। आपने विधवा की पेंशन 1500 रु. कर दी। आपने दलितों की 1500 रु. कर दी, आपने माइनॉरिटी की 1500 रु. कर दी।..कल जो एनाउन्समैन्ट हुई है। अध्यक्ष महोदय, नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिस भी श्रेणी के बुजुर्ग बचे हुए है। उन सब बुजुर्गो को आप एक मुश्त 1500 रु. की घोषणा करवा दें। कर दो इतनी कृपा। इन बुजुर्गो की दुआ लगेगी हमें। ये मील का पत्थर साबित होगा। अगले साल तो ढाई होगी, वह देखेंगे बाद में। फिलहाल तो इस साल की बात करो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसमें सभी पक्षों को आप ये रिलिफ कृपा करके दे दें। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, दो तीन चीजें कह कर मुझे अपनी बात समाप्त करनी हैं। मुख्यमंत्री जी, विधायक कोष से बहुत फायदा एमएलएज को और दिल्ली के लोगों को होता है। आपने जल बोर्ड में एक हेड खोला था हमारे लिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप वह पैसा भी बेशक जल बोर्ड को डायरेक्ट दे दें। उसमें हेड छोड़ें। जल बोर्ड में तुरन्त कोई गन्दे पानी की शिकायत है। कोई छोटी -मोटी अचानक लाइन डालनी है। कहीं लाइन पंक्चर हो गयी। कहीं कोई छोटा मोटा टुकड़ा हमें जोड़ना है। आपसे मेरी दो प्रपोजल हैं। आप जल बोर्ड को निर्देश दे दें कि एक करोड़ रु. तक की

रिकमण्डेशन एमएलए से लेकर जल बोर्ड उस पर प्रायरिटी से काम कर दे। जो हमारा जनरल एमएलए फण्ड है 4 करोड़ रु. है, उसको बढ़ाये। उसको एक करोड़ रु. आप और बढ़ा दें और 5 करोड़ रु.एमएलए फण्ड हमारा कर दिया जाये। यह मेरा आपसे आग्रह है। इससे मुख्यमंत्री जी डेवलपमैन्ट होगी। किसी के घर पैसा नहीं जाना, डेवलपमैन्ट होगी, बेशक हम इसके लिए भी तैयार है। एक अनुरोध आपसे और कर रहा हूँ। आपको पसंद आयेगी मेरी प्रपोजल। आप जो एक करोड़ रु. हमारा बढ़ाये । बेशक से वह हर कांस्टिटयूएन्सी में पानी को रेगुलेट करने पर लगा दें। मुझे उससे एतराज नहीं है। हमें जल बोर्ड को अलग से कोई पैसा न देना पड़े। हमारी कांस्टिअयुएन्सी में पानी रेगुलेट करने के बाद हमारा वह एमएलए फण्ड एक करोड़ जलबोर्ड का अलग और 5 करोड़ अलग से एक ये हमारा एमएलए फण्ड बढ़ा दिया जाये और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो दिल्ली में रिमार्केबल डेवलपमैन्ट की है। उसका अध्यक्ष महोदय, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो दिल्ली नगर निगम के नतीजे आये है, उससे न कोई हताश है, न निराश है न परेशन है। बल्कि सच ये है हम खुश है।

एक यहाँ पर बात और कही गयी थी कि जय प्रकाश अग्रवाल साहब ने कोई चार्ज लगाया है। अब आपकी मीटिंग में क्या तय हुआ, हमें नहीं पता। हमें तो यह पता है कि जो आदमी हाउस में नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वह जय प्रकाश अग्रवाल साहब बतायेंगे, उनका मुखी जी से तैयार होकर बयान हुआ होगा तभी तो उनके खिलाफ नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। वह जय प्रकाश जी बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ साथ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से दिल्ली सरकार के ऑफीसर्स का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपकी लीडरशिप में टैंक्स कलैक्शन से लेकर आपके प्रोजेक्टस को बेधड़क होकर पूरी मजबूती के साथ इम्पलीमैन्ट करने मे लगे हुए हैं,

उनकी भी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है। इस मौके पर हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनके सहयोग के बगै भी ये संभव नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात अंत में कह कर अपनी बात खत्म करुँगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास लिखे जाते रहे हैं और इतिहास लिखे जाते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जब कभी अब दुबारा दिल्ली का इतिहास लिखा जायेगा और जब कभी दुबारा दिल्ली की तारीख लिखी जायेगी तो अध्यक्ष महोदय, उस दिल्ली की तारीख और इतिहास में श्रीमती शीला दीक्षित के 15 साल और अगले 5 साल स्वर्णाक्षरों में लिखना। वो इतिहास लिखने वाला राइटर अगर निजी तौर पर खिलाफ होगा तो भी उसको मजबूर होना पड़ेगा दिल्ली के विकास की कहानी लिखने के लिए। जब वह दिल्ली के विकास की कहानी लिखेगा तो शीला दीक्षित का नाम लिखेगा। आपने मुझे समय दिया। धनयवाद।

अध्यक्ष महोदयः सदन की कार्यवाही 30 मई, 2012 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।